मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले ग़ुसल

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारूलउलूम देवबंद की तस्दीक़ व ताईद करदा

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी

(मुदर्रिस दारूलउलूम देवबंद)

मुकम्मल व मुदल्लल

मसाइले ग़ुस्ल

मअ़ मसाइले हैज़ व निफ़ास व गुस्ले मैयत

कुरआन व हदीस की रौशनी में

हज़रत मुफ़्तियाने किराम दारुलउलूम देवबंद की तस्दीक़ के साथ

मुअल्लिफ़

मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
(मुदर्रिस दारुलउलूम देवबंद)

नाशिर

अन्जुम बुक डिपो

466, मटिया महल, जामा मस्जिद (दिल्ली)

किताब का नामः... मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले गुस्ल
मुसन्निफ़ः......... मौलाना क़ारी मुहम्मद रफ़अ़त क़ासमी
ज़ेरे निगरानीः...... शकील अन्जुम देहलवी
तादादः.......... 1100

Masaile Ghusal

By:Maulana Qari Md. Rafat Qasmi

Published by

Anjum Book Depot

466, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi - 6

विषय सूची

क्या ?	कहाँ ?

"बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम"

इंतिसाब

मैं अपनी इस काविश (**मसाइले गुस्ल**) को जाँ निसारे इस्लाम, शहीदे जंगे उहुद, सहाबिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हज़रत हन्ज़लतुल–ग़सील रज़ि अल्लाहु अन्हु की तरफ़ मंसूब करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ जिनको फ़रिश्तों ने ग़ुस्ल दिया था, क्योंकि वह ग़ुस्ले जनाबत पूरा न करने पाए थे कि शिकस्त की आवाज़ कान में पड़ते ही मैदाने कार ज़ार में कूद पड़े और जामे शहादत नोश फ़रमाया। रज़ि अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु।

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

ख़ादिमुत्तदरीस दारुल उलूम देवबन्द

यकुम शाबान 1418 हिज. मुताबिक़ 2/दिसम्बर 1997 ई0

❖❖❖

(1)

अर्ज़े मुअल्लिफ़

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

الحمد للّٰہ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین محمد صلی اللّٰہ علیہ و علیٰ آلہٖ واصحابہٖ وازواجہ وسلم۔ امّا بعد:۔

क़ारिईन की राए और मश्वरों को पेशे नज़र रखते हुए और ज़रूरत के तहत मौज़ू का इंतिख़ाब किया जाता है, इस लिये बाज़ मरतबा मुशीरीन के मुंतख़बा मौज़ूअ की आमद में ग़ैर मामूली ताख़ीर हो जाती है।

अल्हमदु लिल्लाह! पन्द्रहवीं किताब "मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले ग़ुस्ल" पेश है, जिसमें मूजिबाते ग़ुस्ल, ग़ुस्ल का मस्नून तरीक़ा, इस्तिहाज़ा, हैज़ व निफ़ास, ख़ुंसा मुश्किल का ग़ुस्ल और ग़ुस्ले मैयत और नौजवानों के मख़्सूस मसाइल से मुतअल्लिक़ तक़रीबन छेः सौ मसाइले ग़ुस्ल हैं।

किताब की तरतीब में इसका ख़्याल रखा गया है कि जिन माओं व बहनों और नौजवानों को ग़ुस्ल के मख़्सूस मसाइल मालूम करते हुए शर्म व हया महसूस होती है वह भी इस किताब से ख़ास तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें।

चूंकि किताब ग़ुस्ल से मुतअल्लिक़ है इसलिए ग़ुस्ले मैयत के मसाइल भी यहाँ पर दर्ज कर दिये गए हैं।

अहबाब व मुख़्लिसीन हज़रात अपने बेश बहा मशवरों के साथ–साथ दुआ भी फ़रमाते रहें कि अल्लाह तआला सेहत व आफ़ियत के साथ दीनी ख़िदमत लेता रहे और क़बूल फ़रमाता रहे आमीन!

मुहम्मद रफ़अत क़ासमी

ख़ादिमुत्तदरीस दारुल उलूम देवबन्द

यकुम शाबान 1418 हिज.

मुताबिक़ 2/दिसम्बर 1997 ई0

तक़रीज़

हज़रत मौलाना मुफ़्ती निज़ामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम सदर मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द

باسمہ سبحانہٗ

الحمد للّٰہِ رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علیٰ خیر خلقہ وخاتم النبیین محمد صلی اللّٰہ علیہ و علیٰ آلہٖ واصحابہٖ وعلیٰ من تبعہ بالصدق الیٰ قیام القیٰمۃ اجمعین۔

وبعد :

पेशे नज़र किताब मुरत्तबा हज़रत मौलाना मुहम्मद रफ़अत साहब क़ासमी उस्ताज़े दारुल उलूम देवबन्द, चीदा चीदा मक़ामात से देखा। माशाअल्लाह! अच्छा मज्मूआ है। बाज़ जगह जहाँ अहक़र को कुछ तरद्दुद हुआ ज़ाहिर कर दिया और हज़रत मौलाना मौसूफ़ ने उसकी दुरुस्तगी की दरख़्वास्त को क़बूल भी फ़रमा लिया, इसलिए क़वी उम्मीद है कि यह किताब भी हज़रत मौलाना मौसूफ़ की साबिक़ा काविशों की तरह मक़्बूले अवाम व ख़्वास होगी। इसके लिए दिल से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह तआला क़बूल फ़रमाएं।

आमीन

फ़क़त वस्सलाम

कतबहुल–अब्दु निज़ामुद्दीन

मुअर्रख़ा 28 रजब 1418 हिज.

इरशादे गिरामी क़द्र

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद ज़फ़ीरुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम
मुरत्तिब फ़तावा दारुल–उलूम व मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، اَمَّا بَعْدُ :

क़ारी मुहम्मद रफ़अत साहब ज़ीदा मज्दुहू उस्ताज़े दारुल–उलूम देवबन्द की तालीफ़ कर्दा बहुत सी किताबें शाए हो कर मक़्बूले ख़ास व आम हो चुकी हैं और यह सारी किताबें फ़िक़्ही मसाइल पर मुश्तमल हैं। और फ़िक़्ह व फ़तावा की किताबों के हवाला से लिखी गई हैं। दीनदार मुसलमानों को इन किताबों से बड़ा फ़ाइदा पहुँच रहा है और वह शब व रोज़ की ज़िन्दगी के बहुत से मसाइल के हाफ़िज़ हो गए हैं, जिस मस्अला में शुब्हा पैदा हुआ, किताब में देख लिया, शुब्हा जाता रहा, आम तौर पर पूछने के मुहताज नहीं रहते, मसलन मसाइले तरावीह है, इसमें तरावीह का कोई ऐसा मस्अला नहीं है जो आपको मिल न जाए। मसाइले इमामत है, इमामत से मुतअल्लिक़ जितने मसाइल हैं सब यक्जा हो गए हैं। इस वक़्त पेशे नज़र मौसूफ़ की नई किताब "मसाइले ग़ुस्ल" है, इसमें ग़ुस्ल के तमाम ज़रूरी मसाइल यक्जा कर दिए गए हैं और यह भी बताया गया है कि ग़ुस्ले वाजिब क्या है, ग़ुस्ले सुन्नत क्या क्या हैं और मुस्तहब ग़ुस्ल किस किस सूरत में है। जनाबत,

हैज़ व निफ़ास, ग़ुस्ले जनाज़ा, ग़ुस्ले जुमा, ग़ुस्ले ईदैन सब का ब्यान अलग–अलग आ गया है।

ज़िम्नी तौर पर ऐसे पोशीदा मसाइल भी इस किताब में आ गए हैं जो आम तौर पर उर्दू किताबों में आपको नहीं मिलेंगे, इसी तरह ग़ुस्ल करने का मस्नून तरीक़ा क्या है और आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से किस तरह साबित है। मुख़्तसर यह कि माशाअल्लाह यह किताब ग़ुस्ल व पाकी के तमाम मसाइल पर हावी है और दीनदार मुसलमानों के बहुत काम की है।

अल्लाह तआला क़ारी साहब की इन तमाम ख़िदमात को क़बूल फ़रमाए जो वह इस सिलसिला में कर रहे हैं, ख़ुदा करे यह सिलसिला बराबर क़ाइम रहे और लोग मुस्तफ़ीद होते रहें। आमीन!

तालिबे दुआ :

अहक़र मुहम्मद ज़फीरुद्दीन ग़ुफ़िरलहू,

मुफ़्ती दारुल उलूम देवबन्द

19 शाबानुल–मुअज़्ज़म 1418 हिजरी

(2)
तक़रीज़

फ़क़ीहुन्नफ़्स हज़रत मौलाना मुफ़्ती सईद अहमद साहब मद्दा ज़िल्लहुल–आली पालन पूरी मुहद्दिसे कबीर दारुल उलूम देवबन्द

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ، اَمَّا بَعْدُ :

इमामुल–हिन्द, हज़रत शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहिमहुल्लाहु ने तहसीले सआदत का मरजअ़ चार ख़स्लतों को बताया है, इनमें से एक तहारत (पाकी) है। पाकी इंसान को मलाए आला के मुशाबेह बनाती हैं, जबकि हदस और नापाकी से शैतानी वस्वसे क़बूल करने का माद्दा पैदा होता है जब तहारत और पाकीज़गी इंसान पर ग़ालिब आती है और वह तहारत की हक़ीक़त से आगाह और बाख़बर हो जाता है और तहसीले तहारत में हमा तन मस्रूफ़ हो जाता है तो उसके अन्दर इल्हामाते मलाइका के क़बूल करने की इस्तेदाद पैदा हो जाती है, नीज़ मलाइका को देखने की भी सलाहियत पैदा हो जाती है, इंसान उम्दा–उम्दा ख़्वाब देखने लगता है और उसमें ज़ुहूरे अनवार की कुव्वत व सलाहियत पैदा हो जाती है।

(हुज्जतुलल्लाहिल –बालिग़ा स0 54)

और तहारत का एहतिमाम करने के लिए उसके मुतअल्लिक़ा मसाइल का जानना ज़रूरी है। शरीअत की राह नुमाई के बग़ैर,

और वुज़ू व गुस्ल के अहकाम जाने बग़ैर आदमी सही तरीक़ा पर पाकी का एहतिमाम नहीं कर सकता।

मुझे खुशी है कि बिरादर मुकर्रम जनाब मौलाना मुहम्मद रफ़अत साहब क़ासमी उस्ताज़े दारुल–उलूम देवबन्द ने वुज़ू व गुस्ल के मुफ़स्सल अहकाम मुरत्तब फ़रमाए हैं और वह बड़ी हद तक अक़्ली और नक़्ली दलाइल से मुदल्लल भी हैं, मौसूफ़ माशाअल्लाह मुवफ़्फ़क़ हैं, मुतअद्दद किताबें उनके क़लम से वजूद में आकर क़बूलियतें आम हासिल कर चुकी हैं।

उम्मीद करता हूं कि उनकी यह किताब भी बारगाहे खुदावन्दी में क़बूलियत का शर्फ़ हासिल करेगी और उम्मत को इससे फ़ैज़ पहुंचेगा। अल्लाह तआला महज़ अपने फ़ज़्ल से इस किताब को क़बूलिय का शर्फ़ बख़्शें। आमीन!

सईद अहमद अफ़ल्लाहु अन्हु
पालन पूरी
ख़ादिम दारुल–उलूम देवबन्द
(यकुम शाबान 1418 हिज.)

(मुकम्मल व मुदल्लल)

मसाइले वुज़ू

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَا غْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَ اَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَ امْسَحُوْا بِرُؤُسِكُمْ وَ اَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط وَ اِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوْا ط وَ اِنْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَوْ عَلٰى سَفَرٍ اَوْ جَآءَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ اَوْ لٰمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مَآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْداً طَيِّباً فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ اَيْدِيْكُمْ مِّنْهُ ط مَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ حَرَجٍ وَّلٰكِنْ يُّرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ٥

तरजमा :

ऐ ईमान वालो! जब तुम उठो नमाज़ को तो धो लो अपने मुँह और हाथ कुहनियों तक और मल लो अपने सर को और पाँव टख़नों तक और अगर तुमको जनाबत हो तो ख़ूब तरह पाक हो और अगर तुम बीमार हो या सफ़र में या कोई तुम में आया है जाए ज़रूर, से या पास गए हो औरतों के फिर न पाओ तुम पानी तो क़स्द करो मिट्टी पाक का और मल लो अपने मुँह और हाथ उस से, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर तंगी करे व लेकिन चाहता है कि तुम को पाक करे और पूरा करे अपना एहसान तुम पर ताकि तुम एहसान मानो।

ख़ुलास-ए-तफ़्सीर

ऐ ईमान वालो! जब तुम नमाज़ को उठने लगो (यानी नमाज़ पढ़ने का इरादा करो और तुमको उस वक़्त वुज़ू न हो, तो (वुज़ू कर लो यानी) अपने चेहरों को धोओ और अपने हाथों को कुहनियों समेत (धोओ) और अपने सरों पर (भीगा) हाथ फेरो। और अपने पैरों को भी टख़नों समेत (धोओ) और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो (नमाज़ से पहले) सारा बदन पाक कर लो और अगर तुम बीमार हो (और पानी का इस्तेमाल मुज़िर हो) या हालते सफ़र में हो (और पानी नहीं मिलता जैसा आगे आता है, यह तो उज़्र की हालत हुई) या (अगर मरज़ व सफ़र का उज़्र भी न हो बल्कि वैसे ही वुज़ू या ग़ुस्ल टूट जावे इस तरह से कि मसलन) तुम में से कोई शख़्स (पेशाब या पाख़ाना के) इस्तिंजे से (फ़ारिग़ हो कर) आया हो (जिस से वुज़ू टूट जाता है) या तुमने बीवियों से कुर्बत की हो (जिससे ग़ुस्ल टूट गया हो और फिर (इन सारी सूरतों में) तुम को पानी के (इस्तेमाल का मौक़ा) न मिले (ख़्वाह बवज्हे ज़रर के या पानी न मिलने के) तो (इन सब हालतों में) तुम पाक ज़मीनों से तयम्मुम कर लिया करो यानी अपने चेहरों और हाथों पर फेर लिया करो। इस ज़मीन (की जिन्स) पर से (हाथ मार कर) अल्लाह तआला को (इन अहकाम के मुक़र्रर फ़रमाने से) यह मन्ज़ूर नहीं कि तुम पर कोई तंगी डालें (यानी यह मन्ज़ूर है कि तुम पर कोई तंगी न रहे, (चुनांचे अहकामे मज़्कूरा में ख़ुसूसन और जमीअ़ अहकामे शरईया में उमूमन रिआयत, सहूलत व मस्लेहत

ज़ाहिर है) लेकिन अल्लाह तआला को यह मन्ज़ूर है कि तुमको पाक साफ़ रखे (इसलिए तहारत के क़वाइद और तुरुक़ मश्रूअ़ किए और किसी एक तरीक़ पर बस नहीं किया गया कि अगर वह न हो तो तहारत मुम्किन ही न हो, मसलन सिर्फ़ पानी को मुतह्हिर रखा जाता तो पानी न होने के वक़्त तहारत हासिल न हो सकती, यह तहारते अबदान तो ख़ास अहकामे तहारत ही में है। और तहारते कुलूब तमाम ताआत में है, पस यह तत्हीर दोनों को शामिल है और अगर यह अहकाम न होते तो कोई तहारत हासिल न होती। और यह (मन्ज़ूर है) कि तुम पर अपना इंआ़म ताम फ़रमा दे।

(इसलिए अहकाम की तक्मील फ़रमाई ताकि हर हाल में तहारते बदनी व क़ल्बी जिसका समरा रज़ा व क़ुर्ब है जो आज़मे निअ़म है हासिल कर सको) ताकि तुम (इस इनायत का) शुक्र अदा करो (शुक्र में इम्तिसाल भी दाख़िल है)।

(मआरिफुल–कुरआन स0 65, जिल्द 3)। (पारा 6 सूरः माइदा)

इस्लाम में सफ़ाई व पाकीज़गी की अहमियत

आज इस तहज़ीब व तरक़्क़ी के दौर में जब हम दूसरी तरक़्क़ी याफ़्ता क़ौमों की सफ़ाई, तहारत व पाकीज़गी को देखते हैं, उनके मकानात, उनकी सड़कें, उनके शहर, मुहल्ले क़स्बे और आबादियाँ देखते हैं तो उनकी नफ़ासत पर रश्क आता है, लेकिन यह सफ़ाई व पाकीज़गी ख़ालिस इस्लामी तहज़ीब व तमद्दुन की ख़ुसूसियत हैं।

दुनिया में आज तक किसी मज़्हब और किसी क़ानून ने सेहत

व सफ़ाई के अहकाम पर इस क़दर शिद्दत के साथ ज़ोर नहीं दिया जितना कि कुरआने करीम ने इस पर ज़ोर दिया है और तफ़्सील के साथ इसके अहकाम बयान किए हैं।

चुनांचे इस्लाम ने तहारत व पाकीज़गी और सफ़ाई के उसूल व अहकाम मुक़र्रर किए हैं, और हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपनी तालीमात से उसकी हुदूद मुतऐयन फ़रमा दीं। नमाज़ की सेहत और दुरुस्ती के लिए ज़रूरी क़रार दिया गया कि इंसान के बदन, उसके कपड़े और उसकी नमाज़ पढ़ने की जगह नजासतों और आलूदगियों से पाक साफ़ हों, नजासतों से अपने बदन, कपड़े और मकान को साफ़ रखने की तालीम दी जो सहाब–ए–किराम रज़ि. तहारत व पाकीज़गी का एहतिमाम फ़रमाते थे, अल्लाह तआला ने उनकी तारीफ़ फ़रमाई :

"इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो पसन्द करते हैं कि वह पाक साफ़ रहें। और अल्लाह पाक साफ़ रहने वालों को दोस्त रखता है।" (पारा 11),

जब अल्लाह तआला ने तहारत व पाकीज़गी को ख़ुदा की मुहब्बत का ज़रीआ ठहराया तो इस नेअ़मत से महरूमी किस को गवारा होगी?

नमाज़ इंसान को अपने जिस्म और आज़ा को पाक साफ़ रखने पर मज्बूर करती है, दिन में पाँच मरतबा हर नमाज़ में मुँह को, हाथ को पाँव को जो अक्सर खुले रहते हैं धोने की ज़रूरत पेश आती है। आप देखते होंगे कि आजकल ख़ाक, धूल, गर्द व ग़ुबार, धुएं और गैस और ख़राब हवाब के ज़रीआ मुँह और नाक

में सैंकड़ों जरासीम दाख़िल होने की वजह से हज़ारों बीमारियाँ पैदा होती हैं, वुज़ू करने से दिन में पाँच बार इस गर्द व ग़ुबार की सफ़ाई हो जाती है, क्योंकि नमाज़ बग़ैर वुज़ू के मुम्किन नहीं है गोया वुज़ू भी एक तरह से जुज़्वे इबादत हुआ। और इस तरह इस्लाम ने सफ़ाई और पाकीज़गी की अहमियत को बढ़ा दिया। दाँतों और मुँह की सफ़ाई के लिए आज डॉक्टर किस क़दर ज़ोर देते हैं और कहते हैं कि मुँह की सफ़ाई न करने से पेट के तमाम अमराज़ पैदा होते हैं, सैंकड़ों पाउडर और दवाएं इस सिलसिला में ईजाद की गईं और ब्रश करने के लिए हर मुतमद्दिन मज्बूर है लेकिन आज से सैंकड़ों बरस पहले इस्लाम ने इसको लाज़मी क़रार दिया और इबादत का जुज़्व ठहराया। ख़ुद हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मिज़ाज में लताफ़त, नफ़ासत सफ़ाई और पाकीज़गी बहुत ज़्यादा थी। आप जगह को ग़लीज़ और आदमी को मैला देखना पसन्द नहीं करते थे।

एक दफ़ा एक शख़्स को आपने मैले कपड़ों में देखा तो फ़रमाया "इससे इतना नहीं होता कि कपड़े धो लिया करे।"

एक मरतबा एक शख़्स मैले कुचैले कपड़े पहने हुए आपकी मज्लिस में आया, आपने दरयाफ़्त किया कि क्या तेरे पास माल नहीं है? उसने अर्ज़ किया जी हाँ है। आपने फ़रमाया कि फिर तू इस नेअ़मत को छुपा कर क्यों रखता है इस नेअ़मत का इज़्हार क्यों नहीं करता?

अरब इस्लाम से पहले तहज़ीब, तमद्दुन से कम आशना थे,

इस्लाम के इब्तिदाई ज़माने में लोग मस्जिदों में आते तो सामने दीवारों पर या ज़मीन पर थूक दिया करते थे। आप इसको नापसन्द फ़रमाते। एक दफ़ा थूक का धब्बा दीवार पर देखा तो इस क़दर ग़ुस्सा आया कि चेहर–ए–मुबारक सुर्ख़ हो गया। एक अंसारी औरत ने धब्बा को धोया और उस जगह ख़ुशबू मल दी, आप बहुत ख़ुश हुए और तारीफ़ फ़रमाई।

एक शख़्स के बाल परेशान और बिखरे हुए देख कर फ़रमाया कि "इससे इतना नहीं होता कि बालों को दुरुस्त कर ले।"

कभी–कभी आपका मज्लिस में ख़ुशबू की अंगेठियाँ सुलगाई जातीं जिनमें कभी अगर, कभी काफ़ूर होता। आपको सफ़ाई का बेहद ख़्याल था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने घर से बाहर चबूतरे वग़ैरह की सफ़ाई का हुक्म फ़रमाया है।

अह्दे क़दीम के अरब लोग तहज़ीब व तमद्दुन और सफ़ाई का बहुत कम ख़्याल रखते थे, अब भी हम गाँव में या शहर की तंग और कसीर आबादी में देखते हैं कि लोग सड़कों पर, दरख़्तों के नीचे गन्दगी फैलाते हैं और लोग उसे ख़ुशी से बर्दाश्त कर लेते हैं। हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इस सिलसिला में उन लोगों पर लानत फ़रमाई जो रास्ता में या दरख़्तों के नीचे साया में पेशाब पाख़ाना करते हैं और गन्दगी फैलाते हैं।

एक दफ़ा आपने मस्जिद की दीवार पर थूक के धब्बा को

देखा तो आपके हाथ में खजूर की टहनी थी जिससे ख़ुरच कर आपने तमाम धब्बे मिटा दिए, फिर लोगों की तरफ़ ख़िताब करके ग़ुस्से से फ़रमाया कि क्या तुम पसन्द करते हो कि कोई शख़्स तुम्हारे सामने आए और तुम्हारे मुँह पर थूक दे।

हमारे मकानात, उनके दर व दीवार और फ़र्श, हमारी सड़कें, हमारे गली कूचे, क़स्बे शहर, घर और घरों से बाहर निकलने वाली नालियाँ पाक साफ़ रहनी चाहिएं। और उसका इस तरह साफ़ रखना हर मुसलमान और हर इंसान का फ़र्ज़ है, कभी किसी जगह भी ख़्वाह घर हो या बाहर, गन्दगी फैलाना और ग़लाज़त करना और मैला कुचैला रहना इस्लाम के अहकाम के ख़िलाफ़ है, जब चप्पा चप्पा और गली गली को इस तरह साफ़ रखने का हुक्म दिया गया है तो इस्लाम में किसी शख़्स को मैले कपड़ों में नापाक और ग़लीज़ हाल में कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है।

हर शख़्स का फ़र्ज़ है कि वह पाक साफ़ रहे और अच्छी हालत में रहे, कपड़े उजले हों, बदन पाक साफ़ हो, नजासत और आलूदगी से पाक हो, जो लोग पाक साफ़ नहीं रहते उन पर ख़ुदा की रहमत नाज़िल नहीं होती, बल्कि उनके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने लानत फ़रमाई और उन लोगों पर भी सख़्त सुस्त फ़रमाया जो पब्लिक मक़ामात पर और आम रास्तों या आराम की जगह और दरख़्तों के नीचे गन्दगी फैलाते हैं।

पाकी और सफ़ाई के अहकाम की ताकीद और अहमियत का

अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि नापाक आदमी कुरआने हकीम को छू भी नहीं सकता, जो लोग पाकी व सफ़ाई का एहतिमाम नहीं करते वह इस्लामी अहकाम और मुसलमानों की तहज़ीब व तमद्दुन से वाकिफ़ नहीं हैं।

कुरआने हकीम औ अहादीसे नबवी में सफ़ाई और पाकीज़गी के बारे में वाज़ेह अहकामात हैं। लिहाज़ा इन तालीमात और हिदायात की रोशनी में मुसलमानों को ख़ास तौर पर तवज्जोह देनी चाहिए।

जिस्मानी सफ़ाई के साथ—साथ गलियों और बाज़ारों और मुहलों में भी इस्लामी हिदायात के पेशे नज़र हमा वक़्त तवज्जोह देने और ख़्याल रखने की ज़रूरत है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मनी के निकलने से गुस्ल क्यों है और पेशाब से क्यों नहीं?

(1) मनी के निकलने से गुस्ल का वाजिब और लाज़िम होना और पेशाब से वाजिब न होना शरीअते इस्लामिया की बड़ी ख़ूबियों में से और रहमत व हिक्मत व मस्लेहते इलाही से है क्योंकि मनी सारे बदन से निकलती है, इसीलिए ख़ुदा तआला ने मनी का नाम "सलाला" रखा है। मनी इंसान के सारे बदन का सत होता है जो बदन से रवां हो कर बिल—आख़िर पुश्त के रास्ता से नीचे आती है और उज़्वे तनासुल से ख़ारिज होती है। उसके निकलने से बदन को बहुत ज़ुअफ़ पहुँचता है और पेशाब व पाख़ाना सिर्फ़ खाने पीने के फ़ुज़्ले होते हैं जो मसाना व मेअ़दे

में जमा रहते हैं इसलिए मनी के निकलने से बनिस्बत पेशाब व पाख़ाना के जिस्म को बहुत कमज़ोरी लाहिक़ होती है और पानी के इस्तेमाल से वह कमज़ोरी नहीं रहती।

(2) जनाबत (नापाकी) से जिस्म में गिरानी औ काहिली व कमज़ोरी व ग़फ़लत पैदा हो जाती है और ग़ुस्ल से दिल में कुव्वत व नशात व सुरूर और बदन में सुबुकसारी पैदा होती है। जब इंसान सोहबत से फ़ारिग़ होता है तो उसका दिल इंक़िबाज़ और तंगी की हालत में होता है और उस पर तंगी और ग़म सा तारी हो जाता है और वह अपने आपको निहायत तंगी व घुटन में पाता है और जब दोनों क़िस्म की नजासतें दूर हो जाती हैं और अपने बदन को मलता और ग़ुस्ल करता है और साफ़ कपड़े बदल कर ख़ुश्बू लगाता है तब उसकी तंगी दूर हो जाती है और ख़ुशी महसूस होती है, पहली हालत को हदस और दूसरी हालत को तहारत कहते हैं।

(3) हाज़िक़ तबीबों ने लिखा है कि जिमाअ़ के बाद ग़ुस्ल करना बदन की तहलील शुदह कुव्वतों और कमज़ोरियों को लौटा देता है और बदन व रूह के लिए निहायत मुफ़ीद है। और ग़ुस्ल न करना बदन व रूह के लिए सख़्त मुज़िर है, इस अम्र की ख़ूबी पर अक़्ल व फ़ितरते सलीमा काफ़ी गवाह हैं, नीज़ अगर शारेअ़ अलैहिस्सलाम पेशाब व पाख़ाना के बाद ग़ुस्ल करना लाज़िम ठहराते तो लोगों को सख़्त हरज होता और वह मेहनत व मशक़्क़त में पड़ जाते जो कि हिक्मत और रहमत व मस्लेहते इलाही के ख़िलाफ़ है।

(4) जिमाअ़ (सोहबत) तलज़्ज़ुज़ होता है और उससे ज़िक्रे इलाही से ग़फ़्लत ज़रूर हो जाती है, इसलिए इसकी तलाफ़ी के लिए भी ग़ुस्ल किया जाता है।

(5) मनी के निकलने से बदन के तमाम मसामात खुल जाते हैं और कभी उनसे पसीना निकलता है और पसीना के साथ अन्दरूनी हिस्सए बदन के गन्दे मवाद भी ख़ारिज होते हैं जो मसामात पर आकर ठहर जाते हैं, अगर उनको न धोया जाए तो ख़तरनाक अमराज़ पैदा होने का अन्देशा होता है। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स० 35, और तफ़्सील देखिए असरारे शरीअत व हुज्जतुल्लाहिल–बालिग़ा)।

ग़ुस्ल के वाजिब होने की शर्तें : फुक़हा की इस्तिलाह में ग़ुस्ल सर से पैर तक जिस्म की तमाम उस सतह को धोने को कहते हैं जिसका धोना बग़ैर किसी क़िस्म की तक्लीफ़ के मुम्किन हो। (इल्मुल–फ़िक़्ह स० 83, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के माना, नहाना, पानी से धोना, पानी बहा कर मैल कुचैल जिस्म से दूर करना। (मज़ाहिरे हक़ स० 407, जिल्द 1)।

(1) मुसलमान होना, काफ़िर पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

(2) बालिग़ होना, नाबालिग़ पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

(3) आक़िल होना, दीवाने और मस्त और बेहोश पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

(4) पाक पानी के इस्तेमाल पर क़ादिर होना, जिस शख़्स को कुदरत न हो, उस पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं।

(5) नमाज़ का इस क़दर वक़्त मिलना कि जिसमें ग़ुस्ल

करके नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश हो, अगर किसी को इतना वक़्त न मिले तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। मसलन किसी को ऐसे तंग वक़्त में नहाने की ज़रूरत हो कि गुस्ल करके नमाज़ पढ़ने की गुंजाइश न हो या कोई औरत ऐसे ही तंग वक़्त में हैज़ या निफ़ास से पाक हो।

(6) हदसे अक्बर (गुस्ल के वाजिब होने की बात) का पाया जाना, जो हदसे अक्बर से पाक हो, उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है।

(7) नमाज़ के वक़्त का तंग होना, शुरू वक़्त में गुस्ल वाजिब नहीं है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 83, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 177, जिल्द अव्वल)।

(मतलब यह है कि नापाक होने के बाद फ़ौरन गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। मसलन रात को एहतिलाम वग़ैरह हो गया तो फ़ौरन उसी वक़्त गुस्ल करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़ज्र की नमाज़ क़ज़ा होने से पहले गुस्ल ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर तहारत के नमाज़ नहीं हो सकती, और अगर कोई सुस्ती की वजह से नमाज़ को क़ज़ा करेगा तो गुनहगार होगा। और अगर किसी को ऐसे तंग वक़्त में जनाबत (नापाकी) हो कि गुस्ल करने के बाद अदाए वक़्त बाक़ी न रहे तो गुस्ल करने के बाद नमाज़ की क़ज़ा करे। और अगर कोई हाइज़ा औरत हैज़ से ऐसे वक़्त में फ़ारिग़ हो कि उसको गुस्ल करने के बाद तक्बीरे तहरीमा कहने का वक़्त भी न मिले तो उससे उस वक़्त की नमाज़ साक़ित हो जाएगी, अगर गुस्ल के बाद इतना वक़्त मिला कि वह तक्बीरे तहरीमा कह सकती थी तो उस पर उस वक़्त की नमाज़ की

क़ज़ा वाजिब होगी।) (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

गुस्ल के सहीह होने की शर्तें

(1) तमाम जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा पर पानी का पहुँच जाना बशर्तेकि कोई उज़्र न हो, अगर बग़ैर किसी उज़्र के कोई ज़ाहिरी हिस्स जिस्म का बाल बराबर भी ख़ुश्क रह जाएगा तो ग़ुस्ल सहीह न होगा।

(2) जिस्म पर ऐसी चीज़ का न होना जिसकी वजह से जिस्म तक पानी न पहुँच सके। मसलन जिस्म पर चर्बी या ख़ुश्क मोम या ख़मीरा वग़ैरह लगा हुआ हो या उंगलियों में तंग अंगूठी छल्ले वग़ैरह हों या कानों में तंग बालियाँ हों कि सूराख़ में पानी न पहुँच सके।

(3) जिन चीज़ों से हदसे अक्बर (ग़ुस्ल वाजिब करने वाली चीज़) होता है उन चीज़ों का हालते ग़ुस्ल में न होना, कोई औरत हैज़ (माहवारी) या निफ़ास (बच्चा की पैदाइश के बाद जो ख़ून आता है) की हालत में ग़ुस्ल करे या कोई मर्द मनी गिरने की हालत में ग़ुस्ल करे तो ग़ुस्ल सहीह न होगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 84, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : इमामे आज़म के नज़्दीक वुज़ू और ग़ुस्ल बग़ैर नीयत के मोतबर होंगे क्योंकि उनके नज़्दीक नीयत फ़र्ज़ नहीं है बल्कि सुन्नत और मुस्तहब है, लिहाज़ा अगर वुज़ू या ग़ुस्ल बग़ैर नीयत के किया गया तो अदा हो जाएगा।

मस्अला : बेहतर यह है कि शुरू वुज़ू में हाथ धोने के वक़्त नीयत कर ली जाए मुनासिब यह है कि वुज़ू शुरू करने के वक़्त

ग़ुस्ल में नीयत कर ले। (मज़ाहिरे हक़ स0 59, जिल्द 1, फ़तावा दारुल–उलूम स0 159 जिल्द 2)।

ग़ुस्ल का मस्नून व मुस्तहब तरीक़ा

मस्अला : जो ग़ुस्ल करना चाहे उसको चाहिए कि कोई कपड़ा मिस्ल लुंगी वग़ैरह के बांध कर नहाए और अगर बरहना हो कर (कपड़े उतार कर) नहाए तो किसी ऐसी जगह नहाए कि जहाँ किसी ना महरम की नज़र न पहुँच सके, और अगर कोई ऐसी जगह न मिले तो ज़मीन पर उंगली से एक दाइरा खींच कर उसके अन्दर बिस्मिल्लाह आख़िर तक पढ़ कर नहाए।

मस्अला : औरत को और बरहना नहाने वाले को बैठ कर नहाना चाहिए, अगर कोई मर्द कपड़े पहने हुए नहाए तो नहाते वक़्त क़िब्ला की तरफ़ मुँह न करे, और सबसे पहले अपने दोनों हाथों को गट्टों तक तीन मरतबा धोए उसके बाद अपने ख़ास हिस्सा को मअ़ ख़ुस्यतैन के धोए अगर उन पर कोई नजासते हक़ीक़ीया न हो, उसके बाद अगर बदन पर कहीं नजासते हक़ीक़ीया हो तो उसको धो डाले, उसके बाद अपने दोनों हाथों को मिट्टी (साबुन वग़ैरह से) मल कर धोए, उसके बाद पूरा वुज़ू करे, यहाँ तक कि सर का मसह भी। और अगर किसी ऐसे मक़ाम पर नहाता हो जहाँ ग़ुस्ल का पानी जमा रहता हो तो पैरों को उस वक़्त न धोए बल्कि बाद फ़राग़त ग़ुस्ल के दूसरी जगह हट कर पैरों को धोए, अगर यह ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो तो उस वुज़ू में सिवा बिस्मिल्लाह के और कोई दुआ न पढ़े वुज़ू के बाद अपने बालों में उंगलियाँ डाल कर तीन मरतबा सर का ख़िलाल करे,

पहले दाहिनी जानिब का, फि बाईं जानिब का, उसके बाद अपने सर पर पानी डाले फिर दाहिने शाने पर फिर बाएं शाने पर और जिस्म को हाथों से मले इसी तरह दोबारा और तमाम जिस्म पर इसी तर्तीब से पानी डाले ताकि तीन बार तमाम जिस्म पर पानी पहुँच जाए, उसके बाद चाहे अपने जिस्म को किसी कपड़े (तौलिया वग़ैरह) से पोंछ डाले। और नहाते वक़्त किसी से कोई बात बग़ैर ज़रूरते शदीद के न करे। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 93, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 160 जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 158 जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुहतार स0 45 ता 49 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वुज़ू और ग़ुस्ल में इतना पानी ख़र्च करो जितनी ज़रूर हो, ज़्यादा पानी बर्बाद न करो, ऐतिदाल पसन्दीदा चीज़ है। (कश्फ़ुल–असरार स0 29, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के फ़राइज़ : ग़ुस्ल में एक फ़र्ज़ है वह यह कि तमाम बदन के ज़ाहिरी हिस्सा का सर से पैर तक धोना इस तरह कि बाल बराबर कोई हिस्सा जिस्म का ख़ुश्क न रहने पाए। नाफ़ का धोना फ़र्ज़ है। दाढ़ी मोंछ और उनके नीचे की सतह का धोना फ़र्ज़ है, अगरचे यह चीज़ें घनी हों और उनकी नीचे की जगह नज़र न आती हो, सर के बालों का भिगोना फ़र्ज़ है अगरचे उनमें गोंद या ख़त्मी लगी हो, अंगूठी अगर तंग हो और कान के सूराख़ों में बालियाँ हों कि बेहरकत दिए हुए पानी जिस्म तक न पहुँचे तो उनका हरकत देना फ़र्ज़ है और कान के सूराख़ों में अगर बालियाँ न हों, और सूराख़ अगर बन्द न हुए हों

तो अगर बग़ैर हाथ से मले हुए या कोई तिनका वग़ैरह डाले हुए पानी उनमें न पहुँचे तो तिनके वग़ैरह का डाल कर उनमें पानी पहुँचाना फ़र्ज़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 93, व हिदाया स0 10 जिल्द 1)।

(1) कुल्ली करना (2) नाक में पानी डालना (3) तमाम बदन को पानी से धोना। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 180, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल में जिन आज़ा का धोना ज़रूरी नहीं है

(1) बदन का मलना अगर उस पर कोई नजासते हक़ीक़ीया ऐसी न हो जो बग़ैर मले हुए दूर न हो सके।

(2) औरत को अपने ख़ास हिस्सा के अन्दरूनी जुज़्व का उंगली वग़ैरह डाल कर साफ़ करना ज़रूरी नहीं है।

(3) जिस्म के उस हिस्सा का धोना जिसके धोने से तक्लीफ़ या ज़रर हो मसलन आँख के अन्दर की सतह का धोना, अगरचे उसमें नजिस सुर्मा लगा हो, या औरत को अपने कान के उस सूराख़ का तिनका वग़ैरह डाल कर धोना जो बन्द हो गया हो, धोना ज़रूरी नहीं है।

जिस मर्द का ख़त्ना न हुआ हो, उसको ख़त्ना की खाल को ऊपर चढ़ाने में तक्लीफ़ हो, तो उस खाल के नीचे की जिल्द का धोना ज़रूरी नहीं है।

औरत को अपने गुंधे हुए बालों का खोलना बशर्तेकि बग़ैर खोले हुए बालों की जड़ें भीग जाएं अगर बालों में गिरह पड़ गई हो तो उसका खोलना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 4, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिस की ख़त्ना न हुई हों उसको खाल के अन्दर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है (जबकि मुज़िर हो) लेकिन

मुस्तहब है कि ऐसा कर लिया जाए। (आपके मसाइल स0 48, जिल्द 2)।

गुस्ल के वाजिबात :

(1) कुल्ली करना। (2) नाक में पानी डालना (3) मर्दों और औरतों को अपने गुंधे हुए बालों का खोल कर तर करना (4) नाक के अन्दर जो मैल नाक के लुआब से जम जाता है उसको छुड़ा कर उसके नीचे की सतह का धोना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 94, जिल्द 1)।

गुस्ल की सुन्नतें :

(1) नीयत करना यानी दिल में यह क़स्द करना कि मैं नजासत से पाक होने के लिए और ख़ुदा की ख़ुशनूदी और सवाब के लिए नहाता हूँ, न कि बदन साफ़ करने के लिए।

(2) इसी तर्तीब से गुस्ल करना यानी पहले हाथों का धोना, फिर ख़ास हिस्सा का धोना, फिर नजासते हक़ीक़ीया का धोना अगर नजासत हो, फिर पूरा वुज़ू करना, और अगर ऐसी जगह हो जहाँ पर पानी जमा रहता हो तो पैरों का गुस्ल के बाद दूसरी जगह हट कर धोना, फिर तमाम बदन पर पानी बहाना।

(3) बिस्मिल्लाह आख़िर तक कहना। (4) मिस्वाक करना।

(5) हाथों, पैरों की उंगलियों और दाढ़ी का तीन–तीन मरतबा ख़िलाल करना। (6) बदन का मलना। (7) बदन को इस तरह धोना कि बावजूद जिस्म और हवा के मोतदिल होने के एक भी हिस्सा ख़ुश्क न होने पाए कि दूसरे हिस्सा को धो डाले। (8) तमाम जिस्म पर तीन मरतबा पानी डालना। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 94, जिल्द अव्वल, हिदाया स0 11, जिल्द अव्वल कबीरी स0 50)।

ग़ुस्ल के मुस्तहब्बात

(1) ऐसी जगह नहाना जहाँ किसी ना महरम की नज़र न पहुँचे, या तहबन्द वग़ैरह बाँध कर नहाना।

(2) दाहिनी ज़ानिब को बाईं जानिब से पहले धोना।

(3) सर के दाहिने हिस्सा का पहले ख़िलाल करना फिर बाएं हिस्सा का।

(4) तमाम जिस्म पर पानी इस तर्तीब से बहाना कि पहले सर, फिर दाहिने शाने, फिर बाएं शाने पर।

(5) जो चीज़ें वुज़ू में मुस्तहब हैं वह ग़ुस्ल में भी मुस्तहब हैं, सिवा क़िब्ला रू होने और दुआ पढ़ने के और ग़ुस्ल का बचा हुआ पानी भी खड़े हो कर पीना मुस्तहब नहीं है।

ग़ुस्ल के मक्रूहात

(1) बरहना नहाने वाले को क़िब्ला रू होना।

(2) बिला ज़रूरत ऐसी जगह नहाना जहाँ किसी ग़ैर महरम की नज़र पहुँच सके।

(3) ग़ुस्ल में सिवा बिस्मिल्लाह के और दुआओं का पढ़ना।

(4) बेज़रूरत बात चीत करना।

(5) जितनी चीज़ें वुज़ू में मक्रूह हैं वह ग़ुस्ल में भी मक्रूह हैं।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 95, जिल्द 1)।

जिन सूरतों में ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं :

(1) अगर मनी अपनी जगह से शह्वत के साथ न जुदा हो तो अगरचे ख़ास हिस्सा से बाहर निकल आए ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, मसलन किसी शख़्स ने कोई बोझ उठाया या ऊंचे से

गिर पड़ा, या किसी ने उसको मारा और इस सदमा से उसकी मनी बग़ैर शह्वत के निकल आई तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

(2) अगर मनी अपनी जगह से शह्वत के साथ जुदा हुई मगर ख़ास हिस्सा से बाहर न निकली तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, ख़्वाह यह न निकलना ख़ुद बख़ुद हो या ख़ास हिस्सा का सूराख़ बन्द हो जाने के सबब से हो, ख़्वाह हाथ से बन्द किया गया हो या रूई वग़ैरह रख कर।

(3) अगर किसी शख़्स के ख़ास हिस्सा से बाद पेशाब के बेग़ैर शह्वत के मनी निकली तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

(4) अगर कोई मर्द किसी जानवर या मुर्दा के ख़ास हिस्सा या मुश्तरक हिस्सा में अपना ख़ास हिस्सा दाख़िल करे या उसका ख़ास हिस्सा अपने मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल करे तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा। बशर्तेकि मनी न निकले, इसी तरह अगर कोई औरत किसी जानवर या मुर्दा का ख़ास हिस्सा या कोई लकड़ी या उंगली या और कोई चीज़ अपने ख़ास हिस्सा या मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल करे तब भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, बशर्तेकि मनी न निकले और ख़ास हिस्सा को मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल करने में भी यह शर्त है कि ग़ल्बा शह्वत का न हो।

मस्अला : जिस जानवर से वती आदमी करेगा, उस जानवर के मुतअल्लिक़ हुक्म यह है कि उसको ज़िब्ह करके जला डाला जाए। और मुस्तहब यह है कि उसका गोश्त खाया न जाए। मंशा यह है कि यह तरीक़ा शरीअत के ख़िलाफ़ है और क़ाबिले मुआख़ज़ा और लाइक़े ताज़ीर है। (कश्फ़ुल–असरार स0 40, जिल्द अव्वल)।

(5) अगर कोई बेशह्वत लड़का किसी औरत के साथ जिमाअ़ करे तो किसी पर भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, अगरचे औरत मुकल्लफ़ हो। (अगर औरत के मनी निकले तो औरत पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा)।

(6) अगर कोई मर्द अपना ख़ास हिस्सा अपने ही मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल करे तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा। (बशर्तेकि मनी न निकले)।

(7) अगर कोई मर्द किसी कम सिन औरत के साथ जिमाअ़ करे तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा, बशर्तेकि मनी न गिरे, और वह औरत इस क़दर कम सिन (कम उम्र) हो कि उसके साथ जिमाअ़ करने में ख़ास हिस्सा और मुश्तरक हिस्सा के मिल जाने का ख़ौफ़ हो।

(8) अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्सा में कपड़ा लपेट कर जिमाअ़ करे और कपड़ा इस क़दर मोटा हो कि जिस्म की हरारत उसकी वजह से न महसूस हो तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा। (जबकि मनी न निकले)।

(9) अगर किसी कुंवारी औरत के साथ सोहबत की जाए और उसकी बुकारत ज़ाइल न हो तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा (यानी कम्सिन बच्ची पर तो ग़ुस्ल वाजिब न होगा लेकिन बालिग़ पर ग़ुस्ल फर्ज़ होने के लिए इतना काफ़ी है कि मर्द के ख़ास हिस्सा का सर औरत की शर्मगाह में छुप जाए, ख़्वाह मनी निकले या न निकले।)

(10) अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्सा का जुज़ मिक़्दार

सरे हश्फ़ा से कम दाख़िल करे तब भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

(11) मज़ी और वदी के निकलने से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

(12) अगर किसी औरत के ख़ास हिस्सा में मर्द की मनी बग़ैर मर्द के (इंजक्शन वग़ैरह के ज़रीआ) ख़ास हिस्सा के दाख़िल की जाए तो उस पर भी (यानी औरत पर) ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा। (जबकि औरत को शह्वत मनी पहुँचाते हुए न हो) इसकी तफ़्सील स0 74 पर है।

(13) अगर किसी औरत के बच्चा पैदा हो और ख़ून बिल्कुल न निकले तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा।

(14) इस्तिहाज़ा से ग़ुस्ल फ़र्ज़ न नहीं होता। (बीमारी की वजह से औरत को मुस्तकिल ख़ून आता रहता है)।

(15) अगर किसी शख़्स को मनी जारी रहने का मरज़ हो तो उसके ऊपर ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

(16) सो कर उठने के बाद कपड़ों पर तरी देखने की बक़िया सात सूरतों में ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता।

(1) यक़ीन हो जाए कि यह मज़ी है और एहतिलाम याद न हो। (2) शक हो कि यह मनी है या मज़ी है और एहतिलाम याद न हो। (3) शक हो कि यह मनी है या वदी है और एहतिलाम याद न हो। (4) यक़ीन हो जाए कि यह वदी है और एहतिलाम याद हो। (5) या याद न हो। (6) शक हो कि यह मनी है या मज़ी या वदी है और एहतिलाम याद न हो। हाँ दूसरी, तीसरी, सातवीं सूरत में एहतियातन ग़ुस्ल कर लेना ज़रूरी है। (7) हुक़ना यानी अनीमा के मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल होने से ग़ुस्ल

फ़र्ज़ नहीं होता। (8) अगर कोई मर्द अपना ख़ास हिस्सा किसी औरत या मर्द की नाफ़ में दाख़िल करे तो उस पर गुस्ल फ़र्ज़ न होगा। (बशर्तेकि मनी न निकले)। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 90 जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 16, जिल्द 11, बहवाला कबीरी स0 39 व आलमगीरी स0 15 जिल्द अव्वल व दुर्रे मुख़्तार स0 31 जिल्द अव्वल व मुअत्ता इमाम मुहम्मद स0 66 जिल्द 1)।

जिन सूरतों में गुस्ल वाजिब है

(1) अगर कोई काफ़िर इस्लाम लाए और हालते कुफ़्र में उसको हदसे अक्बर हुआ हो (नहाने की हाजत) और वह न नहाया हो या नहाया हो मगर शरअन वह गुस्ल सही न हुआ हो तो उस पर इस्लाम लाने के बाद नहाना वाजिब है।

(2) अगर कोई शख़्स पन्द्रह साल की उम्र से पहले बालिग़ हो जाए तो उसका नहाना वाजिब है।

(3) मुसलमान मुर्दे को नहलाना ज़िन्दा मुसलमानों पर वाजिबे किफ़ाया है।

जिन सूरतों में गुस्ल सुन्नत है

(1) जुमा के दिन बाद नमाज़े फ़ज्र के जुमा के लिए उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर नमाज़े जुमा वाजिब है।
(2) ईदैन के दिन बाद फ़ज्र उन लोगों को गुस्ल करना सुन्नत है जिन पर ईदैन की नमाज़ वाजिब है।
(3) हज या उम्रा के एहराम के लिए गुस्ल करना सुन्नत है।
(4) हज करने वाले को अरफ़ा के दिन बाद ज़वाल के गुस्ल करना सुन्नत है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 91, जिल्द 2, हिदाया 118, कबीरी स0 54)।

मस्अला : जहाँ पर ईदैन की नमाज़ जाइज़ नहीं है उनके लिए गुस्ल मस्नून नहीं है, कर लेंगे तो कोई मुज़ाइक़ा नहीं।

(फ़तावा महमूदिया स0 267, जिल्द 4)।

मस्अला : जुमा के दिन ईद पड़ जाए और उसी दिन जनाबत भी पेश आजाए तो एक ही गुस्ल ईदैन, जुमा और जनाबत तीनों के लिए काफ़ी है। (कश्फ़ुल–असरार स0 43, जिल्द 1)।

जिन सूरतों में गुस्ल मुस्तहब है

(1) इस्लाम लाने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है अगरचे हदसे अकबर से पाक हो।

(2) कोई मर्द या औरत जब पन्द्रह साल की उम्र को पहुँचे और उस वक़्त तक कोई अलामत जवानी की उसमें न पाई जाए तो उसको गुस्ल करना मुस्तहब है।

(3) पछने लगवाने (ख़राब ख़ून निकलवाने) के बाद और जुनून और मस्ती व बेहोशी दूर हो जाने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है।

(4) मुर्दे को नहलाने के बाद नहलाने वालों को गुस्ल करना मुस्तहब है।

(5) शबे बराअत यानी शाबान की पन्द्रहवीं रात को गुस्ल करना मुस्तहब है।

(6) लैलतुल–क़द्र की रातों में गुस्ल करना मुस्तहब है जिसको लैलतुल–क़द्र मालूम हो।

(7) मदीना मुनव्वरह में दाख़िल होने के लिए गुस्ल करना मुस्तहब है।

(8) मुज़्दलिफ़ा में ठहरने के लिए दसवीं तारीख़ की सुब्ह को नमाज़े फ़ज्र के बाद ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

(9) तवाफ़े ज़ियारत के लिए ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

(10) कंकरियाँ फेकने के लिए ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

(11) कुसूफ़ (सूरज गहन) और ख़ुसूफ़ (चाँद गहन) और इस्तिस्क़ा (पानी की तलब) के लिए ग़ुस्ल मुस्तहब है।

(12) ख़ौफ़ और मुसीबत की नमाज़ों के लिए ग़ुस्ल मुस्तहब है।

(13) किसी गुनाह से तौबा करने के लिए ग़ुस्ल मुस्तहब है।

(14) सफ़र से वापस आने वाले को ग़ुस्ल मुस्तहब है जबकि वह अपने वतन पहुँच जाए।

(15) इस्तिहाज़ा वाली औरत को ग़ुस्ल करना मुस्तहब है जबकि इस्तिहाज़ा दफ़ा हो जाए।

(16) जो शख़्स क़त्ल किया जाता हो, उसको ग़ुस्ल करना मुस्तहब है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 92, जिल्द अव्वल)।

(17) नया लिबास पहनने के लिए ग़ुस्ल करना मुस्तहब है।

(18) मज्लिसों में शिर्कत के लिए यानी तक़रीबात में जाने के लिए ग़ुस्ल करना मुस्तहब है। (कबीरी स0 55, शरह वक़ाया 77, नूरुल–ईज़ाह स0 39, किताबुल–फ़िक़्ह स0 193, जिल्द अव्वल, कश्फ़ुल–असरार स0 45, जिल्द अव्वल, मज़ाहिरे हक़ स0 422, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के फ़र्ज़ होने की सूरत

हदसे अकबर से पाक होने के लिए ग़ुस्ल फ़र्ज़ है और हदसे अकबर के पैदा होने के चार अस्बाब हैं :

पहला सबब : ख़ुरूजे मनी यानी मनी का अपनी जगह से शह्वत के साथ जुदा हो कर जिस्म से बाहर निकलना। सोने में या जागने में, बेहोशी में या होश में, जिमाअ़ में या बग़ैर जिमाअ़ के, किसी ख़्याल व तसव्वुर से या ख़ास हिस्सा को हाथ से हरकत देने (मुश्त ज़नी) से या लवातत (इग़लाम बाज़ी) से या किसी मुर्दा जानवर से ख़्वाहिश पूरी करने से।

अगर मनी अपनी जगह से बशह्वत जुदा हुई मगर ख़ास हिस्सा से बाहर निकलते वक़्त शह्वत न थी तब भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। मिसालः मनी अपनी जगह से बशह्वत के साथ जुदा हुई, मगर उसने ख़ास हिस्सा के सूराख़ को हाथ से बन्द कर लिया या रूई वग़ैरह रख ली, थोड़ी देर के बाद जब शह्वत जाती रही तो उसने ख़ास हिस्सा के सूराख़ से रूई या हाथ हटा लिया और मनी बग़ैर शह्वत ख़ारिज हो गई।

मस्अला : अगर किसी के ख़ास हिस्सा से कुछ मनी निकली और कुछ अन्दर बाक़ी रह गई और उसने ग़ुस्ल कर लिया, बाद ग़ुस्ल के वह मनी जो बाक़ी रह गई थी वह बग़ैर शह्वत के निकली तो इस सूरत में पहला ग़ुस्ल बातिल हो जाएगा, दोबारा फिर ग़ुस्ल करना फ़र्ज़ है, बशर्तेकि यह बाक़ी मनी क़ब्ल सोने के और क़ब्ल पेशाब करने के और क़ब्ल चालीस क़दम या उससे ज़्यादा चलने के निकली हो।

मस्अला : अगर किसी के ख़ास हिस्सा से पेशाब करने के बाद मनी निकले तो उस पर भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ होगा बशर्तेकि शह्वत के साथ हो।

मस्अला : अगर किसी मर्द या औरत को अपने जिस्म या कपड़े पर सो कर उठने के बाद तरी मालूम हो तो उसमें चौदा सूरतें हैं मिन्जुमला उनके सात सूरतों में ग़ुस्ल फ़र्ज़ है।

(1) यक़ीन हो जाए कि यह मनी है और एहतिलाम याद हो। (2) यक़ीन हो जाए कि यह मनी है और एहतिलाम याद न हो। (3) यक़ीन हो जाए कि यह मज़ी है और एहतिलाम याद हो। (4) शक हो कि यह मनी है या मज़ी है और एहतिलाम याद हो। (5) शक हो कि यह मनी है या वदी है और एहतिलाम याद हो। (6) शक को कि यह मज़ी है या वदी है और इहतिलाम याद हो। (7) शक हो कि यह मनी है या मज़ी है या वदी है और एहतिलाम याद हो।

मस्अला : अगर किसी शख़्स का ख़त्ना न हुआ हो और उसकी मनी ख़ास हिस्सा के सूराख़ से बाहर निकल कर उस खाल के अन्दर रह जाए जो ख़त्ना में काट दी जाती है तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा अगरचे वह मनी उस खाल से बाहर न निकली हो। (बह्रुर्राइक़)।

दूसरा सबब : ईलाज यानी किसी शह्वत वाले मर्द के ख़ास हिस्सा के सर का यानी सुपारी का किसी ज़िन्दा औरत के ख़ास हिस्सा में या किसी दूसरे ज़िन्दा आदमी के मुश्तरक हिस्सा में दाख़िल होना ख़्वाह मर्द हो या औरत या मुख़न्नस, मनी गिरे या न गिरे, इस सूरत में अगर दोनों में ग़ुस्ल के सही होने की शर्तें पाई जाती हैं तो दोनों पर वरना जिसमें पाई जाती हैं उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। अगर औरत कुंवारी (ग़ैर

शादी शुदह) हो तो उसमें यह भी शर्त है कि उसकी बुकारत दूर हो जाए।

मस्अला : औरत कम सिन (कम उम्र) हो मगर ऐसी कम सिन न हो कि उसके साथ जिमाअ़ करने से उसके ख़ास हिस्सा और मुश्तरक हिस्सा मिल जाने का ख़ौफ़ हो तो उसके ख़ास हिस्सा में मर्द के ख़ास हिस्सा का सर दाख़िल होने से मर्द पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, अगर उस में ग़ुस्ल के सही होने की शर्तें पाई जाती हो।

मस्अला : जिस मर्द के खुसये कट गए हों उसके ख़ास हिस्सा का सर अगर किसी के मुश्तरक हिस्सा या औरत के ख़ास हिस्सा में दाख़िल हो तब भी ग़ुस्ल फर्ज़ हो जाएगा दोनों पर वरना जिसमें ग़ुस्ल के सही होने की शर्तें पाई जाती हों उसी पर।

मस्अला : अगर किसी मर्द के ख़ास हिस्सा का सर कट गया हो तो उसके जिस्म से उसी मिक़्दार का एतेबार किया जाएगा।

मस्अला : अगर कोई मर्द अपने ख़ास हिस्सा को कपड़े वग़ैरह से लपेट कर दाख़िल करे तो अगर जिस्म की हरारत महसूस हो तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा।

मस्अला : अगर औरत शह्वत के ग़लबा में अपने ख़ास हिसा में किसी बेशह्वत मर्द या जानवर के ख़ास हिस्सा को या किसी लकड़ी वग़ैरह को या अपनी उंगली को दाख़िल करे तब भी उस पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा, मनी गिरे या न गिरे।

(शामी हाशिया दुर्रे मुख़्तार, बह्रुर्राइक़)।

तीसरा सबब : हैज़ यानी किसी औरत के ख़ास हिस्सा से हैज़ के ख़ून का बाहर आना, कम से कम मुद्दत हैज़ की तीन दिन तीन रात है और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रात और कम से कम दो हैज़ों के दरमियान में पन्द्रह दिन पाक रहती है यानी एक हैज़ के बाद कम से कम पन्द्रह दिन तक दूसरा हैज़ न आता हो और ज़्यादा की काई हद नहीं है मुम्किन है कि किसी औरत को तमाम उम्र हैज़ न आए।

हैज़ की मुद्दत में सिवा ख़ालिस सपेदी के और जिस रंग का ख़ून आए हैज़ समझा जाएगा। ज़िस औरत के हैज़ की आदत मुक़र्रर हो गई हो उसको अगर आदत से ज़्यादा ख़ून आए मगर दस दिन से ज़्यादा न हो तो वह हैज़ का ख़ून समझा जाएगा।

मिसाल : किसी औरत को पाँच दिन हैज़ आया करता है उसको अगर नौ दिन या दस दिन ख़ून आए तो यह सब हैज़ समझा जाएगा। अगर किसी औरत को तीन दिन या ज़्यादा या अगर आदत मुक़र्रर हो गई हो तो आदत के मुवाफ़िक़ ख़ून बन्द हो जाए और पन्द्रह दिन या उससे ज़्यादा बन्द रहे और उसके बाद फिर ख़ून आए तो यह दोनों ख़ून अलाहिदा अलाहिदा दो हैज़ समझे जाएंगे।

मस्अला : अगर किसी औरत को दस दिन से कम हैज़ हो कर बन्द हो जाए और पन्द्रह दिन से कम बन्द रहे, उसके बाद फिर ख़ून आए तो ख़ून आने के वक़्त से दस दिन तक उसके हैज़ का ज़माना समझा जाएगा, अगर आदत मुक़र्रर न हो वरना ख़ून आने के दिन से बक़द्र आदत के हैज़ समझा जाएगा।

मिसला : जिस औरत की आदत मुक़र्रर नहीं उसको एक दिन ख़ून आया, उसके बाद चौदह दिन तक बन्द रहा उसके बाद फिर ख़ून आया तो एक दिन वह जिस में ख़ून आया और नौ दिन वह जिनमें ख़ून नहीं, यह जुमला दस दिन हैज़ समझे जाएंगे।

जिस औरत की आदत सात दिन हैज़ की हो, उसको एक दिन ख़ून आया और चौदह दिन बन्द रहा तो एक दिन वह जिस में ख़ून आया और छेः दिन वह जिनमें ख़ून नहीं आया जुमला सात दिन उसके हैज़ समझे जाएंगे।

हैज़ बन्द होने या मुद्दत के ख़त्म पर ग़ुस्ल करे। (हिदाया स0 11, व स0 12, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 54, शरह नक़ाया, 15, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 86, आलमगीरी स0 214, जिल्द अव्वल, इम्दादुल–फ़तावा स0 49, ता स0 53, जिल्द 1)।

चौथा सबब : निफ़ास यानी औरत के ख़ास हिस्सा या मुश्तरक हिस्सा से निफ़ास के ख़ून का बाहर निकलना। निफ़ास का हुक्म उस वक़्त के ख़ून से दिया जाएगा जो निस्फ़ से ज़्यादा हिस्सा बच्चा के बाहर आने के बाद निकले, उससे पहले जो ख़ून निकले वह निफ़ास नहीं। (बहरुर्राइक़ वग़ैरह)।

ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत निफ़ास की चालीस दिन व रात है और कम मुद्दत की कोई हद नहीं, मुम्किन है कि किसी औरत को बिल्कुल निफ़ास न आए।

कम से कम निफ़ास और हैज़ के दरमियान में औरत पन्द्रह दिन ताहिर (पाक) रहती है निफ़ास की मुद्दत में सिवा ख़ालिस सपेदी के और जिस रंग का ख़ून आए वह निफ़ास समझा

जाएगा जिस औरत की आदत मुक़र्रर हो उसको आदत से ज़्यादा ख़ून आए मगर चालीस दिन से ज़्यादा न हो तो वह सब निफ़ास समझा जाएगा।

मिसला : किसी औरत को बीस दिन निफ़ास की आदत हो उसको उन्तालीस दिन या पूरे चालीस दिन ख़ून आए तो यह सब ख़ून निफ़ास समझा जाएगा।

मस्अला : अगर किसी औरत को चालीस दिन से कम निफ़ास हो कर बन्द हो जाए और फिर चालीस दिन के अन्दर ही दूसरा ख़ून आए और वह ख़ून चालीस दिन की हद से आगे न बढ़े तो यह सब ज़माना यानी जिसमें पहला ख़ून आया और जिसमें बन्द रहा और जिसमें दूसरा ख़ून आया निफ़ास समझा जाएगा। और अगर दूसरा ख़ून चालीस दिन की हद से आगे बढ़ जाए तो पहले ख़ून से चीलीस दिन तक अगर आदत मुक़र्रर न हो और अगर आदत मुक़र्रर हो तो बक़द्रे आदत समझा जाएगा।

मिसला : (1) किसी औरत को आदत वाली हो या बे आदत पन्द्रह दिन निफ़ास हो कर बीस दिन बन्द रहा और पाँच दिन फिर ख़ून आया तो यह सब ज़माना जिसका मज्मूआ चालीस दिन होता है निफ़ास समझा जाएगा।

(2) जिस औरत की आदत बीस दिन निफ़ास की हो, उसको पन्द्रह दिन ख़ून आकर पन्द्रह दिन बन्द रहे और फिर ग्यारह दिन ख़ून आए तो पन्द्रह दिन जिनमें पहला ख़ून आया है और पाँच दिन जिनमें ख़ून बन्द रहा जुमला बीस दिन उसका निफ़ास होगा, इसलिए कि दूसरा ख़ून चालीस दिन की हद से आगे बढ़ गया है।

मस्अला : अगर किसी औरत के दो बच्चे पैदा हों और दोनों की विलादत में छेः महीने से कम फ़स्ल (वक़्फ़ा) हो तो उसका निफ़ास पहले बच्चा के बाद से होगा। पस अगर दूसरा बच्चा चालीस दिन के अन्दर पैदा हुआ तो जो ख़ून उसके बाद आए वह भी निफ़ास है बशर्तेकि इतने दिन आए कि पहले ख़ून से मिल कर चालीस दिन या उससे कम हो ज़्यादा न हो और अगर इतने दिन हो कि पहले ख़ून से मिल कर चालीस दिन से ज़्यादा हो जाए तो अगर उसकी आदत मुक़र्रर न हो तो चालीस दिन तक वरना जिस क़द्र आदत है उस क़द्र निफ़ास समझा जाएगा।

मस्अला : अगर किसी औरत के दो बच्चे पैदा हों और दोनों की विलादत में छेः महीना या उससे ज़्यादा का फ़स्ल हो और दोनों बच्चों के बाद ख़ून आए तो वह दोनों ख़ून अलाहिदा अलाहिदा दो निफ़ास समझे जाएंगे।

मस्अला : अगर किसी औरत के पेट में ज़ख़्म वग़ैरह की वजह से सूराख़ हो गया हो और बच्चा उस सूराख़ से पैदा हो गया हो तो अगर ख़ून उसके ख़ास हिस्सा या मुश्तरक हिस्सा से बाहर आए तो वह निफ़ास समझा जाएगा। (बह्रुर्राइक़ वग़ैरह, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 88, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : एहतिलाम (बदख़्वाबी) से भी ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, मर्द व औरत पर, बशर्तेकि मनी ख़ारिज हो जाए। (हिदाया स0 11, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 54)।

मस्अला : ख़ुलासा यह कि चार चीज़ों से ग़ुस्ल वाजिब होता है। (1) जोश के साथ मनी निकलना। (2) मर्द की सुपारी

का अन्दर चला जाना। (3) हैज़ और (4) निफ़ास के ख़ून का बन्द हो जाना। (बहिश्ती ज़ेवर स0 75, जिल्द अव्वल)।

जनाबत में गुस्ल की हिक्मत

सवाल : एक हिन्दू ने एतेराज़न मुझसे कहा है कि अह्ले इस्लाम अंधा धुंद इबादत करते है। और तहक़ीक़ से कोई वास्ता नहीं, मसलन मनी के निकलने से गुस्ल लाज़िम होता है कि तमाम जिस्म का गुस्ल किया जाए बल्कि सिर्फ़ उज़्वे तनासुल की तत्हीर से इंसान पाक हो जाता है अगर तमाम ही बदन नापाक हो जाता है तो किस तरह?

जवाब : यह अल्लाह तआला की हिक्मतें हैं कि उनको हर एक अह्ले इस्लाम भी नहीं पहचानता, चे जाए कि ग़ैर मुस्लिम, बस इस बहस में नहीं पड़ना चाहिए।

मुख़्तसर यह कि मनी चूंकि बदन के तमाम हिस्सों से सिमट कर ख़ारिज होती है, फिर यह कि गुस्ल से बदन से ज़ाए शुदा कुव्वत की तलाफ़ी हो जाती है। इसलिए इस्लाम ने तमाम जिस्म का धोना यानी गुस्ल को ज़रूरी क़रार दिया है।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 154, जिल्द 1)।

गुस्ल ख़ाना कैसा हो ?

मस्अला : बग़ैर छत के गुस्ल ख़ाना में बल्कि अगर तन्हा हो तो खुली फ़ज़ा में भी बरहना (नंगा) हो कर गुस्ल करना जाइज़ है, अल्बत्ता गुस्ल ख़ाना के दरवाज़ा पर पर्दा डालना अफ़्ज़ल है, (जबकि किवाड़ न हों) ऊपर की तरफ़ यानी छत की तरफ़ पर्दा की कोई हाजत नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 32, जिल्द 2)।

बरहना (नंगा) गुस्ल करना जाइज़ तो है मगर ख़िलाफ़े सुन्नत है, और मुस्तहब व अफ़्ज़ल यही है कि लुंगी वग़ैरह बांध कर गुस्ल करे, क्योंकि अबू दाऊद शरीफ़ की हदीस में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया "अल्लाह तआला शर्म करने वाले और पर्दा करने वाले को पसन्द करता है, लिहाज़ा जब तुम में से कोई गुस्ल करे तो ज़रूर पर्दा करे।" (तहतावी स0 57)

मस्अला : गुस्ल ख़ाना में अगर बेपर्दगी कहीं से नहीं होती तो उसमें बरहना होकर नहाना दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 160, जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया स0 387, जिल्द 4 बहवाला गुनयतुल–मुस्तमली स0 50)।

(नीज़ तन्हा मकान में बरहना भी गुस्ल दुरुस्त है जबकि कहीं से बेपर्दगी न होती हो। और गुस्ल के वुज़ू से नमाज़ दुरुस्त है।)।

मस्अला : गुस्ल ख़ाना में अगर रोशनी का इंतिज़ाम नहीं है तो वहाँ पर रोशनी का इंतिज़ाम कर लें ख़्वाह चराग़ से या बिजली से। (मफ़्हूम फ़तावा महमूदिया स0 202, जिल्द 10)।

मस्अला : पर्दा की जगह पर कपड़े उतार कर गुस्ल करना जाइज़ है, नीज़ अगर मर्द खुले मैदान में नाफ़ से घुटनों तक कपड़ा बांध कर गुस्ल करे तो जाइज़ है और नाफ़ से घुटनों तक (सत्र का हिस्सा) खोलना हराम है (किसी के सामने)। आपके मसाइल स0 50, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर नैकर, जांघिया पहन कर कपड़े के नीचे पानी पहुँच जाए और बदन का पोशीदा हिस्सा भी धुल जाए तो गुस्ल सही है। (आपके मसाइल स0 51, जिल्द 2)।

मस्अला : अटैच्ड बाथ रूम में गुस्ल सही है जबकि वह पाक हो और नापाक जगह से छींटें भी न आती हों। अगर वह जगह मश्कूक हो, तो पानी बहा कर पहले उसको पाक कर लिया जाए, फिर गुस्ल किया जाए। (आपके मसाइल स0 53, जिल्द 2)।

मस्अला : गुस्ल करना बैठ कर या खड़े हो कर दोनों तरह जाइज़ है। और बैठ कर गुस्ल करना इस ऐतबार से कि उसमें पर्दा ज़्यादा है, अफ़ज़ल होगा। (जबकि बग़ैर कपड़ों के खुली जगह पर गुस्ल कर रहा है)। (इम्दादुल–फ़तावा स0 36, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मर्द पर गुस्ल वाजिब हो (पर्दा वग़ैरह या बांधने के लिए कपड़े वग़ैरह का इंतिज़ाम न हो तो) और मर्दों के सामने नहाना पड़े और इसी तरह औरत पर गुस्ल ज़रूरी हो और उसे सिर्फ़ औरतों के मज्मा में नहाना पड़े तो नहा सकते हैं।

(कश्फुल–असरार स0 25, जिल्द अव्वल, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 101, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स0 169, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गुस्ल ख़ाना या बैतुल–ख़ला में अवाम बातें करने को नाजाइज़ समझते हैं, यह भी ग़लत है। अल्बत्ता बिला ज़रूरत बातें न करें। (अग़्लातुल–अवाम स0 29)।

मस्अला : अगर गुस्ल बिल्कुल बरहना हो कर किया जाए तो इस सूरत में क़िब्ला की तरफ़ मुँह या पीठ करना मक्रूहे तंज़ीही है, बल्कि शिमालन जुनूबन होना चाहिए, और अगर सत्र ढांक कर गुस्ल किया जाए तो इस सूरत में किसी भी तरफ़ रुख़ करके गुस्ल किया जा सकता है। (आपके मसाइल स0 54, जिल्द 2)।

गुस्ल ख़ाना में जाने और निकलने का मस्नून तरीक़ा :

मस्अला : गुस्ल ख़ाना (बाथरूम) में बिल–उमूम सफ़ाई नहीं होती इसलिए बैतुल–ख़ला (फ़्लेश) की तरह गुस्ल ख़ाना में दाख़िल होते वक़्त पहले बायाँ पाँव अन्दर रखे और निकलते वक़्त दायाँ पाँव निकाले। गुस्ल से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मस्नून है, मगर गुस्ल ख़ाना में दाख़िल होने से पहले पढ़े और फ़ारिग़ होने के बाद गुस्ल ख़ाना से बाहर निकल कर वुज़ू वाली दुआ पढ़े। अगर गुस्ल ख़ाना निहायत साफ़ सुथरा हो और उसके अन्दर बैतुल–ख़ला (फ़्लेश अटैच्ड) न हो तो उसमें दाख़िल होते वक़्त और निकलते वक़्त जो पाँव चाहे रखे और बिस्मिल्लाह भी गुस्ल ख़ाना के अन्दर कपड़े उतारने से पहले पढ़े। अगर कोई लुंगी वग़ैरह बांध कर गुस्ल कर रहा हो तो कपड़े उतारने के बाद बिस्मिल्लाह पढ़े और हालते गुस्ल में वुज़ू की दुआएं भी पढ़ सकता है। (अहसनुल फ़तावा स0 37, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 145, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 159, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गुस्ल बैठ कर करना औला है, क्योंकि उसमें पर्दा ज़्यादा है। रिवायात से मफ़्हूम होता है कि आप (स0) बैठ कर गुस्ल फ़रमाते थे। (अहसनुल–फ़तावा स0 35, जिल्द 2)।

मस्अला : गुस्ल करते वक़्त जो लोग बुलन्द आवाज़ से कलिमए तैय्यबा वग़ैरह पढ़ते रहते हैं यह नाजाइज़ और ख़िलाफ़े अदब है। (नमाज़ मस्नून स0 102)।

मस्अला : गुस्ल करते वक़्त कोई दुआ, कोई कलिमा पढ़ना

ज़रूरी नहीं है और न दुरूद शरीफ़ ज़रूरी है, बल्कि अगर बदन पर कपड़ा न हो तो ऐसी हालत में दुआ, कलिमा और दुरूद शरीफ़ वग़ैरह जाइज़ ही नहीं है, बरहनगी (नंगे होने) की हालत में ख़ामोश रहने का हुक्म है उस वक़्त कलिमा वग़ैरह पढ़ना ना वाक़िफ़ों की ईजाद है। (आपके मसाइल स0 49, जिल्द 2)।

ग़ुस्ल खाना में पेशाब करना

मस्अला : ग़ुस्ल ख़ाना अगर कच्चा है उसमें पेशाब बह कर नहीं निकलता तो ऐसे ग़ुस्ल ख़ाना में पेशाब करना मक्रूहे तहरीमी है और अगर ग़ुस्ल ख़ाना पुख़्ता है कि पानी के साथ पेशाब भी बह कर निकल जाता है तो ऐसे ग़ुस्ल ख़ाना में पेशाब करना मक्रूह नहीं है, जैसा कि आज कल आम तौर पर शहरों में ग़ुस्ल ख़ाने पक्के बने हुए होते हैं कि उसमें पानी निकलने की नाली भी बनी हुई होती है। नीज़ आजकल तो अक्सर दिहातों में भी पक्के बनते हैं इसलिए आजकल ग़ुस्लख़ानों में (ज़रूरत के वक़्त जहाँ पर पेशाब ख़ाना नहीं है, या ग़ुस्ल के वक़्त) पेशाब करके अगर पानी बहा दिया जाए तो बिला कराहत जाइज़ है। (बज़्लुल–जुहूद स0 19, जिल्द 1)।

मस्अला : ग़ुस्ल ख़ाना में पेशाब नहीं करना चाहिए, इससे वस्वसा का मरज़ हो जाता है और अगर ग़ुस्ल ख़ाना में किसी ने पेशाब कर दिया हो तो ग़ुस्ल से पहले उसको धो कर पाक कर लेना चाहिए। (आपके मसाइल स0 32, जिल्द 2)।

ग़ुस्ल में मस्नूई दाँतों का हुक्म

मस्अला : दाँत में चाँदी भरी होने पर ग़ुस्ल और वुज़ू हो जाता है।

मस्अला : मस्नूई दाँत लगा कर वुज़ू हो जाता है, उनका निकालना ज़रूरी नहीं है। (आपके मसाइल स0 43, जिल्द 2 व अहसनुल फ़तावा स0 32, जिल्द 2)।

मस्अला : दाँतों के बीच में डली का धुरा (छालिया का टुकड़ा वग़ैरह) फंस गया तो उसको ख़िलाल से निकाल डाले, अगर उसकी वजह से दाँतों के बीच में पानी न पहुँचे तो गुस्ल न होगा। (बहिश्ती ज़ेवर स0 58, जिल्द अव्वल बहवाला मुनयतुल मुस्तमली स0 17)।

मस्अला : अगर आसानी से निकल सकता हो तो निकाल देना चाहिए। दाढ़ दाँत से छाली वग़ैरह। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 154, जिल्द 1, बहवाला आलमगीरी स0 13, इम्दादुल–फ़तावा स0 46, जिल्द 1)।

मस्अला : दाँतों में जिन का धोना है, ख़ला हो या झिर्री हो और उसमें ग़िज़ा फ़ंस कर रह गई हो, तो उससे गुस्ल बातिल नहीं होता। लेकिन ज़्यादा एहतियात इसी में है कि दाँत के दरमियान और मसूढ़ों पर जो ग़िज़ा या मैल कुचैल हो उसको निकाल दिया जाए यानी साफ़ कर लिया जाए ताकि पानी उस जगह पर पहुँच जाए। नीज़ अगर किसी ने मुँह में पानी डाला और निगल लिया यानी पी लिया तो कुल्ली का फ़र्ज़ अदा हो गया बशर्तेकि पानी तमाम मुँह में पहुँच गया हो। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 181, जिल्द अव्वल)।

मसला : अगर दाँतों के अन्दर कोई ऐसी चीज़ फंसी हुई हो जो पानी के पहुँचने में रुकावट हो तो गुस्ले जनाबत (नापाकी के

गुस्ल) के लिए उसका निकालना ज़रूरी है। वरना गुस्ल सही न होगा। मगर यह हुक्म उसी वक़्त है जबकि उसका निकालना बगै़र मुशक़्क़त के मुम्किन भी हो, लेकिन जो चीज़ इस तरह पैवस्त हो जाए कि उसका निकालना मुम्किन न रहे, मसलन दाँतों पर सोने चाँदी का ख़ोल इस तरह जमा दिया जाए कि वह उतर न सके तो उसके ज़ाहिरी हिस्सा को दाँत का हुक्म दे दिया जाएगा। उसको उतारे बेगै़र गुस्ल जाइज़ होगा, नीज़ दाँत (में मसाला वगै़रह) भरवाने के बाद जब मसाला दाँत के साथ पैवस्त हो जाएगा उसका हुक्म अजनबी चीज़ का नहीं रहता, इसलिए वह गुस्ल सही होने से माने नहीं है। (आपके मसाइल स0 52, जिल्द 2) व फ़तावा दारुल–उलूम स0 155, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 143, जिल्द अव्वल व आलमगीरी स0 13, जिल्द अव्वल बाबुल–गुस्ल)।

(यानी उसके होते हुए गुस्ल सही है। मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरा लहू)।

मस्अला : टूटे हुए दाँत को ख़्वाह तार वगै़रह से बाँधे, गुस्ल में कुछ हरज नहीं होगा, गुस्ल में मज़मज़ा (यानी कुल्ली) कर लेना काफ़ी होगा। (दाँतों की जड़ में पानी पहुँचना मक़्सूद और ज़रूरी नहीं है और जिस काम में हरज हो वह शरअन मआफ़ है।) (फ़तावां दारुल–उलूम स0 156, जिल्द अव्वल बहवाला आलमगीरी स0 12, जिल्द अव्वल व निज़ामुल–फ़तावा स0 401, जिल्द 1)

मस्अला : वुज़ू और गुस्ल की हालत में मुँह के अन्दर कोई रेज़ा (चने से कम) हो और न निकाले तो गुस्ल और वुज़ू दुरुस्त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 157, जिल्द अव्वल बहवाला

आलमगीरी बाब फ़राइज़े वुज़ू स0 12, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो लोग पान खाने के आदी हैं या जो औरतें मिस्सी कसरत से लगाती हैं उनके दाँतों में चूना व मिस्सी की तह जम हाती है, अगर छुड़ाने में दुश्वारी हो तो फिर बग़ैर छुड़ाए वुज़ू व ग़ुस्ल दुरुस्त है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 48, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दाँतों के दरमियान खाना वग़ैरह उमूमन पानी जैसी लतीफ़ चीज़ को पहुँचने से नहीं रोकता, लेकिन दाँतों के दरमियान फंसे हुए ग़िज़ा के रेज़े का निकालना अफ़्ज़ल है और एहतियात का तक़ाज़ा यही है। (कश्फुल–असरार स0 23, जिल्द अव्वल)।

अगर नापाक ने पानी में हाथ डाल दिया :

सवाल : अगर जुनुबी ने बालटी में हाथ डाल कर और पानी लेकर ग़ुस्ल किया तो पानी पाक रहेगा या नहीं?

जवाब : अगर नापाक के हाथ में ज़ाहिरी नजासत न लगी हो तो पानी पाक है मगर हाथ डालने से मुस्तामल हो जाने की वजह से उस पानी से ग़ुस्ल दुरुस्त न होगा, लिहाज़ा हाथ धो कर बालटी में डाले। अल्बत्ता अगर बग़ैर हाथ डाले पानी लेने की और कोई सूरत न हो तो ऐसी मज्बूरी में यह पानी मुस्तामल शुमार न होगा। बाज़ फ़तावा के मुताबिक़ अगर सिर्फ़ उंगलियाँ पानी में डालीं, हथेली नहीं डूबी तो पानी मुस्तामल नहीं हुआ, मगर उसकी वजह ग़ैर मअक़ूल है। (अहसनुल–फ़तावा स0 40, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 184, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जुनुबी का ऐसे बर्तन में हाथ डालना जिसमें नल में से पानी बालटी में गिर कर बहने लगे और जुनुबी हाथ डाल कर ग़ुस्ल करने लगे तो यह पानी पाक है और इससे ग़ुस्ल भी दुरुस्त है इसलिए कि यह जारी है। (अहसनुल–फ़तावा स0 41, जिल्द 2, बहवाला हिदाया स0 36, जिल्द 1)।

मस्अला : बच्चा के हाथ डालने से पानी नजिस नहीं होता, अल्बत्ता अगर मालूम हो जाए कि उसके हाथ में नजासत लगी थी तो नापाक हो जाएगा, चूंकि छोटे बच्चों का एतेबार नहीं है, इसलिए दूसरे पानी के होते हुए उस पानी से वुज़ू (व ग़ुस्ल) करना बेहतर नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 41, जिल्द 2, बहवाला मुनया)।

ग़ुस्ल के पानी की छींटों का हुक्म

मस्अला : ग़ुस्ल के वक़्त नीचे से छींटें उठ कर बालटी में गिरती है। तो यह पाक हैं (थोड़ी बहुत छींटों से वह पानी नापाक नहीं होता) इससे ग़ुस्ल भी सही है, क्योंकि मुस्तामल पानी दूसरे पानी से कम हो तो वह मुतह्हिर है (पाक करने वाला) अल्बत्ता मुस्तामल पानी ज़्यादा हो या दोनों बराबर हों तो उससे ग़ुस्ल दुरुस्त नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 41, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 168, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 160, जिल्द अव्वल स0 173, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ग़ुस्ल ख़ाना की दीवारों पर जो छींटें पड़ती हैं, उससे ग़ुस्ल में नुक़्स नहीं होता ग़ुस्ल हो जाता है, वहम न किया जाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 158, जिल्द 1

अल—अशबाह वन्नज़ाइर स0 98)।

मस्अला : वुज़ू या ग़ुस्ल में इस्तेमाल शुदा पानी पाक है लेकिन उसका अन्दरूनी इस्तेमाल मक्रूहे तंज़ीही है, उससे वुज़ू और ग़ुस्ल दुरुस्त नहीं है। अलबत्ता नजासते हक़ीक़ीया के लिए मुतह्हिर है यानी उससे नजिस चीज़ें धोई जाएँ तो पाक हो जाएगी। (अहसनुल—फ़तावा स0 40, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल—मुह्तार स0 185, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ग़ुस्ल करने वाले की छींट अगर हौज़ में पड़ जाए तो हौज़ का पानी पाक है उसमें कोई फ़र्क़ नहीं होता। (फ़तावा दारुल—उलूम स0 365, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल—मुह्तार स0 185, जिल्द 1 बाबुल—मियाह)।

मुँह के अन्दरूनी व बैरूनी हुदूद क्या हैं ?

मस्अला : ग़ुस्ल में मुँह के अन्दर इस हद तक धोना फ़र्ज़ है जो कि वुज़ू में मस्नून है जिसको कुल्ली यानी मज़मज़ा कहते हैं और मुँह उठा कर ग़र ग़रा करना यह सुन्नत है फ़र्ज़ नहीं है, पस कव्वा जो ज़बान से परे है उसको धोना ग़ुस्ल में फ़र्ज़ नहीं है, फ़र्ज़ इस क़दर है जिस पर इतलाक़ मज़मज़ा का आता है यानी जबकि पानी मुँह में कुल्ली के लिए लेवें तो जहाँ तक सर झुकाए हुए बग़ैर ग़र ग़रा के पानी पहुँच सके वह फ़र्ज़ है, अल—ग़रज़ कुल्ली करना और नाक में पानी डालना जो कि वुज़ू में सुन्नत है ग़ुस्ल में फ़र्ज़ है। नीज़ ग़ुस्ल में नाक में पानी डालना और कुल्ली करना सिर्फ़ एक मरतबा फ़र्ज़ है और बाक़ी सुन्नत है यानी तीन मरतबा सुन्नत है। (फ़तावा दारुल—उलूम स0 152, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल—मुह्तार स0 140, जिल्द

1 व आलमगीरी स0 5, जिल्द अव्वल बाबुल–वुज़ू)।

मस्अला : अगर किसी ने मुँह भर कर पानी पी लिया तो यह कुल्ली के क़ाइम मक़ाम हो जाएगा, फिर मुस्तक़िल अलग से कुल्ली करने की ज़रूरत नहीं है मगर फिर भी कुल्ली कर लेना बेहतर है। (अहसनुल–फ़तावा स0 31, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 141, जिल्द 1)।

मस्अला : ग़ुस्ल में कुल्ली करना नाक में पानी डालना याद नहीं रहा तो बाद में कर ले, ग़ुस्ल को लौटाने की ज़रूरत नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 33, जिल्द 2, व मुनया स0 14)।

मस्अला : अगर ग़ुस्ल में याद आए कि फ़लां जगह सूखी रह गई तो उस जगह को धो डाले सिर्फ़ गीला हाथ फेरना काफ़ी नहीं है, और दोबारा ग़ुस्ल वाजिब नहीं है सिर्फ़ वह जगह धो ले मसलन अगर नाक में पानी नहीं डाला तो नाक में पानी डाले। इसी तरह हर उज़्व को दोबारा धो ले जो सूखा रह गया था, क्योंकि बदन पर बाल बरारब भी जगह सूखी रह गई तो ग़ुस्ल न होगा। (इम्दादुल–फ़तावा स0 43, जिल्द अव्वल)।

औरत के तसव्वुर से मनी का निकलना

सवाल : एक शख़्स को बैठे बैठे किसी लड़की का ख़्याल आया, या उसने किसी को देखा, या औरत की तस्वीर देखी या नाविल वग़ैरह पढ़ते हुए गन्दे ख़्यालात और शह्वत पैदा हुई और उसके बाद ख़्यालात में गुम हो गया, उस वक़्त शर्मगाह से रुतूबत ख़ारिज हुई तो उससे ग़ुस्ल वाजिब होगा या नहीं?

(2) और अगर मनी बिला किसी गन्दे ख़्याल व तसव्वुर के

निकले जैसे कि कभी जिरयान का मरज़ हो तो पेशाब के बाद निकलती है तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा या नहीं?

जवाब : अगर इस तसव्वुर व ख़्याल से शह्वत पैदा हुई और उज़्व में (यानी ज़कर में) इस्तादगी (सख़्ती) पैदा हुई, उसके बाद मनी का ख़ुरूज हुआ यानी मनी निकली तो गुस्ल वाजिब होगा, और अगर मज़ी का ख़ुरूज हुआ तो गुस्ल वाजिब न होगा, मज़ी के निकलने पर सिर्फ़ वुज़ू कर लेना काफ़ी है। (बदन या कपड़े पर मज़ी लगी हो तो उसका धो कर पाक कर लेना ज़रूरी है) निकलने वाली चीज़ मनी है या मज़ी या वदी, उसकी पहचान के लिए तीनों चीज़ों की तारीफ़ और फ़र्क़ मालूम हो तो उसका तऐयुन किया जा सकता है और फिर हुक्म की ताईन भी आसान होगी। फुक़हा–ए–किराम रह. ने हर एक की तारीफ़ इस तरह की है :

मज़ी उस पतली रुतूबत को कहा जाता है जो शह्वत के वक़्त ख़ारिज होती है, उसकी रंगत सपेद होती है, उसमें और मनी में फ़र्क़ यह है कि :

(1) मज़ी के निकलने के वक़्त कोई शह्वत या लज़्ज़त हासिल नहीं होती, मनी में होती है।

(2) मनी का निकलना कुव्वत और जस्त (कूद) के साथ होता है, इसके बाद इंतिशार ख़त्म हो जाता है, मज़ी में यह सब बातें नहीं होतीं। अलावा अज़ीं मनी की रंगत ज़्यादा साफ़ होती है और कच्चे छोहारे की सी बू उसमे होती है, वदी भूरे रंग की होती है जो पेशाब के बाद और कभी उससे पहले निकलती है

और पेशाब से गाढ़ी होती है। (नूरुल–ईज़ाह स0 27)।

उम्दतुल–फ़िक़्ह स0 111, जिल्द 2, मूजिबाते ग़ुस्ल में इस तरह तारीफ़ लिखी है, मनी, मज़ी और वदी में यह फ़र्क़ है कि मर्द की मनी ग़लीज़ और सफ़ेद रंग की होती है और औरतों की मनी पतली और ज़र्द रंग की गोलाई वाली होती है मर्दों की मनी लम्बाई में फैलती है मनी बहुत लज़्ज़त से शह्वत के साथ कूद कर निकलती है और ख़ुरमा (छोहारे) के शगूफ़ा जैसी बू उसमें होती है और उसमें चिपकाहट भी होती है, और उसके निकलने से उज़्वे ख़ास सुस्त हो जाता है, यानी शह्वत व जोश जाता रहता है।

मज़ी पतली सफ़ेदी माइल होती है, शह्वत के साथ बोस व किनार (लिपटने चिमटने और प्यार) करने से बग़ैर कूदे और बेग़ैर लज़्ज़त व शह्वत के निकलती है, उसके निकलने पर शह्वत क़ाइम रहती है और जोश कम नहीं होता, बल्कि और ज़्यादा हो जाता है। और यही चीज़ें जब औरतों में होती हैं तो उसको क़ज़ी कहते हैं।

वदी गाढ़ा पेशाब होता है ख़्वाह पेशाब के बाद बिला शह्वत निकले या बादे जिमाअ़ (सोहबत, व हमबिस्त्री) या ग़ुस्ल के बाद बिला शह्वत निकले।

सूरते मस्ऊला में मज़्कूरा वुजूहात में से किसी वजह से गन्दे ख़्यालात और शह्वत व उज़्व में इस्तादगी पैदा हुई और उसके बाद रुतूबत निकली।

मुन्दरजा बाला मनी, मज़ी की तारीफ़ और अलामत के पेशे नज़र अगर यह फ़ैसला करे कि ख़ारिज होने वाली चीज़ मनी

है तो गुस्ल वाजिब होगा।

मस्अला : गुस्ल फ़र्ज़ होने के अस्बाब में मनी का अपनी जगह से शह्वत के साथ जुदा हो कर जिस्म से बाहर निकलना ख़्वाह सोते में या जागते में, बेहोशी में या होश में, जिमाअ़ से, या बग़ैर जिमाअ़ के किसी ख़्याल व तसव्वुर से या ख़ास हिस्सा को हरकत देने से या किसी और तरह से। (बहिश्ती गौहर स0 17)।

(2) **मस्अला** : अगर उस वक़्त बिल्कुल शह्वत न हो, न गन्दे ख़्यालात हों न उज़्व में इस्तादगी हो और पेशाब के बाद मरज़े जिरयान (धात) की वजह से मनी निकल जाए तो गुस्ल वाजिब न होगा और अगर शह्वत हो और ज़कर मुन्तशिर हो (इस्तादगी हो) तो इस सूरत में गुस्ल वाजिब होगा।

मस्अला : उम्दतुल–फ़िक़्ह स0 79, जिल्द अव्वल में है। अगर किसी ने पेशाब किया और उसके ज़कर से मनी निकली, अगर उसके ज़कर में इस्तादगी थी या वह मनी शह्वत के साथ कूद कर निकली तो गुस्ल वाजिब होगा, और उज़्व सुस्त था और बग़ैर शह्वत के निकली तो वाजिब नहीं (अल्बत्ता वुज़ू टूट जाएगा)। फ़तावा रहीमिया स0 141, जिल्द 7, स0 144, जिल्द 7, बहवाला तहतावी स0 55, व दुर्रे मुख़्तार व शामी स0 149, जिल्द अव्वल अब्हासुल–गुस्ल)।

मस्अला : मज़ी, सफेद रक़ीक़ (पतला) पानी है जो शह्वत के वक़्त निकलती है मगर शह्वत के साथ नहीं निकलती और वदी पेशाब के बाद निकलती है, और यह दोनों (मज़ी और वदी) नजासते ग़लीज़ा हैं। (फ़तावा दारुल–उलमू 308 जिल्द अव्वल

बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153 व 353)।

मस्अला : अगर किसी को धात आए तो उससे गुस्ल वाजिब नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 166, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153, जिल्द अव्वल)।

(मगर वुज़ू टूट जाता है। मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)।

मस्अला : मज़ी नापाक है, कपड़े और बदन पर लगने से कपड़ा और बदन नापाक हो जाता है, उसकी मिक्दार कम हो तो धोना वाजिब नहीं है, बेहतर है, मिक्दार ज़्यादा हो तो धोना ज़रूरी हो जाता है, उसके निकलने से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता, अल्बत्ता वुज़ू टूट जाता है। (फ़तावा रहीमिया स0 264, जिल्द 4)।

जो मर्द व औरत जिस्मानी तौर पर सेहत मन्द और तबई तौर पर बिल्कुल दुरुस्त और मोतदिल होते हैं उनकी मनी का रंग वग़ैरह अक्सर इस तरह का होता है कि मर्द की मनी गाढ़ी, सफ़ेद और औरत की मनी पतली ज़र्द होती है। और यह वज़ाहत इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ मर्दों की मनी किसी मरज़ और नक़्स की वजह से पतली भी हो जाती है। और बाज़ मर्दों की मनी ज़्यादा जिमाअ़ (कसरते मुबाशरत) करने की वजह से सुर्ख़ रंगत इख़्तियार कर लेती है। इसी तरह औरतें जो तबई तौर पर ज़्यादा क़वी होती है उनकी मनी का रंग सफ़ेद होता है। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 140, जिल्द 1)।

नजासत की मआफ़ी का मतलब

मस्अला : मआफ़ी का मतलब यह है कि उसके साथ नमाज़ पढ़ ली और बाद में इस क़लील नजासत का इल्म हुआ तो

नमाज़ के एआदा की ज़रूरत नहीं। या जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ रहा है और नमाज़ के दौरान नजासत का इल्म हुआ और नमाज़ तोड़ने में जमाअत फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो तो नमाज़ न तोड़े, और अगर जमाअत फ़ौत होने का ख़ौफ़ न हो या तन्हा नमाज़ पढ़ रहा हो और क़ज़ा होने का अन्देशा न हो तो अफ़ज़ल यह है कि नमाज़ तोड़ दे और नजासत ज़ाइल करके नमाज़ पढ़े, क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो नमाज़ न तोड़े।

मआफ़ी का मतलब यह नहीं है कि धोने को ज़रूरी न समझे बल्कि अव्वलीन फ़ुर्सत में उसे धो लेना चाहिए। (फ़तावा रहीमिया स0 126, जिल्द 7, बहवाला तहतावी स0 54, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 306, जिल्द अव्वल)।

ख़िज़ाब लगाया हो तो वुज़ू और गुस्ल होगा या नहीं?

मस्अला : सियाह ख़िज़ाब लगाना सख़्त गुनाह है, अहादीस में उस पर सख़्त वईद आई है। (तफ़्सील देखिए फ़तावा रहीमिया स0 290, जिल्द 6)।

लिहाज़ा ख़ालिस सियाह ख़िज़ाब न लगाया जाए, सुर्ख़ या मेंहदी का ख़िज़ाब लगाया जाए, अगर किसी ने बावजूद नाजाइज़ होने के ख़ालिस सियाह ख़िज़ाब लगाया हो अगर वह पानी की तरह पतला हो और ख़ुश्क होने के बाद बालों तक पानी पहुँचने के लिए रुकावट न बनता हो तो इस सूरत में वुज़ू व गुस्ल हो जाएगा। और अगर वह गाढ़ा हो बालों तक पानी पहुँचने के लिए रुकावट बनता हो तो फिर वुज़ू व गुस्ल सही न होगा।

(फ़तावा रहीमिया स0 145, जिल्द 7, बहवाला मिश्कात शरीफ़ स0 383, अबू दाऊद शरीफ़ स0 226, जिल्द 2)।

अगर फ़ैशन की वजह से बालों में रंग लगाया

सवाल : यहाँ नौजवान लड़कों और लड़कियों में सर के बालों को रंगने का फ़ैशन है तो ऐसी हालत में फ़र्ज़ गुस्ल उनका सही होगा या नहीं? ख़िज़ाब पर उसको क़्यास करना सही होगा या नहीं?

जवाब : मेंहदी जैसा रक़ीक़ रंग हो तो गुस्ल सही हो जाएगा मगर यह फ़ैशन क़ाबिले तर्क है।

(फ़तावा रहीमिया स0 146, जिल्द 7)।

जिस्म में कहीं सूराख़ हो जाए तो गुस्ल कैसे करे?

मस्अला : जिस्म में अगर कहीं सूराख़ हो जाए मसलन किसी शख़्स के जिस्म पर गोली लगने से सूराख़ हो जाए तो यह ज़रूरी नहीं है कि नल्की या सलाई वग़ैरह से वहाँ पर पानी पहुँचाने पर मज्बूर किया जाए बल्कि यह वाजिब है कि सिर्फ़ उस हिस्सा तक धोया जाए जहाँ तक्लीफ़ और दुश्वारी न हो। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 187 जिल्द अव्वल व इम्दादुल–फ़तावा स0 57, जिल्द अव्वल)।

एहतिलाम याद न होने पर गुस्ल का हुक्म

मस्अला : मर्द की मनी सफ़ेद और गाढ़ी होती है और औरत की मनी पीली और पतली होती है, मर्द की मनी लम्बाई में गिरती है और औरत की फैल कर, अब अगर सोने के बाद

बिस्तर पर मनी नज़र आए तो जिसकी अलामत पाई जाएगी और जिसको एहतिलाम याद होगा उस पर गुस्ल वाजिब होगा, और जब मनी में तमीज़ न हो और न कोई पहले बिस्तर पर सोया है तो दोनों पर गुस्ल लाज़िम होगा, और अगर कोई पहले सोया हो और बिस्तर की मनी खुश्क हो चुकी हो तो ज़ाहिरी तौर पर यह अलामत होगी कि पहले की है लिहाज़ा उन दोनों में से किसी पर गुस्ल वाजिब न होगा क्योंकि किसी को एहतिलाम होना याद नहीं है। (कश्फुल–असरार स0 38, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मस्त व बेहोश की मस्ती और बेहोशी जब जाती रहे तो गुस्ल उस पर ज़रूरी नहीं है।

(कश्फुल–असरार स0 42, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी को धात आए तो उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 166, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153, जिल्द अव्वल)।

(पेशाब करने से पहले या बाद में गाढ़ा गाढ़ा पानी पेशाब की तरह का होता है)।

मस्अला : नींद से उठ कर उज़्व पर तरी देखी और मनी का असर कपड़े और बदन पर मुतलक़न नहीं और यक़ीन है कि वह मनी नहीं है तो गुस्ल वाजिब नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 168, जिल्द अव्वल बहवाला गुनया स0 41)।

(सिर्फ़ उज़्व को धोना काफ़ी है। मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)।

मस्अला : अगर मनी कपड़े पर गिर जाए और कपड़े को धो कर पाक कर लिया जाए मगर दाग़ व धब्बा न जाए तो कुछ

हरज नहीं है वह कपड़ा पाक है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 324, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 304, जिल्द अव्वल बाबुल–अंजास)।

मनी को रोक लिया जाए तो क्या हुक्म है ?

सवाल : मुझको चन्द रोज़ से बदख़्वानी ज़्यादा होती है और साथ ही यह आदत भी हो गई है कि एहतिलाम को रोक लेता हूँ, बाज़ मरतबा तो क़तरा वग़ैरह कुछ नहीं निकलता और बाज़ वक़्त एक आध क़तरा निकल जाता है, मुझको बाज़ वक़्त यह शुब्ह होता है कि क़तरा शह्वत के साथ निकला और बाज़ मरतबा बग़ैर शह्वत के निकलने का यक़ीन होता है एहतिलाम को रोक देने के बाद बिला शह्वत भी एक दो क़तरा आ जाता है, ऐसी हालत में ग़ुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है या नहीं?

जवाब : जिस सूरत में क़तरा आध क़तरा निकलने का यक़ीन हो उस सरूत में ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है और जिस सूरत में क़तरा वग़ैरह निकलने का यक़ीन बिल्कुल न हो, उस सूरत में ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता और एहतिलाम को रोक लेने के बाद बिला शह्वत अगर क़तरा निकल आए तो इमाम अबू यूसुफ़ रह. उसमें ग़ुस्ल को वाजिब नहीं फ़रमाते और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रह. और इमाम मुहम्मद रह. ग़ुस्ल को वाजिब फ़रमाते हैं और इसमें एहतियात ज़्यादा है (यानी ग़ुस्ल कर लेने में)। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 163, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 149, जिल्द अव्वल)।

मसअला : हन्फ़ीया के नज़्दीक **मनी नापाक** है। (फ़तावा

दारुल–उलूम स0 304, जिल्द अव्वल व रद्दुल–मुह्तार स0 289 जिल्द अव्वल व आलमगीरी मिसरी स0 258 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : एहतिलाम वाले और जुनुबी का हाथ पाक है और जिस बर्तन को वह छुए वह भी पाक है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 347, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 161, जिल्द 1 व मिरक़ात हाशिया मिश्कात स0 49, जिल्द अव्वल)।

(अगर हाथ में गन्दगी लगी हो जैसे मनी वग़ैरह तो नापाक होगा। (मुहम्मद रफ़अत ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : हालते जनाबत का पसीना नापाक नहीं है उससे कपड़ा नापाक नहीं होता। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 323, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 205, जिल्द अव्वल बाब फ़िस्सूर)।

मस्अला : ग़ुस्ल के बाद जो नजिस कपड़ा (एहतिलाम वाला) अगर बदन ख़ुश्क करके वह पहना है तो कुछ हरज नहीं है और अगर बदन तर है तो उस नापाक लिबास को न पहने कि एहतिमाल बदन के नापाक होने का है। (फ़तावा दारुल उलूम स0 319, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 321, जिल्द 1 बाबुल–इस्तिंजा)।

(यानी नापाक कपड़ा ख़ुश्क बदन पर पहन तो सकते हैं लेकिन उससे नमाज़ नहीं पढ़ सकते। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : अगर किसी को एहतिलाम हुआ और उसने उज़्वे मख़्सूस को दबा लिया यहाँ तक कि शह्वत जाती रही फिर उसके बाद मनी निकली तो ग़ुस्ल लाज़िम होगा।

मसला : किसी पर शह्वत की नज़र पड़ गई और मनी अपनी जगह से चली फिर उसने उज़्वे मख़्सूस को दाब लिया, शह्वत थोड़ी देर में खत्म हो गई, अब मनी निकली, या ग़ुस्ल कर लिया और पेशाब नहीं किया था, बाद में पेशाब जब किया तो फिर बक़िया मनी बग़ैर शह्वत निकली तो इन सूरतों में (तरफ़ैन के नज़्दीक, यानी इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. और इमाम मुहम्मद रह.) ग़ुस्ल दोबारा वाजिब होगा।

(कश्फुल–असरार स0 33, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करना ?

मस्अला : ग़ुस्ल से फ़राग़त के बाद बाज़ लोग वुज़ू करते हैं यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ग़ुस्ल के शुरू में वुज़ू कर लेना मस्नून है और अगर ग़लती से किसी ने ग़ुस्ल की इब्तिदा में वुज़ू न किया, बग़ैर वुज़ू ही के तमाम बदन पर पानी डाल कर ग़ुस्ल कर लिया, तब भी ग़ुस्ल के बाद वुज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, जब तमाम बदन पानी डालने से तर हो गया तो उसमें वुज़ू भी हो गया, अगरचे ख़िलाफ़े सुन्नत हुआ। (अल–जवाबुल–मतीन स0 10, व आपके मसाइल स0 49, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर ग़ुस्ल सुन्नत के मुताबिक़ अदा न किया जाए सिर्फ़ कुल्ली कर ली, नाक में पानी डाला और पूरे बदन पर पानी बहा लिया तो पाकी हासिल हो जाएगी क्योंकि ग़ुस्ल में यही तीन चीज़ें फ़र्ज़ हैं। (आपके मसाइल स0 50, जिल्द 2)।

मस्अला : गहरे और जारी पानी में ग़ोता लगाने से जिस्म

पाक हो जाता है बशर्तेकि कुल्ली करना और नाक में पानी डालना भी हो जाए, अगर यह दोनों फ़र्ज़ अदा कर ले तो पानी में डुबकी लगाने से ग़ुस्ल सहीह हो जाएगा। (आपके मसाइल स0 51, जिल्द 2)।

मस्अला : (बड़े) तालाब में जहाँ पर ग़ैर मुस्लिम भी नहाते हों, इस सूरत में ग़ुस्ल जाइज़ है, नापाकी का वहम न करना चाहिए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 153, जिल्द अव्वल)।

निरोध इस्तेमाल करने में ग़ुस्ल का हुक्म ?

मस्अला : आज कल औरत से जिमाअ़ के वक़्त बाज़ लोग निरोध का इस्तेमाल करते हैं, इसके इस्तेमाल की सूरत में ग़ुस्ल वाजिब होगा। और अगर बग़ैर ज़रूरते शरई के ऐसा किया गया (यानी निरोध इस्तेमाल किया गया) तो गुनाह भी सख़्त होगा।

(निज़ामुल–फ़तावा स0 26, जिल्द अव्वल बहवाला मुराक़ियुल–फ़लाह स0 54, जिल्द अव्वल)।

शह्वत अंगेज़ अस्बाब से मनी का निकलना ?

मस्अला : जिमाअ़ के अलावा दूसरे शह्वत अंगेज़ अस्बाब से जो मनी निकलती है उसकी दो हालतें हैं। एक हालत यह है कि शह्वत के साथ उछल कर उज़्वे मख़्सूस की राह से मनी ख़ारिज हो, लिहाज़ा अगर कोई शख़्स अपनी बीवी से हम्किनार हुआ (छेड़ छाड़ की) और ऐसी हालत में बग़ैर दुख़ूल के यानी सोहबत के बग़ैर मनी निकल आई तो ग़ुस्ल वाजिब होगा। और यह मस्अला बताया जा चुका है कि उज़्वे मख़्सूस के दाख़िल करने से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है ख़्वाह मनी निकले या न

निकले। और शह्वत से मनी ख़ारिज होना उस वक़्त तस्लीम किया जाएगा जबकि मनी अपनी जगह से जुदा होते वक़्त लज़्ज़त महसूस हुई हो, लिहाज़ा अगर मनी लज़्ज़त के साथ अपनी जगह से हरकत में आई और उसे निकलने से रोक लिया गया, लेकिन बाद में वह बग़ैर लज़्ज़त के निकली तो भी ग़ुस्ल वाजिब होगा। लेकिन यह जब ही वाजिब होगा कि मनी अपनी जगह से निकल कर उज़्वे मख़्सूस से ख़ारिज भी हुई हो, पस अगर अपनी जगह से हरकत में तो आ गई लेकिन उज़्वे मख़्सूस से ख़ारिज नहीं हुई तो ग़ुस्ल वाजिब न होगा।

मस्अला : जिमअ़ वग़ैरह से किसी क़द्र मनी निकली और पेशाब किए बग़ैर या इतना अर्सा तवक़्क़ुफ़ किये बग़ैर कि बक़िया मनी ख़ारिज हो जाती ग़ुस्ले जनाबत (नापाकी का ग़ुस्ल) कर लिया और ग़ुस्ल के बाद उसी हाल में बाक़ी मनी निकली, लज़्ज़त के साथ निकली हो या बग़ैर लज़्ज़त के तो ऐसी सूरत में दोबारा ग़ुस्ल करना वाजिब है।

मस्अला : रहा उस मनी का मस्अला जो बग़ैर लज़्ज़त के ख़ारिज हुई हो, मसलन रीढ़ पर कोई चोट लगी और मनी निकल आई, या कोई ऐसा मरज़ लाहिक़ हुआ कि मनी बग़ैर लज़्ज़त के निकली तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 176, जिल्द अव्वल व तफ़्सील फ़तावा दारुल–उलूम स0 166, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पेशाब के बाद निकलने वाला माद्दा अगरचे वह

मनी हो मगर बिला शह्वत निकले तो ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। (अहसनुल–फ़तावा स0 34, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मह्तार स0 149, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : यह ग़लत मशहूर है कि सोहबत करने के बाद जब तक पेशाब न करेगा पाक न होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 156, जिल्द ......बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 148, जिल्द अव्वल)।

(सोहबत करने के बाद ग़ुस्ल करना अल्बत्ता फ़र्ज़ है, पेशाब करने पर पाकी का दार व मदार नहीं है, अल्बत्ता सोहबत के बाद पेशाब करने से अमराज़ दूर हो जाते हैं, और मज़ी और मनी की भी सफ़ाई हो जाती है। (मुहम्मद रफ़्अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

एक साथ सोने में ग़ुस्ल किस पर है ?

मस्अला : अगर कोई मर्द सो कर उठने के बाद अपने कपड़ों पर तरी देखे और क़ब्ल सोने के उसके ख़ास हिस्सा को इस्तादगी न हो तो उस पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ न होगा। और वह तरी मज़ी समझी जाएगी, बशर्तेकि एहतिलाम याद न हो, और उस तरी के मनी होने का ख़्याल न हो। (दुर्रे मुख़्तार)।

मस्अला : अगर दो मर्द या दो औरतें या एक मर्द और एक औरत एक ही बिस्तर पर लेटें और सो कर उठने के बाद उस बिस्तर पर मनी का निशान पाया जाए और किसी तरीक़ा से यह न मालूम हो कि यह किसकी मनी है और न उस बिस्तर पर उनसे पहले कोई और सोया हो तो इस सूरत में दोनों पर ग़ुस्ल फ़र्ज़ होगा। और अगर उनसे पहले कोई और शख़्स उसी बिस्तर पर सो चुका है और मनी ख़ुश्क है तो इन दोनों सूरतों

में ग़ुस्ल किसी पर फ़र्ज़ न होगा। (दुर्रे मुख़्तार, बहरुर्राइक़, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 97, जिल्द अव्वल)।

जनाबत की हालत में सोना ?

मस्अला : रात को जिमाअ़ के बाद ज़ाहिरी नजासत धो कर वुज़ू करके सो जाए मगर नमाज़े फ़ज्र से पहले ग़ुस्ल करके नमाज़ अदा करना ज़रूरी है, नमाज़ क़ज़ा करना जाइज़ नहीं है। (फ़तावा रहीमिया स0 263, जिल्द 4)।

मस्अला : उज़्वे मख़्सूस को धोना और वुज़ू कर लेना जुनुबी के लिए सोने के वास्ते तहारत है जो जुनुबी इस हालत में सोया कि उसने जनाबत के बाद अपना उज़्वे मख़्सूस धो कर वुज़ू कर लिया तो गोया वह पाक हालत में सोया। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 424, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जनाबत की हालत में सोना जाइज़ है। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 434 जिल्द अव्वल)

मुतअद्दद बार जिमाअ़ करने पर कितनी बार ग़ुस्ल करे?

आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया तुम में से कोई शख़्स जब अपनी औरत से जिमाअ़ करे और फिर दोबारा जिमाअ़ का इरादा करे तो उसको चाहिए कि उन दोनों जिमाअ़ के दरमियान वुज़ू कर ले। (मज़ाहिरे हक़ स0 425, जिल्द अव्वल)।

(इस वुज़ू से न सिर्फ़ यह कि पाकीज़गी हासिल होती है बल्कि जिन्सी नशात व लज़्ज़त में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : जुनुबी के लिए मुस्तहब है कि फ़ौरन ग़ुस्ल के

बजाए अगर खाना खाने का या सोने का या फिर दोबारा जिमाअ़ करने का इरादा हो तो अपने उज़्वे मख़्सूस को धो कर उसी तरह पूरा वुज़ू करे जिस तरह कि नमाज़ के लिए वुज़ू किया जाता है।

नीज़ मुतअद्दद बार जिमाअ़ करन की सूरत में भी एक ही ग़ुस्ल काफ़ी होता है। (मज़ाहिरे हक़ स0 425, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : चन्द बार जिमाअ़ (सोहबत, हम बिस्तरी) करने पर बेहतर यह है कि हर जिमाअ़ के बाद मुस्तक़िल्लन यानी अलग से ग़ुस्ल किया जाए और अगर चन्द मरतबा जिमाअ़ के बाद एक ही ग़ुस्ल करे तब भी दुरुस्त है। लेकिन अपने उज़्व को (हर बार) पाक कर ले, नापाक उज़्व से जिमाअ़ न करे। (फ़तावा महमूदिया स0 27, जिल्द 2 बहवाला आलमगीरी स0 29, जिल्द अव्वल, अबू दाऊद शरीफ़ स0 123, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिमाअ़ (सोहबत) के बाद फ़ौरन ग़ुस्ल ज़रूरी नहीं है, बेहतर है, लेकिन अगर कुछ ताख़ीर (किसी वजह से) हो जाए तो कुछ हरज और गुनाह नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 162, जिल्द 1, बहवाला मिश्कात शरीफ़ स0 19, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बीवी से चन्द बार सोहबत करने के बाद आख़िर में सिर्फ़ एक बार ग़ुस्ल करना काफ़ी होता है लेनि हर बार कम अज़ कम अपने उज़्व को धो लेना मुस्तहब है। (अहसनुल–फ़तावा स0 35, जिल्द 2 व फ़तावा दारुल–उलूम स0 1, जिल्द अव्वल बहवाला मिश्कात स0 49, जिल्द अव्वल)।

नापाक हालत में तावीज़ इस्तेमाल करना ?

मस्अला : जिस काग़ज़ पर आयते कुरआनी लिखी हुई हो नापाकी की हालत में उसको छूना जाइज़ नहीं, लेकिन कपड़े वग़ैरह में लिपटा हो तो छूना जाइज़ है। इससे मालूम हुआ कि नापाकी की हालत में तावीज़ पहनना जाइज़ है जबकि वह तावीज़ कपड़े वग़ैरह में लिपटा हुआ हो। (आपके मसाइल स0 78, जिल्द 3)।

रंगरेज़ों के लिए ग़ुस्ल में रिआयत :

मस्अला : तमाम बदन का धोना ग़ुस्ले जनाबत के लिए बिल–इत्तिफ़ाक़ फ़र्ज़ है, चुनांचे अगर बदन का ज़रा सा हिस्सा भी धोने से रह गया तो ग़ुस्ल बातिल हो जाएगा। लिहाज़ा ग़ुस्ल करने वाले पर वाजिब है कि बदन पर से हर ऐसी शय (चीज़) को जो सतहे जिस्म तक पानी पहुँचने से मानेअ़ हो दूर कर दिया जाए। अगर नाख़ुनों में गन्दगी जमी रह गई कि उसके नीचे पानी पहुँचने में रुकावट हो तो ग़ुस्ल न होगा, ख़्वाह नहाने वाला शहरी हो या दिहाती। अल्बत्ता मिट्टी गारे वग़ैरह का मैल अगर नाख़ुनों पर रह जाए तो मआफ़ है। ऐसी सूरतों में जो बाज़ पेशा वरों को पेश आती हैं मसलन बावर्ची (रोटी पकाने वाला) को जिसे हमेशा आटा गूंधने का काम रहता है या जैसे रंग रेज़ (कपड़ा रंगने वाला) कि उसके नाख़ुनों पर गाढ़ा रंग चस्पाँ हो जाता है और उसका छुड़ाना दुशवार होता है क्योंकि यह मज्बूरी है और हालते मज्बूरी में शरीअत, हुक्म से

मुस्तस्ना क़रार देती है। लिहाज़ा इस हाल में ग़ुस्ल बातिल न होगा। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 181, जिल्द 1)।

जिस कपड़े के एक हिस्सा पर मनी का असर हो तो बक़िया का हुक्म ?

सवाल : एहतिलाम होने पर क्या जिस्म के तमाम कपड़े व बिस्तर वग़ैरह नापाक तसव्वुर होंगे? या जिस पर नजासत मालूम हो रही हो वही नापाक तसव्वुर होगा?

जवाब : एहतिलाम होने पर तमाम कपड़े नापाक नहीं होते, बल्कि जिस कपड़े पर जितनी दूर तक मनी का असर मालूम हो वह कपड़ा उसी क़दर नापाक होता है बाक़ी सब पाक हैं। (इम्दादुल–अहकाम स0 393, जिल्द अव्वल)।

(एहतियात इसमें ही है कि तमाम वह कपड़ा जो पहन रखा हो तहबन्द वग़ैरह पाक कर ले। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : नापाक तहबन्द बाँध कर ग़ुस्ल करने में अगर बदन और तहबन्द पर बहुत सा पानी बहा दिया जाए और पहने पहने उसको निचोड़ दिया जाए तो वह पाक हो जाएगा बशर्तेकि ज़ाहिरन नजासत का असर महसूस न हो। (इम्दादुल–अहकाम स0 394, जिल्द अव्वल बहवाला बह्र स0 324, जिल्द 1 व फ़तावा महमूदिया स0 387, जिल्द 4)।

मस्अला : एहतिलाम या सोहबत के बाद नजासत साफ़ करके जांघिया, नैकर पहन कर और उस पर कपड़े पहन लिए जाएं और बाद में ग़ुस्ल करके वही कपड़े पहन लिए जाएं तो

अगर उन कपड़ों पर नजासत नहीं लगी है तो उन कपड़ों से नमाज़ दुरुस्त है। (फ़तावा महमूदिया स0 23, जिल्द 2)।

मस्अला : बीवी से सोहबत के दौरान अगर पसीना निकले और वह पसीना कपड़ों में लग जाए तो महज़ पसीना से कपड़ा नापाक नहीं होता, इसलिए कि इंसान का पसीना पाक होता है लिहाज़ा अगर उस कपड़े पर नजासते हक़ीक़ीया न लगी हो तो उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ना जाइज़ है। (फ़तावा महमूदिया स0 30, जिल्द 2 बहवाला शामी स0 152, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मस्अला : जनाबत (नापाकी) की हालत में खाना पीना और दूसरे ऐसे तसर्रुफ़ात जिनमें पाकी शर्त नहीं, जाइज़ हैं। मगर खाने पीने से पहले इस्तिंजा और वुज़ू कर लेना अच्छा है। क्योंकि सहीहैन में हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि अल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जनाबत की हालत में जब खाने या सोने का इरादा फ़रमाते थे तो वुज़ू फ़रमा लिया करते थे। (आपके मसाइल स0 55, जिल्द 2)।

मस्अला : ग़ुस्ल की हाजत हो तो हाथ मुँह धो कर खा पी ले और रोज़ा रख ले। ग़ुस्ल बाद में कर ले, जनाबत में खाना पीना मक्रूह नहीं है। (आपके मसाइल स0 55, जिल्द 2)।

मस्अला : जनाबत की हालत में किसी से सलाम करना, किसी से मिलना, सलाम का जवाब देना वग़ैरह जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 57, जिल्द 2 व अहसनुल–फ़तावा स0 33, जिल्द 2)।

मस्अला : नापाकी की हालत में बाल व नाखुन कटवाने को

बाज़ फ़ुक़हा ने मक्रूहे तंज़ीही लिखा है। ऐसा न करना चाहिए। (इम्दादुल–फ़तावा स0 58, जिल्द अव्वल व फ़तावा रहीमिया स0 188, जिल्द 3)।

मस्अला : ग़ैर ज़रूरी बालों (ज़ेरे नाफ़ के बालों का हर हफ़्ते साफ़ करना मुस्तहब है, चालीस दिन तक सफ़ाई मुअख़्ख़र करने की इजाज़त है, उसके बाद गुनाह है, लेकिन नमाज़ उस हालत में भी हो जाती है। नीज़ नाफ़ से लेकर रानों की जड़ तक और शर्मगाह (आगे पीछे) के इर्द गिर्द जहाँ तक मुम्किन हो सफ़ाई करना ज़रूरी है। (आपके मसाइल स0 58, जिल्द 2 व फ़तावा रहीमिया स0 239, जिल्द 2)।

मस्अला : सीने के बाल ब्लेड या उस्तुरे से साफ़ किए जा सकता हैं, नीज़ पिंडलियों और रानों के बाल ख़ुद साफ़ करने में कोई मुज़ाइक़ा नहीं है लेकिन दूसरे से साफ़ न कराए क्योंकि यह सत्र है। (आपके मसाइल स0 58, जिल्द 2)।

मस्अला : ऐसा साबुन जो उस्तुरा का काम अंजाम देता हो (बालों के साफ़ करने में) नीज़ उसमें नापाक अज्ज़ा भी शामिल न हों तो उसको उस्तुरा ही के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं।

(निज़ामुल–फ़तावा स0 352, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : तमाम जिस्म के बाल साफ़ कर देना जाइज़ है (अलावा दाढ़ी के) मूंड कर या किसी दवा वग़ैरह से।

(अल–जवाबुल–मतीन स0 39)।

मस्अला : अनीमा के अमल से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता मगर ख़ारिज शुदा पानी चूंकि नजिस है इसलिए बदन और

कपड़ों पर नजासत लग जाती है, उसका धोना ज़रूरी है, नजासत से पाकी हासिल करने के बाद बग़ैर ग़ुस्ल के नमाज़ पढ़ी जा सकती है।

(इजाबत न होने की सूरत में क़ब्ज़ की वजह से दुबुर में यानी पाख़ाना के मक़ाम में दवा रखते हैं जिससे फ़ौरन ही क़ब्ज़ खुल जाता है। उससे ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता बल्कि नजासत दूर करना ज़रूरी है। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

मस्अला : पेशाब का क़तरा आने पर वुज़ू टूट जाता है, दोबारा इस्तिंजा और वुज़ू करना चाहिए। गुस्ल दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर गुस्ल के बाद मनी ख़ारिज हो जाए तो उसमें यह तफ़्सील है कि अगर गुस्ल से पहले सो लिया हो, या पेशाब कर लिया हो या चल फिर लिया हो तो दोबारा गुस्ल की ज़रूरत नहीं। और अगर सोहबत से फ़ारिग़ हो कर फ़ौरन गुस्ल कर लिया, न पेशाब किया, न सोया, न चला फिरा, बाद में मनी ख़ारिज हुई तो दोबारा गुस्ल लाज़िम है। (आपके मसाइल स0 61, जिल्द 2)।

मस्अला : बीवी के ग़ुस्ल और वुज़ू के पानी की क़ीमत शौहर पर लाज़िम है ख़्वाह बीवी मालदार ही क्यों न हो जिस तरह पीने का पानी ज़रूरी है। (कश्फ़ुल–असरार स0 45, जिल्द 1)।

मस्अला : अगर किसी बीमारी की वजह से सर पर पानी डालना नुक़्सान करे और सर को छोड़ कर सारा बदन धो लिया तब भी ग़ुस्ल दुरुस्त हो गया लेकिन जब मरज़ ख़त्म हो जाए तो सर को धोए, नहाने की ज़रूरत नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 57, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 159, जिल्द)।

मस्अला : अगर बालों में या हाथ पैरों में तेल लगा हुआ है कि बदन पर अच्छी तरह ठहरता नहीं है बल्कि पड़ते ही ढलक जाता है तो उसका कुछ हरज नहीं है क्योंकि जब सारे बदन और पूरे सर पर पानी डाल लिया तो गुस्ल सही होगया। (बहिश्ती ज़ेवर स0 58, जिल्द अव्वल बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 160, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पानी में सोने की चीज़ डाल कर गुस्ल करने में कोई गुनाह नहीं है, मगर जिस्म पर छिपकली गिरने पर (यह अक़ीदा रखना कि) जब तक सोने की चीज़ या ज़ेवर पानी में डाल कर न नहाएंगे पाक न होंगे, यह मस्अला ग़लत है।

(आपके मसाइल स0 54, जिल्द 2)।

मस्अला : बाज़ लोग गुस्ल करते वक़्त कलिमए तैयबा पढ़ने को ज़रूरी समझते हैं, बरहना हो कर कलिमए तैयबा पढ़ना जाइज़ नहीं है, बग़ैर कलिमा पढ़े भी गुस्ल हो जाएगा, नहाने के वक़्त कलिमा पढ़ना या कलिमा पढ़ कर पानी पर दम करना, और उसको सवाब समझना बिदअत है। (इम्दादुल—मसाइल स0 54)।

मस्अला : मुश्तज़नी (हाथ से मनी निकालना) हुसूले लज़्ज़त के लिए हराम और मूजिबे लानत है लेकिन इस अमल में शह्वत से मनी का खुरूज होता है इसलिए गुस्ल वाजिब होगा। (फ़तावा रहीमिया स0 277, जिल्द 4, बहवाला मराक़ियुल—फ़लाह स0 56)।

मस्अला : जब उज़्वे मख़्सूस (ज़कर) का सर या उसके बराबर हिस्सा ऐसे शख़्स की कुब्ल या दुबुर (शर्मगाह या पाख़ाने का मक़ाम) में दाख़िल हो जाए जो जिमाअ़ करने के

क़ाबिल हो और दरमियान में कोई दबीज़ शय ऐसी हाइल न हो जो जिस्म की हरारत महसूस न होने दे तो फ़ाइल और मफ़ऊल (यानी दाख़िल करने वाले और कराने वाले) दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा ख़्वाह मनी निकले या न निकले।

मस्अला : ग़ुस्ल के वाजिब होने के लिए दोनों का बालिग़ होना ज़रूरी है, अगर दोनों में से एक बालिग़ हो, दूसरा नाबालिग़ हो तो बालिग़ पर ग़ुस्ल वाजिब होगा, अल्बत्ता नाबालिग़ को भी ग़ुस्ल करने का हुक्म दिया जाएगा जैसे नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया जाता है, हालांकि नमाज़ फ़र्ज़ नहीं हुई, इस बारे में नाबालिग़ बच्ची का भी वही हुक्म है जो नाबालिग़ लड़के का है।

मस्अला : बालिग़ शख़्स अपने उज़्वे मख़्सूस का सर यानी सुपारी किसी जानवर या मैयत की शर्मगाह में दाख़िल करे तो ग़ुस्ल वाजिब न होगा। (बशर्तेकि मनी न निकले) (किताबुल–फ़िक़्ह स0 172, जिल्द अव्वल, फ़तावा दारुल–उलूम स0 165, जिल्द अव्वल, ग़ुनया स0 44, बहसुल–ग़ुस्ल)।

मस्अला : उज़्वे तनासुल पर कपड़ा (मोटा हो या बारीक) लपेट कर जिमाअ़ करने में भी एहतियात यह ही है कि दोनों ग़ुस्ल करें। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 162, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153, जिल्द अव्वल अबहासुल–ग़ुस्ल)।

मस्अला : नाबालिग़ा पर वती (सोहबत) से ग़ुस्ल फ़र्ज़ नहीं मगर ग़ुस्ल कर लेना अच्छा है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 127, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 149, जिल्द अव्वल बहसुल–ग़ुस्ल)।

मस्अला : इग़लाम बाज़ी, ज़िनाकरी और रंडी बाज़ी वग़ैरह से ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है और जो गुनाहे कबीरा इस फ़ेअ़ले शनीअ़ से हो, उससे तौबा करे और जनाबत ख़्वाह फ़ेअ़ले हलाल से हो ख़्वाह हराम से, ग़ुस्ल का एक ही तरीक़ा है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 167, जिल्द 1, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 150, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी को बग़ैर इरादा के चलते फिरते या बैठे हुए ख़ुद बख़ुद इंज़ाल हो जाए यानी मनी निकल जाए तो ग़ुस्ल वाजिब न होगा और अगर शह्वत से इंज़ाल होगा तो ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा। (फ़तावा महमूदिया स0 31, जिल्द 1)।

नापाक शख़्स का मस्जिद में दाख़िल होना ?

मस्अला : हालते जनाबत यानी नापाकी की हालत में बिला ज़रूरत मस्जिद के अन्दर दाख़िल होना हराम है, ऐसे हालात में ज़रूरत का तऐयुन हालात पर मौक़ूफ़ होगा, मसलन यह कि मस्जिद के सिवा कहीं से ग़ुस्ल को पानी दस्तयाब न हो, जैसा कि बाज़ इलाक़ों में होता है, ऐसी हालत में मस्जिद के दरमियान से गुज़रना पानी की जगह तक पहुँचने के लिए जाइज़ है लेकिन जाने से पहले तयम्मुम करना वाजिब है।

मस्अला : इसमें वह सूरत दाख़िल है कि डोल या रस्सी जिससे पानी निकालना है मस्जिद के अन्दर हो, और कोई दूसरी सूरत पानी निकालने के लिए मुम्किन न हो सके तो उसको लाने के लिए मस्जिद के अन्दर जाना होगा। यह कैफ़ियत दिहातों में अक्सर पेश आती है जहाँ पानी के नल

वग़ैरह नहीं हैं। आजकल तो हर जगह पानी की टंकियाँ वग़ैरह हैं और पानी तक पहुँचने के मख़्सूस रास्ते हैं। लिहाज़ा जुनुबी को चाहिए कि उस ही रास्ता से जाए (बिला ज़रूरत) मस्जिद के अन्दर से न जाए।

मस्अला : अगर कोई मस्जिद ऐसी है जहाँ पानी के नल वग़ैरह नहीं हैं और न पानी तक पहुँचने का कोई ख़ास रास्ता है बल्कि ग़ुस्ल के लिए पानी मस्जिद के अन्दर से ही मिल सकता है तो मस्जिद के अन्दर जाने से पहले तयम्मुम कर लेना वाजिब है।

मस्अला : एक शक्ल मस्जिद में दाख़िल होने के जवाज़ की यह है कि कोई ख़तरा दर पेश हो और मस्जिद के सिवा पनाह की कोई जगह न हो तो ऐसी हालत में तयम्मुम करके मस्जिद के अन्दर जाना चाहिए। यहाँ तक कि वह ख़तरा जिसका ख़ौफ़ था टल जाए।

मस्अला : अगर कोई मरीज़ है, जनाबत की हालत में पानी का इस्तेमाल न कर सकता हो तो चाहिए कि तयम्मुम करके मस्जिद के अन्दर जाए और उसी तयम्मुम से नमाज़ पढ़े, लेकिन बिला ज़रूरत वहाँ न ठहरे। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 198, जिल्द अव्वल)।

ख़ुलास–ए–कलाम यह है कि जनाबत (नापाकी) की हालत में मस्जिद के अन्दर जाने के लिए तयम्मुम करना कभी वाजिब होगा और कभी मुस्तहब होगा। वाजिब होने के लिए दो सूरतें हैं। पहली सूरत यह है कि मस्जिद के बाहर जनाबत लाहिक़ हुई और मस्जिद में जाना नागुज़ीर है तो तयम्मुम करना वाजिब है।

दूसरी सूरत यह है कि कोई शख़्स मस्जिद के अन्दर सो गया, उस वक़्त वह पाक था, लेकिन एहतिलाम हो गया और किसी ख़तरा के अन्देशा से मस्जिद ही में ठहरना लाज़िम हो तो उसको तयम्मुम कर लेना वाजिब है।

इन दो सूरतों के अलावा और सूरतों में तयम्मुम मुस्तहब है। चुनांचे अगर किसी को मस्जिद के अन्दर जनाबत लाहिक़ हुई तो बाहर आने से पहले तयम्मुम कर लेना मुस्तहब है। या कोई जनाबत की हालत में है और मस्जिद में जाने की मज्बूरी पेश आई और तयम्मुम करने का मौक़ा न मिला हो फिर वह मज्बूरी दूर हो गई, और बाहर आना है तो मुस्तहब यह है कि तयम्मुम कर ले ताकि तयम्मुम की हालत में बाहर आना हो। लेकिन इन हालात में उस तयम्मुम से क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना या नमाज़ अदा करना जाइज़ नहीं है। (तफ़्सील देखिए तयम्मुम के बाब में)।

याद रहे कि इन तमाम मसाइल में लफ़्ज़ मस्जिद के अन्दर मस्जिद का सेहन (मस्जिद के अन्दर का हिस्सा और जहाँ तक दाख़िले मस्जिद है यानी जो जगह नमाज़ के लिए मुतऐयन कर रखी है वह) दाख़िल है। अल्बत्ता मस्जिद के मैदान और बाड़ (या इमाम व मुअज़्ज़िन वग़ैरह के कमरा या ग़ुस्ल ख़ाना या वुज़ू ख़ाना वग़ैरह) के अन्दर हालते जनाबत में तयम्मुम के बग़ैर दाख़िल होना जाइज़ है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 199, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ईदगाह में और मदरसे और ख़ानक़ाह वग़ैरह में जुनुबी को (नापाकी की हालत में) जाना जाइज़ है। (बहिश्ती ज़ेवर

स0 20, जिल्द 11, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 51, जिल्द अव्वल)।

जनाज़ा की नमाज़ पढ़ाने की जगह में जाना जाइज़ है। और अगर मदरसा के कमरा को मुस्तक़िल तौर पर मस्जिद बना दिया गया है तो मस्जिद के हुक्म में है और अगर आर्ज़ी तौर पर नमाज़ पढ़ने का काम लिया जा रहा है तो मस्जिद के हुक्म में नहीं है। (कश्फुल–असरार स0 46, जिल्द 1)।

हाइज़ा और जुनुबी के लिए मस्जिद में दाख़िल होना क्यों मना किया है ?

मस्अला : जुनुबी (नापाक) और हैज़ व निफ़ास वाली औरत को मस्जिद के अन्दर जाना इसलिए नाजाइज़ हुआ कि मस्जिद नमाज़ और ज़िक्रे इलाही करने की जगह है और शआइरे इलाही में से है और काबतुल्लाह का एक नमूना है, इसलिए उसके अन्दर जाना ऐसी नापाक हालत में नाजाइज़ हुआ।

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب ط

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 31, बहवाला क़ुरआन करीम पारा 17, रुकू 11)।

नापाक होने के बाद के अहकाम

मस्अला : कोई ऐसा शरई काम जो बग़ैर वुज़ू के नहीं किया जा सकता, हालते जनाबत यानी नापाकी की हालत में और ग़ुस्ल करने से पहले उसका करना हराम है। लिहाज़ा नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ना हलाल नहीं है, ख़्वाह नफ़्ल नमाज़ हो या फ़र्ज़ हो। बजुज़ उस सूरत के जब कि पानी दस्तयाब न हो, या किसी मरज़ वग़ैरह के बाइस (जिसकी

तफ़्सील मसाइले वुज़ू में है) पानी इस्तेमाल करने से माज़ूरी हो। अल्बत्ता हालते जनाबत में रोज़ा फ़र्ज़ हो, या नफ़्ल सही होता है चुनांचे अगर किसी शख़्स ने माहे रमज़ान में किसी रात तुलूए सुब्ह से पहले बीवी से सोहबत की (या एहतिलाम हो गया) और गुस्ल नहीं किया तो उसका रोज़ा दुरुस्त होगा, (यानी नापाकी की हालत में रोज़ा रख सकता है (जिसकी तफ़्सील अहक़र की मुरत्तब करदा किताब मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा में है)।

मस्अला : ऐसे शरई उमूर जो हालते जनाबत में हलाल नहीं हैं, यह हैं : कुरआन करीम की तिलावत करना, जुनुबी के लिए हराम है कि वह नापाकी की हालत में कुरआन शरीफ़ पढ़े। नीज़ कुरआने पाक को हाथ लगाना तो बदर्जए औला हराम है, क्योंकि कुरआन शरीफ़ को तो बग़ैर वुज़ू के हाथ लगाना मना है ख़्वाह कोई शख़्स जुनुबी न हो, तो हालते जनाबत में बतरीक़े औला उसका छूना हराम होगा।

मस्अला : जुनुबी को कुरआने करीम की तिलावत करना हराम है, थोड़ा हो या बहुत, सिवाए दो हालतों के। एक तो किसी अहम और क़ाबिले क़द्र काम को अल्लाह तआला के नाम से शुरू करना हो तो इस सूरत में जुनुबी शख़्स के लिए जाइज़ है कि बिस्मिल्लाह पढ़ ले, अगरचे बिस्मिल्लाह भी कुरआने करीम ही की एक आयत है। दूसरे यह कि कोई छोटी आयत किसी के हक़ में बतौर दुआ के या किसी काम की तहसीन के तौर पर हो, मसलन यह कहना कि "**रब्बिग़—फ़िरली वलिवालिदैया।**" कि ऐ अल्लह मेरी और मेरे वालिदैन की

मग़्फ़िरत फ़रमा।" (किताबुल–फ़िक़्ह स0 198, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हालते जनाबत (नापाकी) में कुरआन करीम का सुनना जाइज़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 175, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जनाबत यानी नापाकी की हालत में कलिमए तैयबा, दुरूद शरीफ़ और हर क़िस्म का ज़िक्र जाइज़ है। मगर कुरआने करीम की तिलावत जाइज़ नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 38, जिल्द 2 व फ़तावा दारुल–उलूम स0 171, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 161, जिल्द अव्वल बहसुल–ग़ुस्ल)।

मस्अला : जुनुबी (नापाक) के लिए कुतुबे अहादीस व फ़िक़्ह को छूना और पढ़ना दुरुस्त है मगर ख़िलाफ़े औला है और कुतुबे तफ़्सीर में अगर तफ़्सीर ग़ालिब हो तो छूना दुरुस्त है वरना नहीं।

कुरआन शरीफ़ के लिखने के जवाज़ में इस सूरत में इख़्तिलाफ़ है जबकि किताबत इस तौर पर हो कि कागज़ को हाथ न लगे, इन्दज़्ज़रूरत उसकी गुंजाइश है, लेकिन कागज़ को हाथ लगाना किसी भी सूरत में जाइज़ नहीं है, तरजमा कुरआन को भी बेवज़ू छूने के बारे में फुक़हा रहिमहुल्लाह तआला ने बहुक्मे कुरआन क़रार दिया है। (अहसनुल–फ़तावा स0 36, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 164, जिल्द 1 व स0 270, जिल्द 1)।

मस्अला : हालते जनाबत में बाल और नाख़ुन काटना मक्रूहे तंज़ीही है। (अहसनुल–फ़तावा स0 38, जिल्द 2, बहवाला आलमगीरी स0 358, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हाथ के नाख़ुन इस तर्तीब से काटना बेहतर है कि दाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत से शुरू करे और छंगुलिया तक बित्तरतीब कटवा कर फिर बाएं छंगुलिया से बित्तरतीब कटवाए और दाएं अंगूठे पर ख़त्म करे और पैर की उंगलियों में दाएं छंगुलिया से शुरू करके बाएं छंगुलिया पर ख़त्म करे, यह तर्तीब बेहतर और औला है इसके ख़िलाफ़ भी दुरुस्त है।

मस्अला : कटे हुए नाख़ुन और बाल दफ़्न कर देने चाहिएं, अगर दफ़्न न करे तो किसी महफ़ूज़ जगह पर डाल देने चाहिएं, यह भी जाइज़ है। (अल–जवाबुल–मतीन स0 31)।

(मक़सद यह है कि बाल और नाख़ुन वग़ैरह फैलाए नहीं ताकि बेहुरमती न हो और दूसरों को घिन या तक्लीफ़ न हो।

(रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

ख़ुन्सा मुश्किल पर ग़ुस्ल क्यों नहीं ?

सवाल : ख़ुंसा मुश्किल (जिस का औरत और मर्द होना किसी अलामत से साबित न हो) अगर हश्फ़ा (सुपारी) दोनों रास्तों में से किसी में दाख़िल करे तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब होना चाहिए, क्योंकि वह आक़िल और बालिग़ भी होते हैं, हालांकि न उन पर ग़ुस्ल वाजिब होता है और न उन से जिमाअ़ करने वाले पर जब तक उसको इंज़ाल न हो जाए, आख़िर क्यों?

जवाब : इसका जवाब यह है कि हश्फ़ा से हश्फ़–ए–हक़ीक़ी मुराद है और सबीलैन से वाक़ई जो सबीलैन हैं वह मुराद हैं, और ख़ुंसा मुश्किल का हश्फ़ा और उसकी शर्मगाह मश्कूकुल–वजूद हैं, मुहक़्क़कुल–वजूद नहीं, यानी उनके हश्फ़ा

के हश्फ़ा होने और उनकी शर्मगाह के शर्मगाह होने में शुब्हा है, ख़ुंसा मुश्किल मसलन बहैसियते फ़ाइल जो हश्फ़ा दाख़िल कर रहा है हो सकता है कि वह ख़ुंसा बजाए मर्द के औरत हो, तो उसका हश्फ़ए ज़कर उज़्वे ज़ाइद क़रार पाएगा, और वह मिस्ल उंगली के हो जाएगा, जिस तरह उंगली दाख़िल करने से दाख़िल करने वाले पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता, इसी तरह उस पर भी वाजिब न होगा, और अगर जिस ख़ुंसा की ज़नाना शर्मगाह में दाख़िल किया, हो सकता है वह औरत न हो, मर्द हो, तो उसकी ज़नाना शर्मगाह एक ज़ख़्म के दरजा में होगी, जिसमें दाख़िल करने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं हुआ करता, तो इस तरह दोनों में से किसी पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं होगा, (जब तक कि मनी न निकल जाए)।

ख़ुंसा के मफ़ऊल होने में इसलिए ग़ुस्ल वाजिब नहीं कि हो सकता है कि वह मर्द हो, और उसकी ज़नाना शर्मगाह बमंज़िलए ज़ख़्म क़रार पाए। और ज़नाना शर्मगाह की क़ैद लगाने से यह मालूम हुआ कि अगर कोई हक़ीक़ी मर्द ख़ुंसा मुश्किल के पीछे के हिस्सा में वाक़ई अपना आल–ए–तनासुल (ज़कर) दाख़िल करेगा तो उससे दोनों पर ग़ुस्ल वाजिब होगा। ख़ुंसा मुश्लिक की बहस में सबीलैन से मुराद मर्दाना ज़नाना शर्मगाह है, पिछला हिस्सा (दुबुर यानी पाख़ाना का रास्ता) मुराद नहीं है, इलिए उसके पाए जाने से क़तअन शुब्हा नहीं है।

(कश्फुल–असरार स0 36, जिल्द अव्वल)

ख़ुंसा यानी हिजड़ों से मुतअल्लिक़ मसाइल :

मस्अला : जिस शख़्स के ज़कर यानी शर्मगाह के दो सर हों, उनमें से जिससे आदतन पेशाब निकलता है वह शर्मगाह के हुक्म में है और जिससे आदतन पेशाब नहीं निकला करता वह ज़ख़्म के हुक्म में है, लिहाज़ा अगर उस हिस्से से कोई चीज़ निकलेगी तो यह नाक़िज़े वुज़ू नहीं होगी जब तक कि निकल कर बह न जाए, क्योंकि ज़ख़्म से जब तक ख़ून या पीप निकल कर बह नहीं जाता, उस वक़्त तक वुज़ू नहीं टूटता। और जो यह कहा गया कि जिस शख़्स की शर्मगाह के दो सर हों, उसकी सूरत यह होती है कि एक हक़ीक़ी शर्मगाह होती है जिससे आदतन पेशाब आता है और दूसरा बतौर मरज़ के होता है, उससे आम तौर पर पेशाब नहीं आता, लिहाज़ा जिससे आदतन पेशाब आता है उसके मुँह पर पेशाब या किसी चीज़ का अन्दर से आ जाना नाक़िज़े वुज़ू है, और बाक़ी दूसरे से बहने की शर्त है।

मस्अला : वह ख़ुंसा जो मुश्किल नहीं है उसकी दूसरी शर्मगाह ज़ख़्म के दरजा में है, उससे किसी चीज़ का सिर्फ़ निकलना नाक़िज़े वुज़ू नहीं है बल्कि बहना ज़रूरी है, और अगर वह ख़ुंसा मुश्किल है तो उसकी हर शर्मगाह से निकलना नाक़िज़े वुज़ू है, ख़्वाह वह अपनी जगह बहे या न बहे।

ख़ुंसा वह शख़्स है जिसमें मर्द व औरत दोनों की अलामतों में से कोई अलामत मुकम्मल तौर पर न पाई जाए, लेकिन महज़ अलामत से उसका मर्द या औरत होना मालूम होता है।

और ख़ुंसा मुश्किल उसे कहते हैं कि उसका मर्द और औरत होना किसी अलामत से साबिन न हो, न बुलूग़ से पहले और न उसके बाद। (कश्फ़ुल–असरार स0 16, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ख़ुंसा मुश्लिक यानी जिस की जिन्स का तऐयुन न हो सके कि औरत है या मर्द? उसके साथ़ बुरा फ़ेअ़ल (सोहबत) करने से ग़ुस्ल वाजिब नहीं होता, न उस फ़ेअ़ल के कराने वाले पर और न करने वाले पर (जबकि मनी न निकली हो) और यही हुक्म उस सूरत में है जबकि कोई मुख़न्नस किसी दूसरे के कुबुल या दुबुर में दाख़िल करे, यानी दोनों में से किसी पर ग़ुस्ल वाजिब नहीं है, लेकिन अगर वह शख़्स जो मुख़न्नस नहीं है, मुख़न्नस के दुबुर में दाख़ि करे तो उन दोनों में से जो बालिग़ हो उस पर ग़ुस्ल वाजिब होगा। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 172, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 165, जिल्द अव्वल व गुनया स0 44, बहसुल–ग़ुस्ल)।

मस्अला : अगर किसी शख़्स के जिस्म में मर्द और औरत दोनों के आज़ा हों और उसका मर्द होना मुतऐयन न हो तो उसके जिस उज़्व से हवा निकले, वुज़ू टूट जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 65, जिल्द............)।

औरत के लिए ख़ुसूसी अैयाम में रिआयतें सिर्फ़ इस्लाम में हैं :

ज़मान–ए–जाहिलीयत में उमूमन दूसरे अदयाने बातिला में और ख़ास कर यहूदियों के मुआशरह में औरत को अैयामे मख़्सूससा (हैज़ व निफ़ास) में बहुत नजिस चीज़ समझा जाता था और

उसको एक कमरा में बन्द कर देते थे, वह न किसी चीज़ को हाथ लगा सकती थी, न खाना पका सकती थी और न किसी से मिल सकती थी, लेकिन इस्लाम के मोतदिल निज़ाम ने ऐसी कोई चीज़ बाक़ी नहीं रखी, सिवाए रोज़ा, नमाज़ और तिलावते कलाम पाक के बाक़ी तमाम चीज़ें उसके लिए जाइज़ क़रार दीं हत्ता कि वह ज़िक्रुल्लाह व तस्बीह व दुरूद शरीफ़ और दीगर दुआएं भी पढ़ सकती है, और वज़ाइफ़ सिवाए क़ुरआन शरीफ़ के पढ़ सकती है। ख़ास अैयाम में वज़ीफ़–ए–ज़ौजियत की यानी बीवी से सोहबत करने की इजाज़त नहीं है, नमाज़, रोज़ा भी नहीं कर सकती। उसके ज़िम्मा सिर्फ़ रोज़ा की क़ज़ा है (नमाज़ मआफ़ है) नमाज़ की क़ज़ा नहीं, अल–ग़रज़ उन अैयाम में औरत का खाना पकाना, कपड़े धोना और दीगर घरेलू ख़िदमात बजा लाना जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 69, जिल्द 6)।

हैज़ से फ़ारिग़ हो कर गुस्ल करने की वजह क्या है?

हैज़ के ख़ून को अल्लाह तआला ने क़ुरआन करीम में "अज़न" यानी गन्दगी फ़रमाया है, पस जिस गन्दगी से बार–बार जिस्म आलूदा हो उससे नफ़्से इंसानी नापाक हो जाता है, दूसरा जिरयाने ख़ून से लतीफ़, पट्ठों को ज़ुअफ़ पहुँचता है और जब ग़ुस्ल कर लिया जाए तो ज़ाहिरी और बातिनी तहारत (पाकी) हासिल हो जाती है और पट्ठे तरो ताज़ा हो जाते हैं और उनमें पहली सी कुव्वत लौट आती है।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 32, अज़ मौलाना थानवी रह.)।

नापाक और हाइज़ा के लिए नमाज़ व कुरआन न पढ़ने की वजह

जनाबत यानी नापाकी और हैज़ व निफ़ास दोनों ऐसी हालतें हैं जिनको कुर्बे इलाही के साथ मुनाफ़ात और जिनमें नजासत से यानी नापाकी से इख़्तिलात है और नमाज़ व कुरआन करीम का पढ़ना ख़ुदा तआला से हम कलाम होने का मरतबा है और ख़ुदा की हम कलामी के शर्फ़ से इंसान जब ही मुशर्रफ़ हो सकता है कि हर क़िस्म की नजासतों से पाक व मुतह्हर हो क्योंकि अल्लाह तआला पाक है, उसको नापाकी से नफ़रत है।

(अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 33)।

हैज़ का मतलब

लुग़त में "हैज़" के माना हैं जारी होना, बहना। और इस्तिलाहे शरीअत में इस लफ़्ज़ से वह ख़ून मुराद होता है जो जवान औरत के रिहम से मामूल के मुवाफ़िक़ और हालते सेहते मिज़ाज में निकलता है, न किसी मरज़ के सबब या ज़चगी की वजह से (यानी विलादत के बाद वाला ख़ून मुराद नहीं है) जो ख़ून औरत के रिहम से मामूल के ख़िलाफ़ यानी मरज़ के सबब से निकलता है उसको "इस्तिहाज़ा" कहा जाता है और जो ख़ून औरत के रिहम से ज़चगी (बच्चा की पैदाइश) के बाद जारी होता है और टपकता है उसको "निफ़ास" कहते हैं।

(मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 484, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हर महीना में औरतों के आगे की राह से मामूली ख़ून आता है उसको हैज़ कहते हैं। (बहिश्ती ज़ेवर स0 57, जिल्द 2)।

मुस्तहाज़ा किसको कहते हैं ?

"मुस्तहाज़ा" से मुराद वह औरत है जिसके रिहम से ख़िलाफ़े मामूल ख़ून निकलता रहता है और वह ख़ून न तो हैज़ का होता है और न निफ़ास (बच्चा की पैदाइश के बाद) का बल्कि मरज़ लाहिक़ होने के सबब जारी हो जाता है। दर अस्ल औरत के रिहम में एक ख़ास रग होती है जिसको अरबी ज़बान में "आज़िल" कहते हैं। किसी बीमारी की वजह से, या फट जाने की वजह से यह रग बहने लगती है और ख़ून बाहर आने लगता है, और यही "इस्तिहाज़ा कहलाता है।

इस बीमारी में मुब्तला औरत (मुस्तहाज़ा) का हुक्म यह है कि उसके ख़ून जारी रहने के दौरान नमाज़ रोज़ा और दूसरी इबादतें हसबे मामूल करती रहे और मुस्तहाज़ा के साथ जिमाअ़ भी मम्नूअ़ नहीं है। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 484, जिल्द अव्वल)।

इस्तिहाज़ा वाली औरत का हुक्म

"मुस्तहाज़ा" के सिलसिले में हन्फ़ी मसलक यह है कि किसी "मोतादा (यानी आदत वाली) को अगर इस्तिहाज़ा की बीमारी लाहिक़ हो जाए और उसकी वजह से हैज़ और इस्तिहाज़ा के दरमियान फ़र्क़ करना उसके लिए दुश्वार हो जाए तो वह औरत यह करे कि इस्तिहाज़ा में मुब्तला होने से पहले उसको आदतन जितने दिनों हैज़ का ख़ून आता था (मसलन हर मरतबा पाँच या छेः रोज़ या पूरे दस रोज़ तक वह हाइज़ा रहती थी) तो उतने ही दिनों को वह हैज़ के दिन समझे और उन दिनों में नमाज़ रोज़ा वग़ैरह छोड़ दे। और फिर ज़ब वह दिन गुज़र

जाएं तो ख़ून को धो कर गुस्ल कर ले और नमाज़ वगै़रह शुरू कर दे।

और अगर किसी "मुब्तदिया" को इस्तिहाज़ा की बीमारी लाहिक़ हो जाए मसलन ऐसी नौ उम्र लड़की कि उसको अभी तक हैज़ आना शुरू नहीं हुआ था, और फिर पहली मरतबा हैज़ का ख़ून आया था कि उसको इस्तिहाज़ा की बीमारी लग गई और ख़ून बराबर जारी रहता है तो उसके लिए दस दिन कि जो हैज़ की ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत है महसूब होंगे। यानी वह औरत दस दिन को हैज़ की मुद्दत क़रार दे, उसके दौरान नमाज़ वगै़रह छोड़ दे और फिर वह दस दिन पूरे हो जाएं तो ख़ून को धो कर नहाए और नमाज़ वगै़रह शुरू कर दे।

मस्अला : हैज़ की मुद्दत वाले दिन गुज़र जाने पर बस एक दफ़ा अपने हिस्सए खास को धो कर गुस्ल कर ले और जब नमाज़ का वक़्त आए तो जल्दी–जल्दी वुज़ू करे। और फिर दूसरी नमाज़ का वक़्त आने तक उसी वुज़ू से जो नमाज़ चाहे पढ़ ले, अगरचे ख़ून बह रहा हो। उस ख़ून के बहने में उसका हुक्म माज़ूर का होगा। (मज़ाहिरे हक़ स0 494, जिल्द अव्वल)।

हैज़ व निफ़ास के अलावा तीसरा ख़ून जो औरतों को आता है वह इस्तिहाज़ा है। यह दर अस्ल रिहम के अन्दर (बच्चा दानी में) किसी बारीक रग के फट जाने से जारी होता है और अक्सर मुसलसल होता है। और कभी वक़्फ़ा के साथ भी होता है।

इस्तिहाज़ा वाली औरत जिसके अैयाम मालूम हों उसका मआमला तो आसान है कि वह उन अैयाम में (हैज़ समझ कर

नमाज़ों वग़ैरह से) तवक़्क़ुफ़ करेगी, फिर ग़ुस्ल करके नमाज़ें वग़ैरह पढ़ती रहेगी। लेकिन जो औरत बालिग़ होते ही इस्तिहाज़ा में मुब्तला हो जाए या बाद में इस्तिहाज़ा में मुब्तला हो, और उसके अैयाम गुम हो जाएं यानी मालूम न हों कि हैज़ के दिन कौन से हैं और तुहुर (पाकी) के दिन कौन से? जिन औरतों में हैज़ की बाक़ाइदगी होती है उनमें इस क़िस्म के अवारिज़ पैदा हो जाते हैं। इसलिए अहादीस में इस्तिहाज़ा के बारे में तीन क़िस्म के अहकाम मिलते हैं।

(1) मालूमुल–अैयाम औरत एक दफ़ा ग़ुस्ल करेगी और फिर हर नमाज़ के वक़्त नमाज़ के लिए जदीद (नया) वुज़ू करके नमाज़ अदा करेगी।

मस्अला : इस्तिहाज़ा वाली औरत, सलसले–बौल यानी जिसको मुस्तक़िल पेशाब बहता रहता हो या जैसे नक्सीर रिसने वाला, और ऐसे तमाम माज़ूर लोग हर नमाज़ के वक़्त ताज़ा वुज़ू करें। फ़र्ज़, नफ़्ल, क़ज़ा वग़ैरह सब नमाज़ें अदा करें और फिर दूसरी नमाज़ के वक़्त फिर नया वुज़ू करें।

(2) मुसलसल ख़ून जारी हो, और अैयामे हैज़ भी मालूम न हों। तो ऐसी औरत हर एक नमाज़ के लिए ग़ुस्ल करे, एहतियात की बिना पर।

(3) वक़्फ़ा–वक़्फ़ा से ख़ून जारी होता हो, और अैयाम भी मालूम हों। ऐसी औरत ज़ुहर, अस्र एक ग़ुस्ल से और मग़्रिब इशा एक ग़ुस्ल से और सुब्ह की नमाज़ के लिए अलग ग़ुस्ल करके नमाज़ें अदा करेगी।

मस्अला : इस्तिहाज़ा वाली औरत का हुक्म वह नहीं है जो हैज़ और निफ़ास वाली औरत का है, यह नमाज़ पढ़ सकती है, कुरआने पाक को छू सकती है, मस्जिद में दाख़िल हो सकती है, रोज़ा रख सकती है, और ख़ाविन्द के साथ मुबाशरत भी कर सकती है। क्योंकि यह एक क़िस्म की बीमारी है जिसके मुतअल्लिक़ आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "यह किसी रग के फट जाने से ख़ून बहता है और हैज़ नहीं। जब तुम्हारे हैज़ के दिन आएं तो नमाज़ छोड़ दो, जब वह दिन (हैज़ के) चले जाएं तो ग़ुस्ल करो और फिर नमाज़ पढ़ो। (बुख़ारी स0 44, जिल्द 1 व मुस्लिम स0 151, जिल्द 1 व नमाज़ मस्नून स0 166 बहवाला हिदाया स0 39, जिल्द 1, व शरह नक़ाया स0 39, जिल्द 1 व कबीरी स0 133, व मुअत्ता इमाम मालिक स0 47, व अबू दाऊद स0 36, व निसाई स0 65, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : इस्तिहाज़ा का हुक्म ऐसा है जैसे किसी के नक्सीर फूटे और बन्द न हो, ऐसी औरत नमाज़ भी पढ़े, रोज़ा भी रखे, क़ज़ा न करना चाहिए। और उससे सोहबत करना भी दुरुस्त है। इस्तिहाज़ा वाली औरत के अहकाम बिल्कुल माज़ूर के अहकाम की तरह हैं। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61, जिल्द 2)।

इस्तिहाज़ा की सूरतें

मस्अला : (1) नौ साल से कम उम्र वाली औरत को जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है, (बीमारी का ख़ून है) हैज़ नहीं, ख़्वाह तीन दिन और रात आए या उससे कम।

(2) पचपन साल या उससे ज़्यादा उम्र वाली औरत को जो

ख़ून आए वह हैज़ नहीं बशर्तेकि ख़ालिस या सुर्ख़ या सुर्ख़ माइल ब सियाही न हों।

(3) हामिला औरत को जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है, हैज़ नहीं।

(4) तीन दिन व रात से ज़्यादा जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है हैज़ नहीं।

(5) दस दिन व रात से ज़्यादा जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है हैज़ नहीं।

(6) आदत वाली औरत को उसकी आदत से ज़्यादा जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है हैज़ नहीं। बशर्तेकि दस दिन व रात से बढ़ जाए।

मिसाल : किसी औरत को पाँच दिन हैज़ आने की आदत हो, उसको ग्यारह दिन ख़ून आए तो जिस क़दर उसकी आदत से बढ़ गया है यानी छेः दिन इस्तिहाज़ा में शुमार होंगे।

(7) अगर किसी औरत को दस दिन हैज़ हो कर बन्द हो जाए और पन्द्रह दिन से कम बन्द रहे उसके बाद फिर ख़ून आए तो यह दूसरा ख़ून इस्तिहाज़ा है, हैज़ नहीं, इसलिए कि दो हैज़ों के दरमियान में कम से कम पन्द्रह दिन का फ़स्ल होता है।

(8) बच्चा के निस्फ़ हिस्सा बाहर निकलने के पहले जो ख़ून आए वह इस्तिहाज़ा है निफ़ास नहीं। इसलिए कि निफ़ास उसी वक़्त से है जब निस्फ़ या उससे ज़्यादा हिस्सा बच्चा का बाहर आ जाए।

(9) चीलीस दिन निफ़ास हो कर बन्द हो जाए और पन्द्रह दिन से कम बन्द रहे और फिर ख़ून आए तो यह दूसरा ख़ून

इस्तिहाज़ा है, हैज़ नहीं, इसलिए कि कम से कम निफ़ास बन्द होने के बाद पन्द्रह दिन तक हैज़ नहीं होता।

(10) बच्चा के पैदा होने के बाद चालीस दिन से ज़्यादा ख़ून आए तो अगर उसकी आदत मुक़र्रर न हो तो चालीस दिन से जिस क़दर ज़्यादा हैं वह इस्तिहाज़ा है निफ़ास नहीं और अगर आदत मुक़र्रर हो तो जिस क़दर आदत से ज़्यादा है वह सब निफ़ास है। **मिसाल** : बे आदत वाली औरत को इक्तालीस दिन ख़ून आए तो चालीस दिन निफ़ास होगा और एक दिन इस्तिहाज़ा, या जिस औरत को बीस दिन निफ़ास की आदत हो उसको इक्तालीस दिन ख़ून आए तो बीस दिन उसका निफ़ास होगा और इक्कीस दिन इस्तिहाज़ा।

(11) जिस औरत के दो बच्चे पैदा हों और दोनों में छेः माह से कम फस्ल हो, और दूसरा बच्चा चालीस दिन के बाद पैदा हो तो जो ख़ून उसके बाद आए वह इस्तिहाज़ा है, निफ़ास नहीं। (इल्मुल–फिक़्ह स0 89, जिल्द अव्वल)।

मुस्तहाज़ा के लिए कए तदबीर

मुस्तहाज़ा औरत के लिए एक तदबीर यह है कि वह एक कपड़े वग़ैरह का लंगोट (चड्ढी वग़ैरह) बाँध ले, मुस्तहाज़ा को चाहिए कि लंगोट वग़ैरह के ज़रीआ ख़ून की आमद को रोकने की हत्तल–मक़्दूर कोशिश करे और अगर उसके बाद भी ख़ून आना न रुके तो उस हालत में पढ़ी जाने वाली नमाज़ें बहरहाल सही होंगी और उनको लौटाना ज़रूरी नहीं होगा, और यह हुक्म उस शख़्स के बारे में भी है जिसको पेशाब के क़तरा क़तरा

टपकते रहने का मरज़ लाहिक़ हो। (मज़ाहिरे हक़ स0 495, जिल्द अव्वल)।

हैज़ किस उम्र से और कब तक आता है ?

मस्अला : हर महीना में औरतों की आगे की राह से मामूली ख़ून आता है उसको हैज़ कहते हैं।

मस्अला : कम से कम हैज़ की मुद्दत तीन रात है और ज़्यादा से ज़्यादा दस दिन दस रात है, किसी को तीन दिन तीन रात से कम ख़ून आया तो वह हैज़ नहीं है, बल्कि इस्तिहाज़ा (बीमारी का ख़ून) है कि किसी बीमारी वग़ैरह की वजह से ऐसा हो गया है, और अगर दस दिन रात से ज़्यादा ख़ून आया है तो जितने दिन दस से ज़्यादा आया है वह भी इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : अगर तीन दिन तो हो गए लेकिन तीन रातें नहीं हुई जैसे जुमा की सुब्ह से ख़ून आया और इतवार को शाम के वक़्त मग़्रिब के बाद बन्द हो गया तब भी यह हैज़ नहीं है, बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर तीन दिन रात से ज़रा भी कम हो तो वह हैज़ नहीं है, जैसे जुमा को सूरज निकलते वक़्त ख़ून आया और दो शंबा को सूरज निकलने से ज़रा पहले बन्द हो गया तो वह हैज़ नहीं, बल्कि इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : हैज़ की मुद्दत के अन्दर सुर्ख़, ज़र्द, सब्ज़ ख़ाकी यानी मटियाला सियाह जो रंग आए, सब हैज़ है जब तक गद्दी (जो कपड़ा रखा जाता है) बिल्कुल सफ़ेद न दिखलाई दे और जब बिल्कुल सफ़ेद रहे जैसे कि रखी गई थी तो अब हैज़ से पाक हो गई।

मस्अला : नौ साल से पहले और पचपन साल के बाद

किसी को हैज़ नहीं आता, इसलिए नौ साल से छोटी लड़की को ख़ून आए तो वह हैज़ नहीं है बल्कि इस्तिहाज़ा है। अगर पचपन साल के बाद कुछ ख़ून निकले तो अगर ख़ून ख़ूब सुर्ख़ या सियाह हो तो वह हैज़ है और अगर ज़र्द या सब्ज़ या ख़ाकी रंग हो तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तेहाज़ा है (नौ साल से पहले बिल्कुल हैज़ नहीं आता, जो ख़ून भी नौ साल से कम उम्र में आगे की राह से आएगा वह हैज़ नहीं हो सकता और पचपन साल के बाद आम तौर पर औरतों की आदत हैज़ न आने की है, लेकिन आना मुम्किन है, अगर आए तो इन खास सूरतों में जिनका ज़िक्र किया गया है उसको हैज़ कहा जाएगा।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)

अल्बत्ता अगर उस औरत को उस उम्र से पहले यानी पचपन साल से पहले भी ज़र्द या सब्ज़ या ख़ाकी रंग आता हो तो पचपन बरस के बाद भी यह रंग हैज़ समझे जाएंगे, और अगर आदत के ख़िलाफ़ ऐसा हो तो हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : किसी औरत को हमेशा तीन दिन या चार दिन ख़ून आता था, फिर किसी महीना में ज़्यादा आ गया लेकिन दस दिन से ज़्यादा नहीं आया तो वह सब हैज़ है और अगर दस दिन से भी बढ़ गया तो जितने दिन पलहे से आदत के हैं, उतना हैज़ है बाक़ी सब इस्तिहाज़ा है।

उसकी मिसाल यह है कि किसी को हमेशा तीन दिन हैज़ आने की आदत है लेकिन किसी महीना नौ दिन या दस दिन, दिन व रात ख़ून आया तो यह सब हैज़ है और अगर दस दिन

रात से एक लहज़ा भी ज़्यादा ख़ून आए तो वही तीन दिन हैज़ के हैं और बाक़ी दिनों का सब इस्तिहाज़ा है। उन दिनों की नमाज़ें क़ज़ा पढ़ना वाजिब है।

मस्अला : एक औरत जिसकी कोई आदत मुक़र्रर नहीं है कभी चार दिन ख़ून आता है और कभी सात दिन इसी तरह बदलता रहता है कभी दस दिन भी आ जाता है तो यह सब हैज़ है। ऐसी औरत को अगर कभी दस दिन व रात से ज़्यादा ख़ून आए तो देखो कि उससे पहले महीना में कितने दिन हैज़ आया था, पस उतने ही दिन हैज़ के हैं और बाक़ी सब इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : किसी को हमेशा चार दिन हैज़ आता था, फिर एक महीना में पाँच दिन ख़ून आया उसके बाद दूसरे महीना में पन्द्रह दिन ख़ून आया तो उस पन्द्रह दिन में से पाँच दिन हैज़ के हैं और दस दिन इस्तिहाज़ा है और पहली आदत का ऐतबार न करेंगे और यह समझेंगे कि आदत बदल गई और पाँच दिन की आदत हो गई (इस सूरत में दस दिन तक इंतिज़ार करे ख़ून बन्द होने का, जब दस दिन के बाद ख़ून बन्द नहीं हुआ तो पाँच दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े और उन दस दिनों के बाद नहाए और नमाज़ अदा करे) (बहिश्ती ज़ेवर स० 57 जिल्द 2, बहवाला जवाहर स० 39, जिल्द अव्वल, बह्र स० 191, जिल्द अव्वल, फ़त्हुल–क़दीर स० 222, जिल्द अव्वल, दुर्रे मुख़्तार स० 39, जिल्द अव्वल व शरह नक़ाया स० 102, जिल्द अव्वल)।

दो हैज़ों के दरमियान वक़्फ़ा

मस्अला : किसी लड़की को पहले पहल ख़ून आया तो अगर दस दिन या उससे कुछ कम आए तो सब हैज़ है और जो दस दिन से ज़्यादा आए तो पूरे दस दिन हैज़ है और जितना ज़्यादा हो वह सब इस्तिहाज़ा है। (यानी बीमारी का ख़ून)।

मस्अला : किसी को ख़ून पहले पहल आया और वह किसी तरह बन्द नहीं हुआ, कई महीने तक बराबर आता रहा तो जिस दिन ख़ून आया है उस दिन से लेकर दस दिन व रात हैज़ है, उसके बाद बीस दिन इस्तिहाज़ा है, इसी तरह बराबर दस दिन हैज़ और बीस दिन इस्तिहाज़ा समझा जाएगा।

मस्अला : दो हैज़ों के दरमियान पाक रहने की मुद्दत कम से कम पन्द्रह दिन हैं और ज़्यादा की कोई हद नहीं, अगर किसी वजह से किसी को हैज़ आना बन्द हो जाए तो जितने महीने तक ख़ून न आएगा पाक रहेगी।

मस्अला : अगर किसी को तीन दिन व रात तक ख़ून आया, फिर पन्द्रह दिन पाक रही, फिर तीन दिन व रात ख़ून आया तो तीन दिन पहले के और तीन दिन यह जो पन्द्रह दिन के बाद हैं। हैज़ के हैं और बीच में पन्द्रह दिन पाकी का ज़माना है।

मस्अला : अगर किसी को एक दिन या दो दिन ख़ून आया फिर पन्द्रह दिन पाक रही फिर एक या दो दिन ख़ून आया तो बीच में पन्द्रह दिन तो पाकी का ज़माना ही है, इधर उधर एक या दो दिन जो ख़ून आया है वह भी हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है। (बीमारी का ख़ून है)।

मस्अला : अगर एक दिन या कई दिन ख़ून आया, फिर पन्द्रह दिन से कम पाक रही, उसका कुछ एतेबार नहीं है, बल्कि यूं सूमझेंगे कि अव्वल से आख़िर तक बराबर ख़ून जारी रहा। बस जितने दिन हैज़ आने की आदत हो उतने दिन तो हैज़ के हैं बाक़ी सब इस्तिहाज़ा है।

मिसाल उसकी यह है कि किसी को हर महीना की पहली और दूसरी और तीसरी तारीख़ हैज़ आने का मामूल है फिर किसी महीना में ऐसा हुआ कि पहली तारीख़ को ख़ून आया, फिर चौदह दिन पाक रही, फिर एक दिन ख़ून आया तो ऐसा समझेंगे कि सोलह दिन गोया बराबर ख़ून आया, बस उसमें से तीन दिन अव्वल के तो हैज़ के हैं और तेरह दिन इस्तिहाज़ा है। और अगर चौथी, पाँचवीं, छठी तारीख़ हैज़ की आदत थी तो यही तारीख़ें हैज़ की हैं और तीन दिन अव्वल के और दस दिन बाद के इस्तिहाज़ा के हैं। और अगर उसकी कुछ आदत न हो बल्कि पहले पहल ख़ून आया हो तो दस दिन हैज़ है और छेः दिन इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : हमल के ज़माना में जो ख़ून आए वह भी हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा है चाहे जितने दिन आए। (बहिश्ती ज़ेवर स0 58, जिल्द 2 बहवाला शरह वक़ाया स0 102, जिल्द अव्वल, बह्‌रुर्राइक़ स0 213, जिल्द अव्वल, फ़त्हुल–क़दीर स0 121, जिल्द अव्वल, जौहरा नैयरा स0 35)।

(मगर यह बात कि इतना हैज़ है और इतना इस्तिहाज़ा सोलहवें दिन से पहले मालूम न हुआ था तो ऐसी हालत में

अव्वल बार ख़ून देखा तो नमाज़ छोड़ दे इसलिए कि ज़ाहिर यह है कि वह हैज़ का ख़ून हो फिर जब एक दिन बाद बन्द हुआ तो एहतिमाल है कि इस्तिहाज़ा का ख़ून था और यह भी एहतिमाल है कि हैज़ हो इसलिए उस एक दिन की नमाज़ क़ज़ा पढ़े, क़ाइदा की रू से फिर चौदह रोज़ के बाद जो ख़ून आया तो मालूम हुआ कि वह पहला ख़ून हैज़ का था। इसलिए उस वक़्त तक की नमाज़ें बेकार गईं जिनमें तीन दिन की मआफ़ हो गईं और ती दिन से ज़ाइद की क़ज़ा करे, फिर देखना चाहिए कि उन तीन दिन के बाद उसने गुस्ल किया था या नहीं, अगर गुस्ल करके नमाज़ें पढ़ीं तो उन तेरह दिनों की नमाज़ें सब दुरुस्त हो गईं, और अगर गुस्ल नहीं किया था तो बाक़ी तेरह दिनों की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े, अब जो ख़ून देखा तो उसमें नमाज़ न छोड़े, गुस्ल करके नमाज़ पढ़े, अगर गुस्ल न किया हो, अब वह मुस्तहाज़ा शुमार होगी।

(हाशिया बहिश्ती ज़ेवर स० 59 जिल्दी 2)।

हैज़ के अहकाम

मस्अला : हैज़ के ज़माना में नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं। इतना फ़र्क़ है कि नमाज़ तो बिल्कुल मआफ़ हो जाती है, पाक होने के बाद भी उसकी क़ज़ा वाजिब नहीं होती लेकिन रोज़ा मआफ़ नहीं होता, पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी।

मस्अला : अगर फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हुए हैज़ आ गया तो वह नमाज़ भी मआफ़ है (नमाज़ से हट जाए पूरी न करे) पाक होने के बाद उसकी क़ज़ा न पढ़े, और अगर नफ़्ल या सुन्नत पढ़ने में

हैज़ आ गया तो (पाक होने के बाद) क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर आधे रोज़ा के बाद हैज़ आया तो वह रोज़ा टूट गया जब पाक हो तो क़ज़ा रखे, अगर नफ़्ल रोज़ा में हैज़ आ जाए तो उसकी भी क़ज़ा रखे।

मस्अला : अगर नमाज़ के आख़िर वक़्त में हैज़ आया और अभी तक नमाज़ नहीं पढ़ी थी तब भी नमाज़ मआफ़ होगी।

मस्अला : हैज़ के ज़माना में सोहबत करना दुरुस्त नहीं है और सोहबत के सिवा सब बातें दुरुस्त हैं। यानी साथ खाना, पीना, लेटना वग़ैरह सब दुरुस्त है।

मस्अला : किसी औरत की आदत पाँच दिन की या नौ दिन की थी सो जितने दिन की आदत थी उतने ही दिन ख़ून आया फिर बन्द हो गया तो जब तक औरत ग़ुस्ल न कर ले तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं है, अगर ग़ुस्ल न करे तो जब एक नमाज़ का वक़्त गुज़र जाए। (इस मस्अला की तफ़्सील स0 65 पर है) कि एक नमाज़ की क़ज़ा उसके ज़िम्मा वाजिब हो जाए तब सोहबत दुरुस्त है, उससे पहले दुरुस्त नहीं।

मस्अला : अगर आदत पाँच दिन की थी और ख़ून चार ही दिन आकर बन्द हो गया तो ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ना वाजिब है लेकिन जब तक पाँच दिन पूरे न हो जाएं तब तक सोहबत करना दुरुस्त नहीं है, हो सकता है कि फिर ख़ून आ जाए।

मस्अला : और अगर पूरे दस दिन व रात तक हैज़ आया तो जब से ख़ून बन्द हो जाए उसी वक़्त से सोहबत करना दुरुस्त है चाहे औरत ग़ुस्ल कर चुकी हो या अभी न नहाई हो।

मस्अला : अगर एक दो दिन ख़ून आ कर बन्द हो गया तो गुस्ल करना वाजिब नहीं है वुज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, लेकिन मर्द को अभी सोहबत करना दुरुस्त नहीं है, अगर पन्द्रह दिन गुज़रने से पहले ख़ून आ जाएगा तो अब मालूम होगा कि वह हैज़ का ज़माना था। हिसाब से जितने दिन हैज़ के हों उनको हैज़ समझे और अब गुस्ल करके नमाज़ पढ़े और अगर पूरे पन्द्रह दिन बीच में गुज़र गए और ख़ून नहीं आया तो मालूम हुआ कि वह इस्तिहाज़ा था, पस एक दिन दो दिन ख़ून आने की वजह से जो नमाज़ें नहीं पढ़ीं अब उनकी क़ज़ा पढ़ना चाहिए।

मस्अला : किसी औरत को तीन दिन हैज़ आने की आदत है, लेकिन किसी महीने में ऐसा हुआ कि तीन दिन पूरे हो चुके और अभी ख़ून बन्द नहीं हुआ तो अभी गुस्ल न करे न नमाज़ पढ़े, अगर पूरे दस दिन व रात पर या उससे कम में ख़ून बन्द हो जाए तो उन सब दिनों की नमाज़ें मआफ़ हैं, कुछ क़ज़ा न पढ़ना पड़ेगी, और यूँ कहेंगे कि आदत बदल गई इसलिए यह सब दिन हैज़ के होंगे और अगर ग्यारह्वें दिन भी ख़ून आया तो अब मालूम हुआ कि हैज़ के फ़क़त तीन ही दिन थे यह सब इस्तिहाज़ा है, पस ग्यारह्वें दिन गुस्ल करे और सात दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े और अब नमाज़ें न छोड़े। (बहिश्ती ज़ेवर स0 60, जिल्द 2, बहवाला बह्रुर्राइक़ स0 2 जिल्द 1, दुर्रे मुख़्तार स0 39, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़, किताबुल–फ़िक़्ह स0 207, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर दस दिन से कम हैज़ आया और ऐसे वक़्त

ख़ून बन्द हुआ कि नमाज़ का वक़्त बिल्कुल तंग है कि जल्दी और फुर्ती से ग़ुस्ल कर ले तो ग़ुस्ल के बाद बिल्कुल ज़रा सा वक़्त बचेगा जिसमें सिर्फ़ एक दफ़ा अल्लाहु अक्बर की नीयत बाँध सकती है उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ सकती तब भी उस वक़्त की नमाज़ वाजिब होगी और क़ज़ा पढ़नी पड़ेगी। और अगर उससे भी कम वक़्त हो तो नमाज़ मआफ़ है, उसकी क़ज़ा पढ़ना वाजिब नहीं है। (औरतों को इस मस्अला को याद रखना चाहिए क्योंकि इसमें ग़लती हो जाती है)।

मस्अला : और अगर पूरे दस दिन रात हैज़ आया और ऐसे वक़्त ख़ून बन्द हुआ कि बिल्कुल ज़रा सा बस इतना वक़्त है कि एक दफ़ा अल्लाहु अक्बर कह सकती है इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती और नहाने की भी गुंजाइश नहीं है तो जब भी नमाज़ वाजिब हो जाती है उसकी क़ज़ा पढ़ना चाहिए।

मस्अला : अगर रमज़ानुल–मुबारक में दिन को पाक हुई तो अब पाक होने के बाद कुछ खाना पीना दुरुस्त नहीं है, शाम तक रोज़ा दारों की तरह रहना वाजिब है। लेकिन यह दिन रोज़ा में महसूब न होगा बल्कि उसकी क़ज़ा रखनी पड़ेगी।

मस्अला : और अगर रात को पाक हुई और पूरे दस दिन रात हैज़ आया तो अगर इतनी ज़रा सी रात बाक़ी हो जिसमें एक दफ़ा अल्लाहु अक्बर भी न कह सके तब भी सुब्ह का रोज़ा वाजिब है और अगर दस दिन से कम हैज़ आया है तो अगर इतनी रात बाक़ी हो जिसमें जल्दी से ग़ुस्ल तो कर लेगी लेकिन ग़ुस्ल के बाद एक दफ़ा भी अल्लाहु अक्बर न कह पाएगी तो भी

सुब्ह का रोज़ा वाजिब है, अगर इतनी रात तो थी लेकिन ग़ुस्ल नहीं किया तो रोज़ा न तोड़े बल्कि रोज़ा की नीयत कर ले और सुब्ह को ग़ुस्ल कर ले और जो उससे भी कम रात हो यानी ग़ुस्ल भी न कर सके तो सुबह का रोज़ा जाइज़ नहीं है लेकिन दिन में कुछ भी खाना पीना दुरुस्त नहीं है, बल्कि सारे दिन रोज़ा दारों की तरह रहे फिर उसकी क़ज़ा रखे।

मस्अला : जब ख़ून सूराख़ से बाहर की खाल में निकल आए तब से हैज़ शुरू हो जाता है, उस खाल से चाहे बाहर निकले या न निकले, उसका कुछ एतेबार नहीं है तो अगर कोई सूराख़ के अन्दर रूई वग़ैरह रख ले जिससे ख़ून बाहर न निकलने पाए तो जब तक सूराख़ के अन्दर ही अन्दर ख़ून रहे और बाहर वाली रूई वग़ैरह पर ख़ून का धब्बा न आए तब तक हैज़ का हुक्म न लगाएंगे। जब ख़ून का धब्बा बाहर वाली खाल में आ जाए या रूई वग़ैरह खींच कर बाहर निकाल ले तब से हैज़ का हिसाब होगा।

मस्अला : पाक औरत ने रात को फ़र्जे दाख़िल में गद्दी रख ली थी, जब सुब्ह हुई तो उस पर ख़ून का धब्बा देखा तो जिस वक़्त से धब्बा देखा है उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म लगाएंगे। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61, जिल्द 2, बहवाला शरह वक़ाया स0 129, जिल्द 1)।

मस्अला : हैज़ के ख़ून का रंग जो हदीस शरीफ़ में ज़िक्र हुआ है वह अक्सर के एतेबार से है यानी हैज़ का ख़ून ज़्यादा तर काला होता है और बाज़ औरतों के हैज़ के ख़ून की रंगत लाल वग़ैरह भी होती है। (मज़ाहिरे हक़ स0 494, जिल्द अव्वल)।

हैज़ व निफ़ास की मुक़र्ररह आदत वाली का हुक्म

मस्अला : एक बार हैज़ या निफ़ास आने से आदत मुक़र्रर हो जाती है, मसलन एक दफ़ा जिसको सात दिन हैज़ आए और दूसरी मरतबा सात दिन से ज़्यादा और दस दिन से भी बढ़ जाए तो उसका हैज़ सात ही दिन रखा जाएगा।

इसी तरह अगर किसी को एक मरतबा बीस दिन निफ़ास आए और दूसरी मरतबा बीस दिन से ज़्यादा और चालीस दिन से बढ़ जाए तो उसका निफ़ास बीस ही दिन रखा जाएगा।

मस्अला : अगर किसी औरत को जिसकी आदत मुक़र्रर नहीं यानी उसको अब तक कोई हैज़ या निफ़ास नहीं आया बालिग़ होते ही ख़ून जारी हो जाए और बराबर जारी रहे तो ख़ून जारी होने के वक़्त से दस दिन व रात तक उसका हैज़ समझा जाएगा और बीस दिन तहारत (पाकी) के यानी इस्तिहाज़ा फिर दस दिन व रात हैज़ और बीस दिन व रात इस्तिहाज़ा इसी तरह बराबर हिसाब रहेगा और अगर इस हालत में उसके बच्चा पैदा होने के बाद से चालीस दिन व रात उसके निफ़ास के और बीस रात व दिन पाकी के रखे जाऐंगे फिर इसी तरह दस रात दिन हैज़ के और बीस रात दिन पाकी के।

मस्अला : अगर किसी आदत वाली औरत के ख़ून जारी हो जाए और बराबर जारी रहे तो उसका हैज़, निफ़ास, तुहुर (पाकी का ज़माना) उसकी आदत के मुवाफ़िक़ रखा जाएगा, हां अगर उसकी आदत छेः महीना पाक रहने की हो तो उसका तुहुर (पाकी का ज़माना) उसकी आदत के मुवाफ़ेक़ यानी पूरे छेः

महीने न होगा बल्कि घड़ी कम छेः महीने।

मस्अला : अगर किसी आदत वाली औरत के ख़ून जारी हो जाए और बराबर जारी रहे और उसको यह याद न रहे कि मुझे कितने दिन हैज़ होता था या यह याद न रहे कि महीने की किस–किस तारीख़ से शुरू होता था और कब ख़त्म होता था या दोनों बातें याद न रहीं तो उसको चाहिए कि अपने ग़ाबिल गुमान पर अमल करे यानी जिस ज़माना को वह हैज़ का ज़माना ख़्याल करे उस ज़माना में हैज़ के अहकाम पर अमल करे और जिस ज़माना को पाकी का ज़माना ख़्याल करे उस ज़माना में तहारत यानी पाकी के अहकाम पर अमल करे और अगर उसका गुमान किसी तरफ़ न हो तो उसको हर नमाज़ के वक़्त नया वुज़ू करके नमाज़ पढ़नी चाहिए और रोज़ भी रखे मगर जब उसका यह मरज़ दफ़ा हो जाए रोज़ा की क़ज़ा करनी होगी और उसमें शक की कैफ़ियत हो तो उसमें दो सूरतें हैं।

पहली सूरत यह है कि उसको किसी ज़माना की निस्बत शक हो कि ज़माना हैज़ का है या पाकी का तो उस सूरत में हर नमाज़ के वक़्त नया वुज़ू करके नमाज़ पढ़े।

दूसरी सूरत यह है कि उसको किसी ज़माना की निस्बत शक हो कि यह ज़माना हैज़ का है या पाकी का या हैज़ से ख़ारिज होने का तो इस सूरत में वह हर नमाज़ के वक़्त गुस्ल करके नमाज़ पढ़ा करे। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 101, जिल्द अव्वल)।

निफ़ास के अहकाम

मस्अला : बच्चा पैदा होने के बाद आगे की राह से जो ख़ून

आता है उसको निफ़ास कहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास की मुद्दत चालीस दिन हैं और कम की कोई हद नहीं। अगर किसी को एक आध घड़ी यानी थोड़ी देर आ कर ख़ून बन्द हो जाए तो वह भी निफ़ास है (और अगर चालीस दिन के बाद भी ख़ून आए तो वह निफ़ास नहीं होगा, बल्कि बीमारी की वजह से है)।

मस्अला : अगर बच्चा पैदा होने के बाद किसी को बिल्कुल ख़ून न आए तब भी जनने। (पैदाइश) के बाद ग़ुस्ल वाजिब है।

मस्अला : आधे से ज़्यादा बच्चा बाहर निकल आया लेकिन अभी पूरा नहीं निकला, उस वक़्त जो ख़ून आए वह भी निफ़ास है, और अगर आधे से कम निकला था, उस वक़्त ख़ून आया तो वह इस्तिहाज़ा है (बीमारी का ख़ून है)।

मस्अला : अगर ख़ून चालीस दिन से बढ़ गया तो अगर पहले पहल बच्चा हुआ तो चालीस दिन निफ़ास के हैं और जितना ज़्यादा आया है वह इस्तिहाज़ा है, पस चीलीस दिन के बाद ग़ुस्ल करके नमाज़ वग़ैरह शुरू कर दे, ख़ून बन्द होने का इंतिज़ार न करे और अगर यह पहला बच्चा नहीं है और उसकी आदत मालूम है कि इतने दिन निफ़ास आता है तो जितने दिन निफ़ास की आदत हो उतने दिन निफ़ास के हैं और जो उससे ज़्यादा हो वह इस्तिहाज़ा है।

मस्अला : अगर किसी की आदत तीस दिन निफ़ास आने की है लेकिन तीस दिन गुज़र गए और अभी तक ख़ून बन्द नहीं हुआ तो अभी ग़ुस्ल न करे। अगर पूरे चालीस दिन पर ख़ून बन्द हो गया तो यह सब निफ़ास है, और अगर चालीस दिन से

ज़्यादा हो जाए तो सिर्फ़ तीस दिन निफ़ास के हैं और सब इस्तिहाज़ा है, इसलिए अब फ़ौरन ग़ुस्ल करे और दस दिन की नमाज़ें क़ज़ा पढ़े।

मस्अला : अगर चालीस दिन से पहले ख़ून बन्द हो जाए तो फ़ौरन ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे और अगर ग़ुस्ल करना नुक़्सान देह हो तो तयम्मुम करके नमाज़ शुरू कर दे, हरगिज़ कोई नमाज़ क़ज़ा न करे।

मस्अला : निफ़ास में भी नमाज़ बिल्कुल मआफ़ है और रोज़ा मआफ़ नहीं बल्कि उसकी क़ज़ा बाद में रखना चाहिए।

मस्अला : अगर छेः महीने के अन्दर अन्दर आगे पीछे दो बच्चो हों तो निफ़ास की मुद्दत पहले बच्चा से ली जाएगी और अगर दूसरा बच्चा दस बीस दिन या दो एक महीना के बाद पैदा हुआ तो दूसरे बच्चे से निफ़ास का हिसाब न करेंगे। (बहिश्ती ज़ेवर स0 63, जिल्द 2, शरह वक़ाया स0 113, जिल्द 1, बह्रुर्राइक़ स0 218, जिल्द 1, दुर्रे मुख़्तार स0 38, जिल्द अव्वल, हिदाया स0 41, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जो औरत हैज़ व निफ़ास से हो उसका हुक्म वही है जो हदसे अक्बर वाले का यानी जिस पर ग़ुस्ल वाजिब है उसको मस्जिद में जाना और काबा का तवाफ़ करना क़ुरआन शरीफ़ पढ़ना या छूना दुरुस्त नहीं है।

मस्अला : हैज़ व निफ़ास वाली औरत को कलिमा, दुरूद शरीफ़ और अल्लाह तआला का नाम लेना इस्तिग़फ़ार पढ़ना या और कोई वज़ीफ़ा पढ़ना जैसे **ला हौला व ला क़ुव्वता**

इल्ला बिल्लाहिल–अलीयिल–अज़ीम। पढ़ना मना नहीं है, यह सब दुरुस्त है। और दुआए कुनूत का पढ़ना भी दुरुस्त है। और दुआएं जो कुरआन में आई हैं उनको दुंआ की नीयत से पढ़े, तिलावत के इरादा से न पढ़े तो दुरुस्त है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 63, जिल्द 2 बहवाला बह्‌रुर्राइक़ स0 199, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 211, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 280, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 271, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़)।

हैज़ की हालत में सोहबत करने के नुक़सानात

तिब्बी रू से जो शख़्स हालते हैज़ में औरत से जिमाअ़ करेगा उसको मुन्दरजा ज़ैल अमराज़ लाहिक़ होने का एहतेमाल है मसलन ख़ारिश, ना मर्दी, सोज़िश यानी जलन, जिरयान, जुज़ाम यानी कोढ़ वलद यानी जो बच्चा पैदा होता है उसको जुज़ाम हो जाता है।

और औरत को मन्दरजा ज़ैल बीमारियाँ लाहिक़ हो जाती हैं। औरत को अक्सर हमेशा के लिए ख़ून जारी हो जाता है और बच्चा दानी यानी रिहम बाहर को लटक आता है और बाज़ औरतों को अक्सर औक़ात कच्चा हमल गिर जाने का बाइस होता है, मिन जुमला दीगर उमूर के बड़ा सबब यही होता है।

चूंकि हालते हैज़ में जिमाअ़ करने से मज़्कूरा बाला अमराज़ और दीगर कई नुक़्सानात व अवारिज़ पैदा हो जाते हैं जिनको अल्लाह तआला ही बेहतर जानते हैं, इसलिए अल्लाह तआला

ने अपने बन्दों पर रहम करके हालते हैज़ में जिमाअ़ करने से मना फ़रमाया है। (असरारे शरीअत स0 248, जिल्द 2)।

जिस निफ़ास वाली औरत की आदत मुक़र्रर न हो उससे सोहबत करना?

सवाल : किसी औरत को पहली मरतबा पैंतीस दिन और दूसरी बार बत्तीस दिन और तीसरी बार तीस दिन निफ़ास का ख़ून जारी रहा तो तीसरी बार वह औरत कब से पाक है और शौहर उससे सोहबत कब से कर सकता है?

जवाब : इस सूरत में तीस दिन के बाद ग़ुस्ल करके नमाज़ पढ़े और अगर रमज़ानुल–मुबारक हो तो रोज़ा रखे। लेकिन सोहबत मकरूह है हां तीस दिन के बाद (जो उसकी आदत थी) सोहबत दुरुस्त है। (फ़तावा रहीमिया स0 264, जिल्द 4, बहवाला आलमगीरी स0 39, जिल्द 1)।

हैज़ के बन्द होने से कितनी देर बाद सोहबत जाइज़ है ?

मस्अला : अगर दस दिन मुकम्मल होने के बाद ख़ून बन्द हुआ है तो उस वक़्त हम बिस्तरी जाइज़ है, मगर मुस्तहब यह है कि ग़ुस्ल के बाद करे। और अगर दस रोज़ से क़ब्ल पाक हो गई तो हिल्लते वती (सोहबत के जाइज़ होने) के लिए दो शर्तों में से एक का वजूद ज़रूरी है। यानी औरत ग़ुस्ल कर ले, या ख़ून बन्द होने के बाद इतना वक़्त गुज़र जाए कि उसके ज़िम्मा नमाज़ की क़ज़ा फ़र्ज़ हो जाए, जब उन दोनों में से कोई एक शर्त नहीं पाई जाएगी, हम बिस्तरी हलाल न होगी।

नमाज़ की क़ज़ा तब फ़र्ज़ होती है कि ख़ून बन्द होने के बाद

नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से पहले फुर्ती से ग़ुस्ल करके तक्बीरे तहरीमा कह सके, पस अगर अस्र से कुछ क़ब्ल ख़ून बन्द हुआ मगर ग़ुस्ल करके तक्बीरे तहरीमा कहने के बराबर वक़्त न था तो ग़ुरूब से पहले वती हलाल नहीं, इसलिए कि इससे क़ब्ल उसके ज़िम्मा कोई नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 69, जिल्द 2 बही हवाला रद्दुल–मुह्तार स0 273, जिल्द अव्वल)।

हैज़ व निफ़ास की हालत में सोहबत कर लेने से क्या कफ़्फ़ारा है ?

मस्अला : ख़ास अैयाम (हैज़ व निफ़ास) की हालत में बीवी से सोहबत करना जबकि वह अैयामे माहवारी में हो, नाजाइज़ व हराम और गुनाहे कबीरा है, अगर किसी से यह फ़ेल यानी ख़ास दिनों में सोहबत हो गई तो, तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और अगर गुंजाइश हो तो तक़्रीबन छे: ग्राम चाँदी या उसकी क़ीमत का सदक़ा करे, वरना तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे, मगर इस नाजाइज़ फ़ेअ़ल से निकाह में कोई फ़र्क़ नहीं आता। (आपके मसाइल स0 68, जिल्द 2, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 279, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 272, जिल्द अव्वल व फतावा महमूदिया स0 49, जिल्द 9)।

मस्अला : उन अैयाम में नाफ़ से लेकर घुटनों तक के हिस्स–ए–बदन को शौहर के लिए हाथ लगाना और मस करना (छूना) भी बग़ैर पर्दा के (कपड़े के) जाइज़ नहीं है। (आपके मसाइल स0 68, जिल्द 2)।

मस्अला : जिस औरत के बच्चा पैदा हो उसके लिए मुद्दते

निफ़ास ज़्यादा से ज़्यादा चालीस दिन है, अगर किसी औरत को उस मुद्दत में बराबर ख़ून कम व बेश आता रहे, तो उसका शौहर चालीस दिन तक उससे मुजामअत नहीं कर सकता, चालीस दिन के बाद जाइज़ है और चूंकि निफ़ास में कम मिक़्दार की कुछ मुद्दत नहीं है, इसलिए अगर चालीस दिन से पहले ख़ून बन्द हो जाए तो ग़ुस्ल के बाद उससे सोहबत जाइज़ है।

मस्अला : और निफ़ास की हालत में जिमाअ़ करने में भी सदक़ा कर देना अच्छा है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 282, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 275, जिल्द अव्वल, मज़ाहिरे हक़ स0 290, जिल्द 1, अल–बह्र स0 213, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़)।

निफ़ास की हालत में ग़ुस्ल करना ?

मस्अला : निफ़ास (बच्चा की पैदाइश का ख़ून) बन्द होने पर ग़ुस्ल वाजिब है वैसे निफ़ास की हालत में (गर्मी वग़ैरह की वजह से) ज़ाहिरी पाकीज़गी और सेहत के लिए रोज़ाना ग़ुस्ल किया जा सकता है मना नहीं है। चालीस रोज़ से पहले जब भी ख़ून बन्द हो जाए तहारत की नीयत से ग़ुस्ल करके नमाज़ शुरू कर देना ज़रूरी है।

अगर चालीस रोज़ तक ख़ून जारी रहा जो उसकी इंतिहाई मुद्दत है तो चालीस रोज़ पूरे होते ही ग़ुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दे। (फ़तावा रहीमिया स0 256, जिल्द 4)।

आप्रेशन के ज़रीआ विलादत पर निफ़ास का हुक्म

सवाल : अगर कोई औरत बच्चा के पैदा होने के बाद ख़ून

न देखे तो क्या उसको निफ़ास वाली कहेंगे या नहीं?

जवाब : मोतमद क़ौल की बिना पर वह औरत निफ़ास वाली है, लिहाज़ा उस पर एहतियातन ग़ुस्ल वाजिब है, क्योंकि विलादत के बाद कुछ न कुछ ख़ून का आना ज़रूरी है, ख़्वाह वह देखने में न आए, सिवाए इसके कि अगर किसी औरत का बच्चा उसकी नाफ़ से पैदा हुआ, इस तरह कि उसकी नाफ़ में ज़ख़्म था, विलादत के वक़्त वह फट गया और बच्चा उससे निकल आया (या बड़े आप्रेशन से हुआ) तो उस वक़्त देखा जाएगा कि अगर ख़ून बच्चा दानी से बहा है तो वह और निफ़ास वाली कही जाएगी और अगर बच्चा दानी से ख़ून जारी नहीं हुआ तो वह निफ़ास वाली न होगी बल्कि ज़ख़्म वाली कही जाएगी। अगरचे उसके लिए बच्चा के अहकाम साबित होंगे मसलन उसकी मां की इद्दत बच्चा पैदा होने पर ख़त्म हो जाएगी, ग़ुस्ल भी वाजिब होगा वग़ैरह। (कश्फुल–असरार स0 66, जिल्द 2)।

बग़ैर ग़ुस्ल के जिमाअ़ करना ?

मस्अला : जिस औरत का हैज़ दस दिन व रात आकर बन्द हुआ हो उससे बग़ैर ग़ुस्ल के ख़ून बन्द होते ही जिमाअ़ (सोहबत) जाइज़ है, और जिस औरत का ख़ून दस दिन व रात से कम आकर बन्द हुआ है तो उससे जिमाअ़ जाइज़ नहीं जब तक कि उसकी आदत न गुज़र जाए, अगरचे ग़ुस्ल भी कर चुके और अगर आदत के मुवाफ़िक़ आकर बन्द हुआ है जब तक ग़ुस्ल न करे या एक नमाज़ का वक़्त न गुज़र जाए जिमाअ़ जाइज़ नहीं, एक नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने के बाद बग़ैर ग़ुस्ल

के भी जाइज़ है, नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने से यह मक़्सूद है कि अगर शुरू वक़्त में ख़ून बन्द हुआ हो तो बाक़ी सब वक़्त गुज़र जाए और अगर अख़ीर वक़्त में बन्द हुआ हो तो इस क़दर वक़्त होना ज़रूरी है कि जिसमें गुस्ल करके नमाज़ की नीयत करने की गुंजाइश हो, अगर उससे भी कम वक़्त बाक़ी हो तो फिर उसका ऐतबार नहीं है, दूसरी नमाज़ का पूरा वक़्त गुज़र जाना ज़रूरी है। और यही हुक्म है निफ़ास का (बच्चा पैदा होने के बाद के ख़ून का है) कि अगर चालीस दिन आकर बन्द हुआ हो तो ख़ून बन्द होते ही बग़ैर गुस्ल के, और अगर चालीस दिन से कम आकर बन्द हुआ हो और आदत से भी कम हो तो बाद आदत गुज़र जाने के और अगर आदत के मुवाफ़िक़ बन्द हुआ हो तो बाद गुस्ल या नमाज़ का वक़्त गुज़र जाने से जिमाअ़ वग़ैरह जाइज़ है, हां इन सूरतों में मुस्तहब यह है कि गुस्ल के बग़ैर जिमाअ़ न किया जाए।

(बह्रुर्राइक़, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 98, जिल्द अव्वल)।

औरत को गुस्ल करने में ताख़ीर मुस्तहब है

मस्अला : जिस औरत का ख़ून दस दिन व रात से कम आकर बन्द हुआ हो अगर आदत मुक़र्रर हो चुकी हो तो आदत से भी कम हो उसको नमाज़ के अख़ीर मुस्तहब वक़्त तक गुस्ल में ताख़ीर करना वाजिब है, इस ख़्याल से कि शायद फिर ख़ून न आ जाए, मसलन अगर इशा के शुरू वक़्त ख़ून बन्द हुआ हो तो इशा के अख़ीर वक़्त यानी निस्फ़ शब के क़रीब तक उसको गुस्ल में ताख़ीर करना चाहिए, और जिस औरत का हैज़ दस दिन या अगर आदत मुक़र्रर हो तो आदत के मुवाफ़िक़ बन्द हुआ

हो तो उसको नमाज़ के अख़ीर वक़्ते मुस्तहब तक ग़ुस्ल में तवक़्क़ुफ़ करना मुस्तहब है और यही हुक्म निफ़ास का है कि चालीस दिन से कम और अगर आदत मुक़र्रर हो तो आदत से कम आकर बन्द हो तो आख़ीर वक़्ते मुस्तहब तक ग़ुस्ल में ताख़ीर करना वाजिब है और पूरे चालीस दिन या आदत मुक़र्रर हो तो आदत के मुवाफ़िक़ आकर बन्द हो तो आख़िर वक़्ते मुस्तहब तक ग़ुस्ल में ताख़ीर करना मुस्तहब है वाजिब नहीं।

हैज़ आवर दवा का इस्तेमाल करना

मस्अला : अगर कोई औरत ग़ैर ज़मान–ए–हैज़ में कोई दवा ऐसी इस्तेमाल करे कि जिससे ख़ून आ जाए वह हैज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी औरत को महीने में एक दफ़ा पाँच दिन हैज़ आता हो उसको हैज़ के पन्द्रह दिन बाद दवा के इस्तेमाल से ख़ून आ जाए वह हैज़ नहीं।

मस्अला : अगर कोई औरत दवा वग़ैरह इस्तेमाल करके या और किसी तरह अपना हमल साक़ित कर दे, (गिरवा दे या और किसी वजह से उसका हमल साक़ित हो जाए (गिर जाए) और उसके बाद ख़ून आए तो अगर बच्चा की शक्ल मिस्ल हाथ, पैर या उंगली वग़ैरह के ज़ाहिर होती हो तो वह ख़ून निफ़ास है। और अगर बच्चा की शक्ल वग़ैरह ज़ाहिर न हुई हो बल्कि गोश्त का लोथड़ा हो तो उसके बाद जो ख़ून आए वह निफ़ास नहीं बल्कि अगर तीन दिन व रात या उससे ज़्यादा आए और उससे पहले औरत पन्द्रह दिन तक पाक रह चुकी हो तो यह ख़ूने हैज़ होगा वरना इस्तिहाज़ा।

मस्अला : किसी बच्चा के तमाम आज़ा कट कट कर निकलें तो उसके अक्सर आज़ा निकल चुकने के बाद जो ख़ून आए वह भी निफ़ास है। (इल्मुल–फ़िक्ह स0 99, जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 76, जिल्द 1, बहवाला मुनयतुल–मुसल्ली स0 15, व शरहुत्तनवीर स0 176, जिल्द अव्वल)।

हैज़ व निफ़ास को रोकना

मस्अला : किसी औरत के लिए यह जाइज़ नहीं कि हैज़ के ख़ून को रोक ले, या मुक़र्ररह वक़्त से पहले लाने की कोशिश करे, जबकि ऐसा करना सेहत के लिए मुज़िर हो। (अगर मुज़िर न हो तो जाइज़ है) क्योंकि सेहत की हिफ़ाज़त वाजिब है। इस क़ैद से यह मक़्सद है कि हैज़ के लिए यह लाज़िम है कि वह आगे की राह से ख़ारिज हो, अगर पीछे की राह से या बदन के किसी और हिस्सा से ख़ून निकला तो वह हैज़ नहीं है। ग़रज़ कि यह ज़रूरी है कि ख़ून अज़ ख़ुद निकला हो जिसका और कोई सबब न हो, वरना वह हैज़ नहीं होगा। (किताबुल–फ़िक्ह स0 203, जिल्द 1)।

मस्अला : जिस औरत को पेशाब या ख़ूने इस्तिहाज़ा के क़तरात आते रहते हों और वह किसी तदबीर से (दवा वग़ैरह के ज़रीआ से) निकलने न दे तो उसका वुज़ू और नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी लेकिन यह तदबीर यानी हैज़ को रोकने की तदबीर कार गर न होगी और नमाज़ पढ़ना दुरुस्त न होगा। (फ़तावा रहीमिया स0 258, जिल्द 4)।

(यानी हैज़ व निफ़ास को वक़्त पर आने से रोक कर नमाज़ वग़ैरह पढ़ना दुरुस्त न होगा। (मुहम्मद रफ़्अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)

इस्क़ात के बाद ख़ून आने का हुक्म

सवाल : बच्चा इस्क़ात हो गया जो सिर्फ़ लोथड़ा था, आज़ा नहीं बने थे तो बाद इस्क़ात के निफ़ास का हुक्म होगा या हैज़ का? अगर हैज़ का हुक्म हो तो जो नमाज़ें निफ़ास समझ कर मस्अला न मालूम होने की वजह से दस दिन के बाद छोड़ी गईं, उनकी क़ज़ा वाजिब है या नहीं।

जवाब : अगर हमल चार माह या उससे ज़्यादा मुद्दत का हो तो विलादत के बाद आने वाला ख़ून निफ़ास होगा, अगर हमल पर चार माह न गुज़रे हों तो यह ख़ूने हैज़ है बशर्तेकि तीन रोज़ या उससे ज़्यादा आए, अगर तीन रोज़ से कम आया तो यह इस्तिहाज़ा है (यानी किसी बीमारी की वजह से ख़ून आ गया है)।

अगर चार माह नहीं गुज़रे थे, उसके बावजूद उस ख़ून को निफ़ास समझ कर नमाज़ें छोड़ दीं तो उनकी क़ज़ा फ़र्ज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 72, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 279, , जिल्द 1 व फ़तावा महमूदिया स0 45, जिल्द 9 बहवाला शामी स0 276, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर निफ़ास के दिनों की पहले से कुछ आदत न हो तो चालीस दिन तक हुक्म निफ़ास का जारी रहेगा, उसमें नमाज़ रोज़ा कुछ न होगा। अल्बत्ता बिल्कुल धब्बा न आए या अैयामे आदत (जितने दिनों की आदत है निफ़ास की) पूरे हो जाएं उस वक़्त फिर ग़ुस्ल करके नमाज़ रोज़ा शुरू किया जाए। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 280, जिल्द अव्वल बहवाला

रद्दुल–मुह्तार स0 277, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़)।

मस्अला : निफ़ास में आदत पूरी हो जाने के बाद नमाज़ व रोज़ा कर सकती है और उसका शौहर उससे सोहबत भी कर सकता है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 281, जिल्द अव्वल व रद्दुल–मुह्तार स0 272, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ना तमाम बच्चा हुक्म में बच्चा ही के है तो उसकी मां उसके गिरने के बाद निफ़ास वाली और अगर लौंडी है तो उम्मे वलद हो जाएगी यानी आज़ाद हो जाएगी, और अगर ना तमाम बच्चा का हाल मालूम न हो सका कि उसके आज़ा वग़ैरह ज़ाहिर थे या नहीं, इस लिए कि वह इस्क़ात अंधेरे में हुआ और उसको बग़ैर देखे फेंक दिया गया और न उस औरत को हमल के दिनों की गिनती मालूम है और ख़ून बराबर जारी रहा तो वह अैयाम जो यक़ीनी तौर पर उसके हैज़ के हैं, उन दिनों में नमाज़ को छोड़ दिया करे फिर ग़ुस्ल करे फिर वह माज़ूर की तरह नमाज़ अदा करे यानी हर वक़्त के लिए ताज़ा वुज़ू करे। (कश्फ़ुल–असरार स0 69, जिल्द 2)।

हालते हैज़ में सोते वक़्त आयतुल-कुर्सी और चारों कुल पढ़ना

मस्अला : अगर किसी औरत को रात को सोते वक़्त पंज कलिमा, आयतुल–कुर्सी और चारों कुल और अल्हम्दु शरीफ़ पढ़ने की आदत है तो हैज़ के ज़माना में दुआ की नीयत से पढ़ ले, तिलावत की नीयत न करे। (अहसनुल–फ़तावल स0 71, जिल्द 2, इम्दादुल–फ़तावा स0 146, जिल्द अव्वल)।

हाइज़ा पर दम करना

मस्अला : हैज़ या निफ़ास वाली औरत पर कुरआने पाक पढ़ कर दम करना जाइज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 71, जिल्द 2)।

औरतों के लिए एक मुस्तहब चीज़

उम्मुल–मुमिनीन हज़रत आइशा रज़ि अल्लाहु तआला अन्हा ब्यान करती हैं कि (एक दिन) अंसार में की एक औरत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से पूछा कि वह हैज़ का गुस्ल किस तरह करे? तो आपने उसको गुस्ल का वही तरीका बतलाया (जो अहादीस में पहले गुज़र चुका) और फिर (मज़ीद) फ़रमाया मुश्क का एक टुकड़ा लेकर उसके ज़रीआ पाकी हासिल करो। यह सुन कर वह औरत समझी नहीं, तो उसने पूछा उस (टुकड़े) के ज़रीए किस तरह पाकी हासिल करूँ? आपने फ़रमाया! सुब्हानल्लाह! उसके ज़रीआ पाकी हासिल करो।

(हज़रत आइशा रज़ि. ब्यान करती हैं कि मैं आपके इरशाद का मतलब ख़ूब समझ रही थी, इसलिए इस औरत को मतलब समझाने के लिए) मैंने उसको अपनी तरफ़ खींच लिया और उसके कान के क़रीब अपना मुँह ले जा कर आहिस्ता से) उसको बताया कि उस टुकड़े को ख़ून की जगह यानी शर्मगाह में रख लो। (बुख़ारी व मुस्लिम)।

तश्रीह : "मुश्क का एक टुकड़ा लेकर।" इसका मतलब या तो यह था कि मुश्क ही का एक टुकड़ा लेकर उसके ज़रीए पाकी हासिल करो, या यह मतलब था कि कपड़े का कोई

टुकड़ा या रूई का फाया मुश्क (या किसी और ख़ुश्बू) में बसा कर उसके ज़रीआ पाकी हासिल करो। इस हदीस के पेशे नज़र उलमा ने कहा है कि औरत के लिए मुस्तहब है कि मुश्क का एक टुकड़ा मुश्क वग़ैरह में बसा हुआ कपड़े का टुकड़ा रूई का फाया" लेकर औरत अपनी शर्मगाह में रख ले, ताकि ख़ून की बदबू ज़ाइल हो जाए। (मज़ाहिरे हक़ स0 413, जिल्द अव्वल)।

(औरत हैज़ व निफ़ास से फ़ारिग़ हो कर नहाने के बाद ख़ुश्बू या ख़ुश्बूदार कपड़े का इस्तेमाल करे ताकि मर्द की रग़बत ज़्यादा हो।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी)।

शर्मगाह को बोसा देना

सवाल : मर्द का औरत की शर्मगाह को चूमना (बोसा देना) और औरत के मुँह में अपना उज़्वे मख़्सूस (ज़कर) देना या मर्द औरत की शर्मगाह के ज़ाहिरी हिस्सा को ज़बान लगाए, चूमे तो ऐसी हरकतों में क़बाहत है या नहीं?

जवाब : बेशक शर्मगाह (पेशाब की जगह) का ज़ाहिरी हिस्सा पाक है, लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि हर पाक चीज़ को मुँह में लिया जाए, उसको चूमा और चाटा जाए।

नाक की रुतूबत पाक है तो क्या नाक के अन्दरूनी हिस्सा को ज़बान लगाना, उसकी रुतूबत को मुँह में लेना पसन्दीदा चीज़ हो सकती है? और उसकी क्या इजाज़त हो सकती है? मक़अद (पाख़ाना का मक़ाम) का ज़ाहिरी हिस्सा भी नापाक नहीं, पाक है। तो क्या उसको चूमने की इजाज़त होगी? हरगिज़ नहीं, **इसी तरह** शर्मगाह को चूमने और ज़बान लगाने की इजाज़त

नहीं सख़्त मकरूह और गुनाह है, कुत्तों बकरों वग़ैरह हैवानात की ख़स्लत के मुशाबेह है, अगर शह्वत का ग़लबा है तो सोहबत करके ख़त्म कर ले। (फ़तावा रहीमिया स० 271, जिल्द 6, बहवाला आलमगीरी स० 246, जिल्द 6)।

मस्अला : एक बीवी से दूसरी बीवी के देखते हुए सोहबत करना बेहयाई है और दूसरी बीवी का दिल दुखाना है, एक औरत को दूसरी औरत का सत्र (पोशीदा हिस्सा) देखना भी गुनाह है, लिहाज़ा यह तरीक़ा वाजिबुत्तर्क है। (फ़तावा रहीमिया स० 255, जिल्द 6, बहवाला आलमगीरी स० 219, जिल्द 5)।

मस्अला : हया का तक़ाज़ा तो यह है कि चादर वग़ैरह ओढ़ कर हम बिस्तरी करे। (बरहना हो कर सोहबत न करे)।

(फ़तावा महमूदिया स० 387, जिल्द 4)।

मस्अला : बरहना हो कर भी हम बिस्तरी करना दुरुस्त है, अल्बत्ता मुनासिब नहीं है, नीज़ जिमाअ़ दिन में भी दुरुस्त है।

(फ़तावा महमूदिया स० 319, जल्द 12, ब़हवाला शामी स० 322, जिल्द 5)।

मस्अला : शह्वत के जोश में अपनी औरत का पिस्तान मुँह में लेने पर मज्बूर हो जाए तो गुनाह न होगा, अल्बत्ता दूध पीना हराम है मगर उससे हुर्मते रज़ाअत साबित न होगी क्योंकि यह मुद्दते रज़ाअत नहीं है। (फ़तावा रहीमिया स० 257, जिल्द 6)।

(मज़्कूरा बाला सूरतों में मनी निकल आई तो ग़ुस्ल वाजिब होगा और सिर्फ़ मज़ी निकली है तो वज़ू टूट जाएगा।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

अगर जिन्न ने किसी औरत से सोहबत की तो ग़ुस्ल का हुक्म क्या है ?

मस्अला : अगर कोई औरत यह कहती है कि मेरे साथ जिन्न ख़्वाब में सोहबत करता है और उससे उसे लज़्ज़त महसूस होती है, उसी तरह जिस तरह शौहर के जिमाअ़ से हासिल होती है, अगर औरत को इस सूरत में इंज़ाल हुआ (मनी निकली) तो ग़ुस्ल वाजिब है वरना नहीं, गोया यह एहतिलाम क़रार पाएगा। और एहतिलाम से ग़ुस्ल वाजिब होता है, और अगर यह सूरत हुई कि वह जिन्न आदमी की शक्ल में ज़ाहिर हुआ और ज़ाहिर हो कर उसने मर्द की तरह औरत से जिमाअ़ किया तो फ़क़त उस जिन्न के हश्फ़ा दाख़िल कर देने से उस औरत पर ग़ुस्ल वाजिब होगा, उस औरत को इंज़ाल हो या न हो दोनों सूरतों में। (हश्फ़ा आल–ए–तनासुल का वह हिस्सा है जो ख़त्ना की जगह से ऊपर है और जिसे सुपारी भी कहते हैं।)

मस्अला : अगर कोई जिन्निया यानी जिन्न की औरत ज़ाहिर हो और कोई मर्द (इंसान) उससे जिमाअ़ करे तो उस पर ग़ुस्ल वाजिब होगा। (कश्फुल–असरार स0 35, जिल्द अव्वल)।

इंजक्शन के ज़रीआ औरत के रिहम में मनी पहुँचाने पर ग़ुस्ल का हुक्म

सवाल : इंजक्शन के ज़रीआ औरत के रिहम में माद्द–ए–मनवीया फ़र की राह से पहुँचाई तो क्या औरत पर ग़ुस्ल वाजिब होगा?

जवाब : अगर उस अमल से औरत में शह्वत पैदा हुई तो ग़ुस्ल का वाजिब होना राजेह है। और अगर मुतलक़न शह्वत

पैदा न हुई तो ग़ुस्ल वाजिब नहीं है। लेकिन ग़ुस्ल कर लेने में एहतियात है। (फ़तावा रहीमिया स0 354, जिल्द 7, तफ़्सील फ़तावा रहीमिया स0 281, जिल्द 6 बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 153, जिल्द अव्वल, अब्वासुल–ग़ुस्ल, मराक़ियुल–फ़लाह स0 55)।

औरत की शर्मगाह में उंगली दाख़िल करने से ग़ुस्ल का हुक्म

सवाल : औरत की शर्मगाह में (फ़रजे दाख़िल में) डॉक्टर औरत या दाया बग़रज़े इलाज या तहक़ीक़े हमल के वास्ते हाथ या उंगली दाख़िल करे या औरत दवा लगाने के लिए ख़ुद अपनी उंगली दाख़िल करे तो औरत पर ग़ुस्ल लाज़िम होगा या नहीं? और अगर यह अमल शौहर करे तो क्या हुक्म है?

जवाब : अगर यह अमल इलाजन हो, चाहे डॉक्टरनी करे या औरत ख़ुद करे और औरत के अन्दर शह्वत पैदा नहीं हुई तो महज़ हाथ या उंगली दाख़िल करने से ग़ुस्ल वाजिब न होगा, लेकिन अगर ग़लब–ए–शह्वत से लज़्ज़त अंदोज़ होने के इरादे से करें (अपनी उंगली दाख़िल करे) या मियां बक़स्दे इस्तिम्ताअ़ यह अमल करें (शौहर अपनी उंगली दाख़िल करे) तो बाज़ फ़ुक़हा–ए–किराम रह. के क़ौल के मुताबिक़ ग़ुस्ल वाजिब हो जाता है और उसको मुख़्तार भी किया गया है, लिहाज़ा इस सूरत में बेहतर यही है कि औरत ग़ुस्ल कर ले, इसी में एहतियात है (और अगर औरत को मनी किल आई तो फिर तो यक़ीनन ग़ुस्ल वाजिब हो जाएगा)। (फतावा रहीमिया स0 135, जिल्द 7, बहवाला तहतावी अलद्दुर्रिल स0 139, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 165, जिल्द अव्वल बहवाला कबीरी स0 44)।

मस्अला : बग़ैर शह्वत के औरत खुद ही अपनी शर्मगाह में उंगली डाले तो उस पर गुस्ल वाजिब न होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 168, जिल्द अव्वल बहवाला गुनया स0 141)।

मस्अला : अगर कोई औरत शह्वत के ग़लबा में अपने ख़ास हिस्सा में किसी बे शह्वत मर्द या जानवर के किसी ख़ास हिस्सा को या किसी लकड़ी वग़ैरह को या खुंसा या मैयत के ज़कर को या अपनी उंगली को दाख़िल करे तब भी उस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा, जबकि औरत को इंज़ाल हो (मनी निकल जाए)।

(फ़तावा रहीमिया स0 136, जिल्द 7, बहवाला उम्दतुल–फ़िक़्ह स0 112, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जिन चीज़ों से लज़्ज़ते जिमाअ़ हासिल नहीं होती है और न उसकी वजह से इंज़ाल पाया जाए तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा, मसलन पिछले हिस्सा में उंगली करने या जानवरों या बच्चों का आल–ए–तनासुल या आल–ए–तनासुल जैसी लकड़ी या कोई और चीज़ दाख़िल करने से उसमें गुस्ल का फ़र्ज़ न होना ज़ाहिर है और मुत्तफ़क़ अलैह भी है, लेकिन अगर औरत यह चीज़ें अपने अगले हिस्सा में दाख़िल करे और उन से शह्वत रानी का इरादा करे तो औरत को इंज़ाल न भी हो तो भी उस पर गुस्ल वाजिब है, इसलिए कि औरत में शह्वत ग़ालिब होती है तो सबब क़ाइम मक़ाम मुसब्बब का हो सकेगा। बल्कि बाज़ ने गुस्ल के वाजिब ही को औला कहा है।

(कश्फुल–असरार स0 39, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल में औरत के बालों का हुक्म

मस्अला : अगर औरत के सर के बाल खुले हों तो बालों का तर करना फ़र्ज़ है, जड़ों तक भी पानी पहुँचाए। और अगर औरत के बाल गुंधे हुए हों तो उनको खोलना ज़रूरी नहीं, सिर्फ़ जड़ों का तर करना फ़र्ज़ है, अल्बत्ता बिदून (बग़ैर) खोले जड़ों तक पानी न पहुँच सके तो खोल कर सब बालों को धोना फर्ज़ है। (अहसनुल–फ़तावा स0 36, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 142, जिल्द अव्वल व इम्दादुल–फ़तावा स0 44, जिल्द 1)।

मस्अला : औरत के लिए सर की मेंडियों को खोलना ज़रूरी नहीं है जबकि बालों की जड़ों में पानी पहुँच जाए। (हिदाया स0 11, जिल्द अव्वल, कबीरी स0 47, व फ़तावा दारुल–उलूम स0 153 जिल्द अव्वल व फ़तावा महमूदिया स0 24, जिल्द 2)।

(इस तरह करे कि सर पर पानी डाल कर बालों को हाथों से दबा दे कि पानी बालों की जड़ों में पहुँच जाए।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : अगर औरत ने नाक में नथ या कानों में बालियाँ या उंगलियों में अंगूठी वग़ैरह पहनी हुई है तो ग़ुस्ल करते वक़्त उनको हिलाना ज़रूरी है जबकि पानी न पहुँचे यानी अगर पानी पहुँच जाए तो हिलाना ज़रूरी नहीं है। (शरह वक़ाया स0 74, जिल्द अव्वल व मुनया स0 16, व बहिश्ती ज़ेवर स0 57, व कश्फ़ुल–असरार स0 23, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर माथे पर अफ़्शाँ लगी है या बालों में इतना गोंद लगा है कि बाल अच्छी तरह न भीगें तो गोंद को ख़ूब

छुड़ा डालें और अफ़्शाँ को धो डालें, अगर गोंद के नीचे पानी न पहुँचेगा ऊपर ही ऊपर से बह जाए तो ग़ुस्ल सही न होगा।

मस्अला : अगर मिस्सी की तह जमाई हो तो उसको छुड़ा कर कुल्ली करे वरना ग़ुस्ल सही न होगा, नीज़ औरत को यह इजाज़त नहीं दी गई कि वह सर पर ऐसा मसाला लगा रहने दे कि जो बालों की जड़ों तक पानी पहुँचने से माने हो ख़्वाह दुल्हन ही क्यों न हो। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 187, जिल्द 1)

ग़ुस्ल में औरत के लिए फ़रजे ख़ारिज का धोना ?

सवाल : औरत के फ़र्ज़े ग़ुस्ल में शर्मगाह को अन्दर से धोना भी ज़रूरी है, या यह कि आम दस्तूर के मुताबिक़ इस्तिंजा काफ़ी है?

जवाब : औरत की शर्मगाह के दो हिस्से हैं, एक अन्दरूनी हिस्सा जो मुस्ततील (लम्बी) शक्ल का है, उसके बाद कुछ गहराई में जाकर गोल सूराख़ है, उस गोलाई से ऊपर के हिस्सा को फ़रजे ख़ारिज और अन्दरूनी हिस्सा को फ़रजे दाख़िल कहा जाता है, फ़र्ज़े ग़ुस्ल में फ़रजे ख़ारिज का धोना फ़र्ज़ है, यानी गोल सूराख़ तक पानी पहुँचाना ज़रूरी है, बग़ैर उसके ग़ुस्ल सही न होगा, अल्बत्ता फ़रजे दाख़िल के अन्दर पानी पहुँचाना ज़रूरी नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स0 37, जिल्द 2 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 141, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : औरत की शर्मगाह से हम बिस्तरी के वक़्त जो रुतूबत निकले वह नजासते ग़लीज़ा है। जिस कपड़े या उज़्व को वह रुतूबत लगे उसको धोना ज़रूरी है। (फ़तावा दारुल–उलूम

स0 343, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 288, जिल्द अव्वल बाबुल–अंजास)।

मस्अला : जो औरतें दाँतों पर मिस्सी मिलती हैं अगर सिर्फ़ उसका रंग है तो वह माने तहारत नहीं है और अगर कोई ऐसी चीज़ है कि वह ख़ुद जम जाती है और पानी को नहीं पहुँचने देनी तो यह माने है। (दुर्रे मुख़्तार स0 23, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : गुस्ल के वक़्त औरत को शर्मगाह के ज़ाहिरी हिस्सा का धोना काफ़ी है। (इम्दादुल–फ़तावा स0 44, जिल्द अव्वल)।

अगर हालते निफ़ास में एहतिलाम हो जाए?

मस्अला : निफ़ास वाली औरत को अगर एहतिलाम हो जाए तो पाक होने के बाद एक ही गुस्ल वाजिब होगा। (अहसनुल–फ़तावा स0 32, जिल्द 2, बहवाला तातार ख़ानिया स0 22)।

मस्अला : एक शख़्स ने अपनी बीवी से सोहबत की और सुब्ह़ को उसकी बीवी हाइज़ा हो गई तो बीवी पर गुस्ले जनाबत फ़र्ज़ नहीं रहा, हैज़ से पाक हो कर गुस्ल करे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 167, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 153, जिल्द अव्वल बहसुल–गुस्ल व आलमगीरी स0 15, जिल्द 1)।

मस्अला : औरतों को शह्वत से मनी निकले, मर्दों की तरह तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है।

मस्अला : औरतों को अगर एहतिलाम हो (बदख़्वाबी में मनी निकले) तो उन पर गुस्ल फ़र्ज़ है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 165, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया स0 37, जिल्द अव्वल)।

चन्द दिन ख़ून फिर सफ़ेद पानी और फिर ख़ून आ गया

सवाल : एक औरत को बारह रोज़ निफ़ास (बच्चा पैदा होने के बाद ख़ून) आकर सफ़ेद पानी आ गया, बाद में फिर ख़ून आ गया, उस ख़ून का क्या हुक्म है?

जवाब : मुद्दते निफ़ास यानी चालीस दिन के अन्दर जो ख़ून आएगा वह सब निफ़ास में शुमार होगा, दरमियान में जो दिन ख़ाली गुज़र गए वह भी निफ़ास में ही शुमार होंगे अल्बत्ता अगर चालीस दिन से ज़ाइद ख़ून जारी रहा तो फिर देखा जाएगा कि उस औरत की निफ़ास से मुतअल्लिक़ कोई आदत पहले से मुतऐयन थी या नहीं। अगर मुतऐयन है तो अैयामे आदत के बाद से इस्तिहाज़ा (बीमारी का ख़ून) शुमार होगा। मसलन तीस दिन की आदत थ और ख़ून पचास दिन तक जारी रहा तो तीस दिन निफ़ास और बाक़ी बीस दिन इस्तिहाज़ा होगा। और पहले कोई आदत मुऐयन न थी तो चालीस दिन निफ़ास और बाक़ी दस इस्तिहाज़ा (बीमारी का ख़ून) होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 282, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 275, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़)।

मस्अला : अगर किसी औरत को निफ़ास (बच्चा की पैदाइश के बाद आने वाला ख़ून) इस तरह आता है कि चार रोज़ आया फिर बन्द हो गया, फिर चार दिन आया फिर बन्द हो गया, इसी तरह चलता रहा, यहाँ तक कि चालीस रोज़ ख़त्म हो गए तो चालीस रोज़ निफ़ास के शुमार होंगे दरमियान का ज़माना ताहरत (पाकी) में शुमार न होगा। जबकि चालीस रोज़ की

आदत हो चुकी है। (फ़तावा रहीमिया स0 262, जिल्द 4)।

मस्अला : एक औरत को बच्चा पैदा होने के बाद दस या बीस रोज़ ख़ून आया और फिर बन्द हो गया, तो ज़्यादा से ज़्यादा निफ़ास की मुद्दत चालीस रोज़ है, अगर उससे पहले ख़ून बन्द हो जाए और यह पहला बच्चा है और इससे पहले बच्चे हुए हैं और अभी जितने दिन ख़ून आया है उससे ज़्यादा ख़ून नहीं आया था तो इस सूरत में गुस्ल करके नमाज़ शुरू कर दे। और उससे हम बिस्तरी भी जाइज़ है। (फ़तावा रहीमिया स0 263, जिल्द 4)।

ऐयामे आदत के बाद ख़ून आना

सवाल : एक औरत की आदते मुस्तमिर्रा (दाइमी) यह है कि हर महीना में पाँच रोज़ हैज़ आता है, कभी–कभी छठे दिन भी आ जाता है, कभी तो यहाँ तक नौबत आती है कि नहा धो कर दो तीन नमाज़ पढ़ती है फिर ख़ून आ जाता है इसका हुक्म क्या है?

जवाब : पाँच दिन गुज़रने के बाद जब ख़ून बन्द हो जाए तो नमाज़ के आख़िर वक़्त में गुस्ल करके नमाज़ पढ़े फिर अगर ख़ून आ जाए तो नमाज़ छोड़ दे। (अहसनुल–फ़तावा स0 68, जिल्द 2)।

मस्अला : एक औरत को पाँच दिन हैज़ की आदत थी, बाद में कभी दस दिन ख़ून आता है और कभी ग्यारह दिन, तो अगर दस दिन के अन्दर अन्दर ख़ून आया है तो कुल हैज़ शुमार होगा, और अगर दस दिन से तजाउज़ कर गया तो सूरते मज़्कूरा में ऐयामे आदत यानी पाँच दिन हैज़ और बाक़ी इस्तिहाज़ा शुमार होगा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 284, जिल्द अव्वल बहवाला हिदाया व शरह वक़ाया)।

ऐयामे आदत से क़ब्ल ख़ून बन्द हो गया ?

सवाल : एक औरत को हमेशा पाँच रोज़ तक ख़ून आता था, अब चौथे रोज़ बन्द हो गया तो उसके लिए नमाज़ का क्या हुक्म है?

जवाब : इस सूरत में नमाज़ और रोज़ा फ़र्ज़ है मगर पाँच रोज़ मुकम्मल होने से क़ब्ल हम बिस्तरी जाइज़ नहीं है और नमाज़ को वक़्ते मुस्तहब के आख़िर तक मुअख़्ख़र करना वाजिब है। (अहसनुल–फ़तावा स0 68, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 271, जिल्द अव्वल)।

ख़ून बन्द होने पर नमाज़ व रोज़ा फ़र्ज़ होने की तफ़सील

सवाल : औरत की माहवारी का ख़ून नमाज़ के आख़िर वक़्त में बन्द हुआ तो उस पर यह नमाज़ फ़र्ज़ होने की क्या शर्त है? नीज़ रमज़ानुल–मुबारक में बिल्कुल आख़िरे शब में ख़ून बन्द हुआ तो उस दिन का रोज़ा फ़र्ज़ है या नहीं?

जवाब : अगर दस रोज़ से कम ख़ून की आदत है तो नमाज़ फ़र्ज़ होने के लिए यह शर्त है कि ख़ून बन्द होने के बाद नमाज़ का वक़्त ख़त्म होने से क़ब्ल फुर्ती से ग़ुस्ल का फ़र्ज़ अदा करके तक्बीरे तहरीमा कह सके, अगरचे ग़ुस्ल की सुन्नतें अदा करने का वक़्त न हो और पूरे दस रोज़ ख़ून आता हो तो अगर वक़्त ख़त्म होने से सिर्फ़ उतनी देर पहले दस रोज़ पूरे हो गए जिसमें बग़ैर ग़ुस्ल किए सिर्फ़ तक्बीरे तहरीमा कह सके तो यह नमाज़ फ़र्ज़ हो गई उसकी क़ज़ा करे, रोज़े का भी यही हुक्म है कि पहली सूरत में सुब्ह सादिक़ से क़ब्ल फ़र्ज़े ग़ुस्ल के बाद तक्बीर और दूसरी सूरत में सिर्फ़ तक्बीर का वक़्त पा लिया तो

उसका रोज़ा सही होगा वरना नहीं। (अहसनुल–फ़तावा स0 70, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 273, जिल्द)।

हाइज़ा पर रोज़ा की क़ज़ा करने की वजह ?

हाइज़ा पर रोज़ा वाजिब होना और नमाज़ की क़ज़ा न होने का सबब शरीअत की ख़ूबियों और उसकी हिक्मत और रिआयत मसालिहे मकल्लिफ़ीन से है, क्योंकि जब हैज़ मुनाफ़िये इबादत है तो उसमें इबादत का फ़ेअ्ल मश्रूअ नहीं हुआ, और ऐयामे तुहुर यानी पाकी के ज़माना में उसकी नमाज़ पढ़ने से काफ़ी हो जाती है क्योंकि वह बार–बार रोज़ मर्रा आती है मगर रोज़ा रोज़ मर्रा नहीं आता बल्कि साल में सिर्फ़ एक माह रोज़ों का है, अगर हैज़ के दिनों के रोज़े भी साक़ित कर दिए जाएं तो फिर उनकी नज़ीर का तदारुक नहीं हो सकता और रोज़ा की मस्लेहत उससे फ़ौत हो जाती, इसलिए उस पर वाजिब हुआ कि पाकी के ज़माना में रोज़े रख ले ताकि उसको रोज़ा की मस्लेहत हासिल हो जाए जो कि अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर महज़ अपनी रहमत और एहसान से उनके फ़ाइदा के लिए मश्रूअ़ फ़रमाया। (अल–मसालेहुल–अक़्लीया स0 84)।

हिफ़्ज़ करते हुए मख़्सूस ऐयाम शुरू हो जाएं तो ?

सवाल : लड़की हाफ़िज़ होते हुए बालिग़ हो जाए यानी हैज़ आना शुरू हो जाए, हर माह में इतने दिन छूट जाने से नाग़ा होता है तो याद किया हुआ भूल जाती है और फिर दोबारा याद करना पड़ता है तो ऐसी कोई सूरत है कि वह अपने हैज़ के दिनों में तिलावत कर सके ताकि कम अज़ कम पढ़ा

हुआ याद रहे?

जवाब : हैज़ के ज़माना में मज़्कूरा उज़्र की वजह से कुरआन शरीफ़ की तिलावत की इजाज़त नहीं हो सकती, याद किया हुआ भूल न जाए, उसके दो तरीक़े हो सकते हैं।

(1) कपड़े वग़ैरह जो अपने बदन पर पहने हुए हो, उसके अलावा से कुरआन शरीफ़ खोल कर बैठे और क़लम वग़ैरह किसी चीज़ से वरक़ पलटाए। और कुरआन शरीफ़ में देख कर दिल में पढ़े। ज़बान न हिलाए। (अच्छा तो यह है कि किसी दूसरे से वरक़ पलटवाए)।

(2) कोई तिलावत कर रहा हो तो उसके पास बैठ जाए और उससे सुनती रहे, सुनने से भी याद हो जाता है। यह दो तरीक़े जाइज़ हैं। और इंशाअल्लाह याद किया हुआ महफ़ूज़ रखने के लिए काफ़ी होंगे। (फ़तावा रहीमिया स० 279, जिल्द 4, व अहसनुल–फ़तावा स० 67, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स० 159, जिल्द अव्वल)।

नाख़ुन पालिश और लिपिस्टिक के होते हुए ग़ुस्ल करना

मस्अला : नाख़ुन पालिश लगाने से वुज़ू और ग़ुस्ल इसलिए नहीं होता कि नाख़ुन पालिश पानी को बदन तक पहुँचने नहीं देती। लबों की सुर्ख़ी में भी यही बात पाई जाती है कि वह पानी के जिल्द तक पहुँचने में रुकावट हो तो उसको उतारे बग़ैर ग़ुस्ल और वुज़ू नहीं होगा, और अगर वह पानी के पहुँचने से माने (रुकावट करने वाला) नहीं तो ग़ुस्ल और वुज़ू हो जाएगा हां अगर वुज़ू के बाद नाख़ुन पालिश या सुर्ख़ी लगा कर नमाज़

पढ़े तो नमाज़ हो जाएगी, लेकिन इससे बचना चाहिए।

(आपके मसाइल स0 76, जिल्द 3)।

मसला : नाखुन पालिश वाली मैयत की पालिश साफ़ करके गुस्ल दें वरना उसका गुस्ल सहीह न होगा। (आपके मसाइल स0 75, जिल्द 3)

मस्अला : मस्नूई दाँतों के साथ गुस्ल सहीह हो जाता है उनको उतारने की ज़रूरत नहीं, नाखुन पालिश लगी हुई हो तो गुस्ल नहीं होता जब तक उसे उतार न दिया जाए।

(आपके मसाइल स0 77, जिल्द 3)।

हैज़ व गुस्ल से मुतअल्लिका मसाइल

मस्अला : औरतों को हैज़ व निफ़ास के वक़्त अपने ख़ास हिस्सा में रूई या कपड़ा रखना सुन्नत है, कुंवारी हो या शादी शुदा और जो कुंवारी न हों उनको बग़ैर हैज़ व निफ़ास के भी रूई रखना मुस्तहब है।

मस्अला : हैज़ व निफ़ास का हुक्म उस वक़्त से दिया जाएगा जब ख़ून जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा तक आ जाए, और अगर ख़ास हिस्सा में रूई वग़ैरह हो तो उसका वह हिस्सा तर हो जाए जो जिस्म के ज़ाहिरी हिस्सा के मुक़ाबिल है, हां अगर रूई या कपड़ा वग़ैरह निकाला जाए तो अगर उसके अन्दरूनी हिस्सा में ख़ून होगा तब भी हैज़ व निफ़ास का हुक्म दे दिया जाएगा इसलिए कि निकालने के बाद वह अन्दरूनी हिस्सा भी ख़ारिजी हिस्सा बन गया।

मस्अला : अगर कोई औरत कपड़ा **Sanitary Napking**

नेपकिंग रखने के वक़्त पाक थी और जब उसने कपड़ा निकाला तो उसमें ख़ून का असर पाया गया तो जिस वक़्त से उसने रूई निकाली उसी वक़्त से उसका हैज़ या निफ़ास समझा जाएगा उससे पहले नहीं यहाँ तक कि उससे पहले की अगर कोई नमाज़ उसकी क़ज़ा हुई होगी तो वह बाद हैज़ के पढ़ना पड़ेगी। और अगर औरत कपड़ा रखते वक़्त हाइज़ा थी और जिस वक़्त कपड़ा निकाला उस वक़्त उस पर ख़ून का निशान न था तो उसकी तहारत (पाकी) उस वक़्त से समझी जाएगी जब से उसने कपड़ा वग़ैरह रखा था।

मस्अला : अगर कोई औरत सो कर उठने के बाद हैज़ देखे तो उसका हैज़ उसी वक़्त से होगा जब से बेदार हुई है, उससे पहले नहीं, और अगर कोई हाइज़ा औरत सो कर उठने के बाद अपने को ताहिर (पाक) पाए तो जब से सोई है उसी वक़्त से पाक समझी जाएगी।

मस्अला : अगर कोई ऐसी जवान औरत जिस को अभी तक हैज़ नहीं आया, अपने ख़ास हिस्सा से ख़ून आते हुए देखे तो उसको चाहिए कि उसको हैज़ का ख़ून समझ कर नमाज़ वग़ैरह छोड़ दे फिर वह ख़ून तीन शब व रोज़ से पहले बन्द हो जाए तो उसकी जिस क़द्र नमाज़ें छूट गई हैं उनकी क़ज़ा पढ़नी होगी, इसलिए कि मालूम हो जाएगा कि व ख़ून हैज़ न था, इस्तिहाज़ा (बीमारी का ख़ून) था क्योंकि हैज़ तीन दिन व रात से कम नहीं आता। (दुर्रे मुख़्तार, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 97, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कोई आदत वाली औरत अपनी आदत से

ज़्यादा ख़ून देखे और आदत उसकी दस दिन से कम हो तो उसको चाहिए कि उस ख़ून को हैज़ समझ कर नमाज़ वग़ैरह बदस्तूर न पढ़े और ग़ुस्ल न करे, पस अगर वह ख़ून दस दिन व रात से ज़्यादा हो जाए तो जिस क़दर उसकी आदत से ज़्यादा हो गया है इस्तिहाज़ा समझा जाएगा और उस ज़माना की नमाज़ें वग़ैरह उसको क़ज़ा पढ़ना होंगी। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 97, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स0 278 जिल्द 1 व आलमगीरी स0 35, जिल्द 1)।

मस्अला : किसी को दस दिन से ज़्यादा ख़ून आया और पिछली आदत को भूल गई तो अब दस दिन हैज़ के शुमार करे बाक़ी इस्तिहाज़ा। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 279, जिल्द अव्वल बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 262, जिल्द अव्वल बाबुल–हैज़)।

(जिन चीज़ों से ग़ुस्ल वाजिब होता है, उनके पैदा होने से जो एतेबारी हालत इंसान के जिस्म को तारी होती है उसको हदसे अक्बर कहते हैं)।

मस्अला : जो चीज़ें हदसे असग़र (वुज़ू न होने की हालत) में मना हैं वह हदसे अक्बर में भी यानी ग़ुस्ल की हाजत में भी मना हैं जैसे नमाज़ और सज्दा तिलावत का या शुक्राना का, कुरआन शरीफ़ बग़ैर किसी हाइल के छूना वग़ैरह वग़ैरह।

मस्अला : मस्जिद में दाख़िल होना हराम है, हां अगर कोई सख़्त ज़रूरत हो तो जाइज़ है, जैसे किसी शख़्स के घर का दरवाज़ा मस्जिद में हो और कोई दूसरा रास्ता उसके निकलने के सिवा न हो तो उसको मस्जिद में तयम्मुम करके जाना

जाइज़ है, या किसी मस्जिद में पानी का चश्मा या कुआं या हौज़, नल वग़ैरह हो, और उसके सिवा कहीं पानी न हो तो उस मस्जिद में तयम्मुम करके जाना जाइज़ है।

मस्अला : कुरआन मजीद का बक़स्दे तिलावत पढ़ना हराम है अगरचे एक आयत से भी कम हो, और अगरचे मन्सूख़ुत्तिलावत हो।

मस्अला : हैज़ व निफ़ास की हालत में औरत के बोसे (प्यार) लेना और उसका जूठा पानी वग़ैरह पीना और उससे लिपट कर सोना और उसके नाफ़ और नाफ़ के ऊपर और ज़ानों और ज़ानों के नीचे के जिस्म से अपने जिस्म को मिलाना (जबकि जिमाअ़ की तरफ़ रग़बत न हो) जाइज़ है जबकि कपड़ा भी दरम्यान में न हो। और नाफ़ और ज़ानों के दरमियान में कपड़े के साथ मिलाना जाइज़ है बल्कि हैज़ की वजह से औरत से अलाहिदा हो कर सोना या उसके इख़्तिलात से बचना मक्रूह है। क्योंकि यहूद का दस्तूर था कि हैज़ की हालत में औरतों को अलग कर देते थे और उनके हाथ का खाना पीना भी छोड़ देते थे। और यहूद की मुशाबहत हम लोगों को मना है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 96, जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 15, जिल्द स0 15, जिल्द 1 बहवाला क़ाज़ी ख़ाँ व आलमगीरी स0 214, जिल्द 1)।

मस्अला : रोज़ा की हालत में औरत को हैज़ आ जाए तो उसका रोज़ा ख़ुद बख़ुद टूट जाएगा, इसलिए कि हैज़ व निफ़ास रोज़ा के मुनाफ़ी है। (फ़तावा रहीमिया स0 392, जिल्द 7)।

मस्अला : रोज़ा की हालत में मियाँ व बीवी का आपस में

बोसा लेना या चिमटना, दोनों में से जिसको इंज़ाल होगा यानी मनी ख़ारिज होगी उसका रोज़ा टूट जाएगा, अगर दोनों को इंज़ाल हो जाए तो दोनों का रोज़ा टूट जाएगा।

(फ़तावा रहीमिया स0 391, जिल्द 7)।

(तफ़सील देखिए अहक़र की मुरत्तब करदा मुकम्मल व मुदल्लल मसाइले रोज़ा)।

मस्अला : नापाकी की हालत (हैज़ व निफ़ास व जनाबत) में तवाफ़ करना हराम है। नीज़ मस्जिदे नबवी सल्लल्लाहु अलैह व सल्ल्म में भी दाख़िल न हो बल्कि मस्जिद से मुत्तसिल ख़ारिजे मस्जिद में बैठ जाए ताकि वह तस्बीह और इस्तग़फ़ार में मशग़ूल रहे, सलात व सलाम भी वहीं से पढ़ती रहे।

(फ़तावा महमूदिया स0 181, जिल्द 12)।

वज़ाइफ़ व दुरूद शरीफ़ वग़ैरह पढ़ सकती है।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : बाज़ लोग हैज़ व निफ़ास की हालत में औरत का पकाया हुआ खाना बुरा समझते हैं हालांकि उसका जूठा भी पाक है। (इम्दादुल–मसाइल स0 54)।

मस्अला : अवाम में मशहूर है कि जो औरत हैज़ की हालत में मर जाए उसको दो मरतबा ग़ुस्ल दिया जाए, इसकी कोई अस्ल नहीं है। (अग़लातुल–अवाम स0 8)।

मस्अला : हैज़ के दौरान पहने हुए कपड़े का जो हिस्सा (जगह) नापाक हुआ है उसको पाक करके पहन सकते हैं और जो पाक हों उसके इस्तेमाल में कोई हरज नहीं है। (आपके

मसाइल स0 70, जिल्द 3)।

मस्अला : कुरआन शरीफ़ का छूना जिन शराइत के साथ हदसे असग़र यानी बग़ैर वुज़ू के जाइज़ है। उन्हीं शराइत से हदसे अक्बर यानी ग़ुस्ल न होने की हालत में भी जाइज़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 96, जिल्द अव्वल व बहिश्ती ज़ेवर स0 15, जिल्द 11)।

मस्अला : हैज़ और निफ़ास वाली औरत का और नापाक शख़्स का ज़िब्ह किया हुआ हलाल है। (फ़तावा महमूदिया स0 353, जिल्द 4)।

मस्अला : जुनुबी, हैज़ व निफ़ास वाली को मदरसा और ख़ानक़ाह वग़ैरह में जाना जाइज़ है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 15, जिल्द 11 व इल्मुल–फ़िक़्ह स0 96, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी को सर का धोना नुक़्सान करता हो तो उसको सर का धोना मआफ़ है बाक़ी पूरे जिस्म का धोना और सर का मसह करना उस पर फ़र्ज़ है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 101 जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर किसी औरत का सर के दर्द का मरज़ है तो वह इस वजह से कि "मैं ग़ुस्ल कैसे करूंगी?" अपने शौहर को जिमाअ़ करने से रोक नहीं सकती, वह सर पर मसह कर ले और बाक़ी जिस्म को धो ले, या अगर मसह भी नुक़्सान करता हो तो वह भी छोड़ दे। (कश्फ़ुल–असरार स0 21, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : बाज़ ख़्वातीन का यह ख़्याल है कि अगर अैयाम (हैज़ व निफ़ास) के दौरान मेंहदी लगाई जाए तो जब तक मेंहदी का रंग मुकम्मल तौर पर उतर न जाए पाकी का ग़ुस्ल नहीं

होगा। औरतों का यह मस्अला बिल्कुल ग़लत है, ग़ुस्ल सही हो जाएगा। ग़ुस्ल के सही होने के लिए मेंहदी के रंग का उतारना कोई शर्त नहीं है। (आपके मसाइल स0 53, जिल्द 2)।

मस्अला : औरतों को ख़ास अैयाम में मेंहदी लगाना शरअन जाइज़ है, और यह ख़्याल ग़लत है कि माहवारी में मेंहदी नापाक हो जाती है। (आपके मसाइल स0 70, जिल्द 2)।

मस्अला : ज़ेरे नाफ़ के बालों को मूंडना सुन्नत है, उनको उखेड़ना या नूरा वग़ैरह के ज़रीआ साफ़ करना भी यही हुक्म है, लेकिन उनको कैंची से कतरने की सूरत में सुन्नत अदा नहीं होती। नीज़ जो बाल पाख़ाना के मक़ाम के इर्द गिर्द होते हैं उनका साफ़ करना भी मुस्तहब है।

मस्अला : बग़ल के बाल साफ़ करना सुन्नत है। (औरतों को बाल सफ़ा पाउडर वग़ैरह के ज़रीए भी साफ़ करना जाइज़ है, बल्कि औला है)।

मस्अला : ग़ैर ज़रूरी बालों के लिए औरतों को पाउडर या बाल सफ़ा साबुन वग़ैरह इस्तेमाल करने का हुक्म है। लोहे का इस्तेमाल उनके लिए पसन्दीदह नहीं है मगर गुनाह भी नहीं है।

(आपके मसाइल स0 70, जिल्द 2, व फ़तावा महमूदिया स0 186, अग़्लातुल–अवाम स0 39)।

(औरतों के लिए ज़्यादा बेहतर यह है कि अपने ज़ेरे नाफ़ के बालों को उखेड़ें (अगर तक्लीफ़ बर्दाश्त कर सकती हों,) क्योंकि इसकी वजह से शौहरों की रग़बत उनकी तरफ़ ज़्यादा होती।

वाज़ेह रहे कि ज़ेरे नाफ़ के बाल मूंडने, बग़ल के मूंडने

नाख़ुन तरश्वाने और मोंछ हल्की कराने का वक़्फ़ा चालीस दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, चीलीस दिन के अन्दर अन्दर ही कर लेना चाहिए, इससे ज़ाइद ताख़ीर करना मक्रूह है।

(मज़ाहिरे हक़ स0 377, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हाइज़ा और निफ़ास वाली औरत और जुनुबी (नापाक) के लिए क़ुरआने पाक सिर्फ़ देखना मक्रूह नहीं है इस वजह से कि नापाकी आँख में घुस नहीं जाती जिस तरह कि बग़ैर तहारत (बेवुज़ू) वाले का दुआवों का पढ़ना मक्रूह नहीं है और इस मक्रूह से मुराद मक्रूहे तहरीमी नहीं है। मुतलक़ ज़िक्र के लिए ख़्वाह वह दुआ हो या ग़ैर दुआ। वुज़ू मुस्तहब है और मुस्तहब का तर्क करना ख़िलाफ़े औला है और ख़िलाफ़े औला का नतीजा मक्रूहे तंज़ीही है। (कश्फ़ुल—असरार स0 50, जिल्द अव्वल)।

ख़्वातीन और मुअल्लिमात के लिए ख़ास अैयाम में हुक्म

मस्अला : ख़्वातीन के लिए ख़ास अैयाम में कुरआने करीम की तिलावत और उसका छूना जाइज़ नहीं है, चाहे कुरआने करीम की एक आयत की तिलावत की जाए या एक आयत से भी कम, हर सूरत में कुरआने करीम की तिलावत जाइज़ नहीं है। अल्बत्ता कुरआने करीम की बाज़ वह आयात जो कि दुआ और अज़्कार के तौर पर पढ़ी जाती हैं उनको दुआ या ज़िक्र के तौर पर पढ़ना जाइज़ है, मसलन खाना शुरू करते वक़्त "बिस्मिल्लाह" या शुक्राना के लिए "अल्हम्दु लिल्लाह" कहना, इसी तरह कुरआन के वह कलिमात जो कि आम बोल चाल में इस्तेमाल में

आ जाते हैं उनका कहना भी जाइज़ है।

मस्अला : कुरआने करीम की तालीम देने वाली मुअल्लिमात के लिए भी कुरआने करीम की तिलावत और कुरआने करीम का छूना जाइज़ नहीं है। बाकी यह कि कुरआने करीम की तालीम का सिससिला किस तरह जारी रखा जाए, उसके लिए फुक़हा ने यह तरीका बतलाया है वह आयते कुरआनी का कलिमा, कलिमा अलग–अलग करके पढ़ें यानी हिज्जे करके जैसे अल्हम्दु लिल्लाह रब्बिल–आलमीन इस तरह मुअल्लिमा के लिए कुरआनी कलिमात के हिज्जे करना भी जाइज़ है। (पूरी आयत का एक साथ पढ़ना जाइज़ नहीं है, पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले दोनों के लिए)।

मस्अला : ख़्वातीन के लिए ख़ास ऐयाम में तिलावते कुरआने करीम की मुमानअत तो हदीस शरीफ़ में आई है। लेकिन कुरआने करीम सुनने की मुमानअत नहीं आई। लिहाज़ा औरतों को उन ख़ास ऐयाम में किसी शख़्स या रेडियो और कैसिट वग़ैरह से तिलावते कुरआन सुनना जाइज़ है।

मस्अला : कुरआन व अहादीस की दुआएं दुआ की नीयत से औरतें पढ़ सकती हैं, दीगर ज़िक्र अज़्कार, दुरूद शरीफ़ पढ़ना भी जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 72, जिल्द 2, व अहसनुल–फ़तावा स0 67, जिल्द 2, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 159, जिल्द अव्वल)।

ख़ास ऐयाम में कोर्स की किताबों का हुक्म

सवाल : हम सिकण्ड इयर की तालिबात हैं और हमारे पास इस्लामिक इस्टडीज़ है जिसमें कुरआन शरीफ़ के शुरू के पारा के रुकूअ हमारे कोर्स में शामिल हैं। अगर इम्तिहान के दरमियान में

हमको ख़ास अैयाम हो जाएं तो किताब को किस तरह पढ़ें क्योंकि किताब ही पूरी तशरीह व तफ़्सीर होती है ?

जवाब : कुरआने करीम के अल्फ़ाज़ को किताब में हाथ न लगाया जाए। और न उन अल्फ़ाज़ को ज़बान से पढ़ा जाए। (कोर्स की) किताब को हाथ लगाना और पढ़ना जाइज़ है। (आपके मसाइल स0 72, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ख़ास अैयाम में इम्तिहान में कुरआनी सूरतों का सिर्फ़ तरजमा व तशरीह लिखने की इजाज़त है मगर आयते करीमा का मतन न लिखे। आयत का हवाला देकर उसका तरजमा लिख दें। (आपके मसाइल स0 71, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : हालते हैज़ में दीनी कुतुब को हाथ लगाना जाइज़ है मगर जहाँ आयते कुरआनी लिखी हो, उस पर हाथ न लगाएं। (अहसनुल–फ़तावा स0 71, जिल्द 2)।

माज़ूर औरत के लिए गुस्ल का हुक्म

मस्अला : हैज़ व निफ़ास की सूरत में अगर औरत माज़ूर हो नहाने का हुक्म उस पर से जाता रहता है, वरना तमाम बदन का धोना वाजिब है जैसे (मर्दों के लिए) माद्द–ए–तौलीद के (यानी मनी निकलने से) ख़ारिज होने पर वाजिब होता है। लिहाज़ा अगर औरत हैज़ या निफ़ास से फ़ारिग़ हो जाए, लेकिन किसी ऐसे मरज़ में मुब्तला हो कि न नहा सके, या ऐसी जगह पर हो जहाँ इतना पानी दस्तयाब नहीं है जो गुस्ल के लिए काफ़ी हो सके, या ऐसा ही कोई और अम्र (माने व नागुज़ीर) मौजूद हो तो उस पर फ़र्ज़ है कि तयम्मुम कर ले।

अगर सिर्फ़ इतना पानी हो कि सिर्फ़ इस्तिंजा हो सकता है। (गुस्ल नहीं हो सकता) तो वाजिब है कि पानी से इस्तिंजा कर ले। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 151, जिल्द अव्वल)।

(गुस्ल के लिए गुस्ल की नीयत से तयम्मुम कर ले)।

मस्अला : औरत को नापाकी के दिनों में नहाने की इजाज़त है और यह नहाना ठंडक के लिए है यानी गर्मी के ज़माना में गर्मी दूर करने के लिए, तहारत (पाकी) के लिए नहीं है।

(आपके मसाइल स0 67, जिल्द 2)।

मस्अला : हैज़ से पाक होने की कोई आयत नहीं है। औरतों में जो यह मश्हूर है कि फ़लाँ फ़लाँ आयतें या कलिमे पढ़ने से औरत पाक हो जाती है यह क़तअन ग़लत है। नापाक मर्द व औरत पानी (या तयम्मुम) से पाक होते हैं आयतों या कलिमों से नहीं होते। (आपके मसाइल स0 68, जिल्द 2)।

गुस्ल एक नज़र में

हस्बे फ़रमूद–ए–नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्ल्म तहारत शर्ते ईमान है पस मोमिन को लाज़िम है कि तहारत के माना मक़्सूदा व मुरादाते मत्लूबा को समझ कर उसकी अज़्मते शान का हक़ बजा लाए, हाथों से किसी ऐसी हराम चीज़ को पकड़ने और लेने से पाक व साफ़ व ताहिर रखे जिसमें हुक्मे इलाही की मुख़ालफ़त हो, नाहक़ किसी को न मारे, न किसी का माल छीने, न किसी को तक्लीफ़ व ज़रर देने के लिए दस्त दराज़ी करे। एक हदीस शरीफ़ में है कि मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से मुसलमान सलामत रहें।"

तहारते मुँह : जब मुँह को साफ़ करने के लिए मुँह में पानी डाले तो उस वक़्त हराम चीज़ों के खाने पीने और हराम बातें मुँह से निकालने की तहारत को मल्हूज़ रखे, यानी ऐसे अक़्वाल को मुँह से निकालने और ऐसी अशिया के खाने को अपने मुँह से नफ़ी करने के लिए मुस्तइद रहे ताकि ऐसा न हो कि उसका मुँह रूहानी नजासत से आलूदा हो कर मुस्तहिक़्क़े लानत बने और ऐसी चीज़ों के खाने पीने और ऐसे अक़्वाल मुँह से निकालने के लिए तैयार रहे जिनसे उसको ख़ुदा तआला की तरफ़ से सवाब मिले और मलाए आला में मुस्तहिक़्क़े सिफ़त व सना हो।

तहारते बीनी : जब नाक को पाक करने के लिए नाक में पानी डाले तो ख़ैर और भलाई की ख़ुश्बू के लिए आमादा हो और बदी व शरारत की बू को फेंक दे, नाक की तहारत में नंग व ख़ुद बीनी से पाक रहने को ग़ौर करे क्योंकि नंग व ख़ुद बीनी ऐसे उमूर हैं जिन से इंसान में अपनी ही नौअ़ पर बुलन्दी और बड़ाई चाहने और नाफ़रमानी–ए–इलाही का ख़्याल व माद्दा पैदा हो जाता है।

तहारते चेहरा : अपना चेहरा धोने के वक़्त मा सिवा–ए–इलाही से अपनी तमाम उम्मीदें और तवज्जुहात ऐसे आमाल बजा लाने से मुन्क़ता कर दे जिनका रुख़ व रुजूअ़ ख़ुदा तआला की तरफ़ न हो, और अपने मुँह पर शर्म का पानी डाले और बेशर्मी से पर्दा–ए–शर्म को ख़ुदा तआला और लोगों के आगे से न उठाए और अपनी आबरू को ग़ैरुल्लाह के लिए सर्फ़ न करे।

तहारते गर्दन : गर्दन के मसह के वक़्त हिर्स व हवाए

नफ़्सानी से अपनी गर्दन को छुड़ाने पर और ख़ुदा तआला के अहकाम की फ़रमां बरदारी व इताअत का हक़ अदा करने पर और गर्दन कुशी का ख़्याल छोड़ने पर आमादा हो ताकि ऐसी चीज़ के हल्क़–ए–एताअत से अपनी गर्दन छुड़ा कर आज़ाद हो जाए, जो हुज़ूरे इलाही से माने हो।

तहारते पुश्त : पीठ धोने के वक़्त तकिया पर मासिवा अल्लाह से (यानी अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा) और किसी हक़ गो व आदिल को ग़ीबत करने से दस्त बरदारी को मद्दे नज़र रखे।

तहारते सीना : सीना धोने के वक़्त अपने सीना से मख़्लूक़े इलाही के साथ कीना करने के और उनको धोका देने के ख़्यालात को निकाल डाले।

तहारते शिकम : अपने शिकम (पेट) को धोने के वक़्त हराम चीज़ों और मुश्तबह खाने पीने से तहारते शिकम को मद्दे नज़र रख कर ऐसी नजासतों से अपने पेट को पाक रखे।

तहारते शर्मगाह : शर्मगाह और रानों को धोने के वक़्त तमाम उमूरे मम्नूआ के लिए बैठने और उठने से अपने आपको बचाए।

तहारते क़दम : पाँव धोने के वक़्त हिर्स व हवाए नफ़्सानी की तरफ़ चलने और ऐसे उमूर की तरफ़ क़दम रखने से अपने पाँव को बचाए जो उसके दीन में मुज़िर हों, और जिन से किसी मख़्लूक़े इलाही को ज़रर पहुँचे। (अल–मसालहुल–अक़्लीया अज़ स0 26, ता 28)।

मस्अला : कोई नापाक कपड़ा गीला हो, उसके साथ पाक

कपड़ा लग गया और उसमें नापाक कपड़े से कुछ नमी (गीला पन) लग गई तो अगर नापाक कपड़ा ऐन नजासत मसलन पेशाब वग़ैरह से गीला हो तो नजासत का असर पाक कपड़े में ज़ाहिर होने से वह नापाक हो जाएगा। और अगर ऐन नजासत नहीं बल्कि नजिस पानी से भीगा हो तो उसमें दो क़ौल हैं, एक यह कि ख़ुश्क कपड़े पर इतनी रुतूबत आ जाए कि उसे निचोड़ने से क़तरा गिरे तो नजिस होगा वरना नहीं।

दूसरा क़ौल यह है कि अगर नजिस कपड़ा इतना भीगा हुआ हो कि निचोड़ने से क़तरा गिरे तो उसकी रुतूबत से ख़ुश्क कपड़ा नापाक हो जाएगा, अगरचे इस ख़ुश्क कपड़े से क़तरा न गिरे, क़ौले अव्वल अगरचे औसा है मगर क़ौले सानी अर्जह व अह्वत है।

और अगर पाक पकड़ा गीला, नापाक ख़ुश्क के साथ लगा तो यह नापाक न होगा, अल्बत्ता अगर इतना गीला हो कि उसका पानी ख़ुश्क कपड़े को भी ऐसा तर कर दे कि दोनों की रुतूबत बराबर दिखाई दे तो पाक कपड़ा भी नापाक हो जाएगा।

(अहसनुल–फ़तावा स0 98, जिल्द 2, बाबुल–अंजास बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 517, जिल्द 5)।

मुर्दे को गुस्ल क्यों देते हैं

मस्अला : मुर्दे को गुस्ल देने से ग़रज़ उसकी नज़ाफ़त और इज़्हारे हुर्मत वग़ैरह है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 252, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 799, जिल्द अव्वल, बाब सलातुल–जनाइज़)।

मस्अला : मैयत को गुस्ल देने की अस्ल यह है कि फ़रिश्तों

ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को गुस्ल दिया था, और आपको कहा था कि तुम्हारे मुर्दा के लिए यह ही तरीक़ा है।

(दुर्रे मुख़्तार स0 837, जिल्द 1)।

मस्अला : मैयत को गुस्ल देना मुसलमानों पर फ़र्ज़े किफ़ाया है (यानी अगर कुछ लोगों ने उस गुस्ल के फ़रीज़े को अंजाम दे लिया तो दूसरे मुसलमान उससे बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे) अगर कोई मुर्दा बेगुस्ल दिए दफ़्न कर दिया गया हो, तमाम वह मुसलमान जिनको इसकी ख़बर होगी गुनहगार होंगे।

मस्अला : अगर मैयत को बग़ैर गुस्ल के क़ब्र में रख दिया गया हो, मगर अभी तक मिट्टी न डाली गई हो तो उसको क़ब्र से निकाल कर गुस्ल देना ज़रूरी है, हां अगर मिट्टी डाल चुके हैं तो फिर न निकालना चाहिए। (बह्‌रुर्राइक़, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 87, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल की शरई हैसियत

मस्अला : मुर्दे को गुस्ल देना ज़िन्दों पर फ़र्ज़े किफ़ाया है, यानी अगर कुछ लोगों ने इस फ़रीज़े को अंजाम दे लिया तो दूसरे अश्ख़ास इससे बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे। और गुस्ल देना मुर्दा को एक बार फ़र्ज़ है, बईं तौर कि तमाम बदन पर पानी पहुँच जाए। और तीन बार पानी बहाना सुन्नत है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 811, जिल्द 1)।

मैयत को गुस्ल देने की उजरत लेना ?

मस्अला : मैयत को गुस्ल देने की उजरत जाइज़ नहीं है

इसलिए कि मैयत को ग़ुस्ल देना अल्लाह तआला की तरफ़ से फ़र्ज़ है। फिर उस पर उंजरत कैसी? हां अगर चन्द अश्ख़ास ग़ुस्ल देने वाले मौजूद हों तो फिर उजरत जाइज़ है, क्योंकि ऐसी सूरत में किसी ख़ास शख़्स पर मुर्दा का ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ नहीं है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 87, जिल्द 2, व फ़तावा महमूदिया स0 416, जिल्द 2)।

मस्अला : अगर सिवाए एक शख़्स के दूसरा कोई भी नहलाने वाला न हो तो उसको उजरत लेना जाइज़ नहीं है, इसलिए कि उस पर नहलाना मैयत का फ़र्ज़े ऐन है, और अगर दूसरे भी नहलाने वाले हों तो उजरत जाइज़ है, मगर यह फ़रीज़ा मैयत के रिश्तादारों को ख़ुद अदा करना चाहिए, अपने अज़ीज़ को ख़ुद ग़ुस्ल न देना और दूसरों के सिपुर्द करना इंतिहाई बेमुरव्वती, बेग़ैरती और दलीले किब्र है यानी बड़ाई, ग़ुरूर और तकब्बुर की दलील है। (अहसनुल–फ़तावा स0 418, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 804, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : आम तौर पर यह मश्हूर है कि हर मुसलमान पर अपनी ज़िन्दगी में सात मैय्यतों को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ है, यह ग़लत है, मैयत को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़े किफ़ाया है, अगर कुछ लोग इस काम को कर लें तो सब की तरफ़ से फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, हर मुसलमान के ज़िम्मा फ़र्ज़ नहीं रहता।

(आपके मसाइल स0 119, जिल्द 3)।

मैयत को ग़ुस्ल देने से पहले क्या करना चाहिए ?

मस्अला : जिसका वक़्त आ गया है उसके मर जाने के बाद मुस्तहब यह है कि एक चौड़ी धज्जी लेकर यानी पाक कपड़ा

लेकर मरने वाले का ढांटना (मुँह से लेकर सर तक बांध दिया जाए ताकि मुँह खुला हुआ न रह जाए) और उस पर गिरह लगा दी जाए और आहिस्ता–आहिस्ता उसके आज़ा को दुरुस्त कर दिया जाए। और अगर ज़मीन पर उसकी मौत वाक़े हुई तो उसको उठा कर किसी चीज़ पर लिटा दिया जाए (ताकि मुन्तक़िल कर देने में आसानी रहे) और जिस लिबास में दम निकला है उसे उतार कर ऐसे कपड़े से ढांक दिया जाए जिससे कुछ नज़र न आए।

जनाज़ा की तैयारी में इतना इंतिज़ार वाजिब है कि मौत का यक़ीन हो जाए लेकिन जब मौत का यक़ीन हो जाए तो अब जनाज़ा की तैयारी और दफ़्न में जल्दी करनी चाहिए और लोगों को मौत की ख़बर से आगाह करना मुस्तहब है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 811, जिल्द अव्वल)।

गुस्ल का सामान

(1) गुस्ल देने के लिए पानी के बर्तन हसबे ज़रूरत अगरचे घर के इस्तेमाल शुदा हों लेकिन पाक हों।

(2) लोटा, या पानी निकालने का मग्घा एक अदद अगरचे मुस्तामल हो।

(3) गुस्ल का तख़्ता एक अदद (अक्सर मसाजिद में रहता है, या कोई और तख़्ता जिस पर मैयत को लिटा कर गुस्ल दिया जा सके, फ़राहम कर लिया जाए)।

(4) इस्तिंजे के ढेले तीन अदद या पाँच अदद।

(5) बेरी के थोड़े से पत्ते (अगर मिल जाएं)।

(6) लोबान, एक तोला (दस ग्राम)।

(7) इत्र की शीशी (तक़रीबन चार माशा)।

(8) गुले खेरू, एक छटांक, और अगर यह न मिले तो नहाने का साबुन भी काफ़ी है।

(9) पाक साफ़ रूई थोड़ी सी।

(10) काफूर पाँच ग्राम।

(11) पाक तहबन्द दो अदद, घर में मौजूद न हों तो बालिग़ मर्द व औरत के लिए सवा मीटर लम्बा कपड़ा (औरत के लिए डेढ़ मीटर, रंगीन कपड़ा ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि रंगीन में गुस्ल के वक़्त पोशीदा हिस्सा नुमायां नहीं होता है।)

(12) दो अदद किसी पाक साफ़ मोटे कपड़े की थैलियाँ सी कर इतनी बड़ी बना लें कि ग़ुस्ल देने वाले का हाथ उसमें पहुँच जाए ताकि कलाई तक आसानी से आ जाए, यही थैलियाँ दस्तानों के तौर पर इस्तेमाल होंगी। एक थैली के लिए कपड़ा तक़रीबन छेः गिरह लम्बा और तीन गिरह चौड़ा काफ़ी है।

(यानी पच्चीस सैंटी मीटर। (अहकामे मैयत स0 25)।

मस्अला : मैयत के गुस्ल में बेरी के पत्तों के डालने से मुर्दा का मैल कुचैल साफ़ हो जाता है और उसकी वजह से मुर्दा जल्दी बिगड़ता नहीं है और बदन पर काफूर मलने की वजह से मूज़ी जानवर पास नहीं आते। (मज़ाहिरे हक़ जदीद स0 406, जिल्द 2)।

मुर्दे को गुस्ल देने की शर्तें

मस्अला : मैयत के गुस्ल का फ़र्ज़ होना चन्द शर्तों पर

मौक़ूफ़ है, एक यह कि वह मुसलमान हो, काफ़िर को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ नहीं है।

दूसरी शर्त यह है कि वह इस्क़ात शुदा या कच्चा बच्चा न हो क्योंकि इस्क़ात शुदह बच्चे को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ नहीं है।

तीसरी शर्त यह है कि जब तक मैयत के जिस्म का बेश्तर हिस्सा या निस्फ़ हिस्सा मअ़ सर के न पाया जाए, उसको ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ नहीं है। अगर (इतना) न पाया जाए तो ग़ुस्ल देना मक्रूह है।

चौथी शर्त यह है कि वह मैयत शहीद न हो जिसे अल्लाह का नाम बुलन्द करने पर क़त्ल कर दिया गया हो (जैसा कि शहीद के ब्यान में आ रहा है) क्योंकि आँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उहुद के शुहदा के मुतअल्लिक़ फ़रमाया था "इन्हें ग़ुस्ल न दो, इनका हर ज़ख़्म या ख़ून क़्यामत के दिन मुश्क की तरह महकता होगा।"

मस्अला : अगर पानी दस्तयाब न होने या नहलाने के क़ाबिल न होने के बाइस मैयत को ग़ुस्ल देना दुश्वार हो तो उसके बजाए तयम्मुम कराया जाएगा। मसलन कोई शख़्स जल कर मर गया और यह अन्देशा है कि ग़ुस्ल देते वक़्त जिस्म को मला गया या बग़ैर मले ही पानी बहाया गया तो मुर्दा का जिस्म बिगड़ जाएगा, तो जिस्म न धोना चाहिए, हाँ अगर पानी बहाने से यानी मुर्दा पर पानी डालने से जिस्म बिगड़ने या बिखरने का अन्देशा न हो तो तयम्मुम न किया जाएगा, बल्कि बग़ैर मले ही पानी बहा कर ग़ुस्ल दिया जाए। (किताबुल—फ़िक़्ह स0 813, जिल्द 1)।

मस्अला : अगर मैयत फूलने की वजह से हाथ लगाने के क़ाबिल न हो, यानी हाथ लगाने से फट जाने का अन्देशा हो तो सिर्फ़ मैयत पर पानी बहा देना काफ़ी है, क्योंकि मलना वग़ैरह ज़रूरी नहीं है। और अगर सिर्फ़ पेट फूल गया कि उस पर बहाना भी मुम्किन न हो तो बाक़ी बदन को धो कर यानी उस पर पानी बहा कर पेट पर सिर्फ़ मसह कर दिया जाए, जैसा कि ज़िन्दा के लिए ग़ुस्ल और वुज़ू में हुक्म है। (इम्दादुल–अहकाम स0 826, जिल्द अव्वल)।

(जिस तरह वुज़ू और ग़ुस्ल में आम माज़ूर के लिए हुक्म है कि जो उज़्व तक्लीफ़ ज़दह, या पट्टी, प्लास्टर वग़ैरह का है तो उस पर मसह कर लिया जाए, और बाक़ी को धो लिया जाए।

(मुहम्मद रफ़्अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : जो शख़्स दीवार के नीचे दब कर या आग में जल कर मर जाए, ग़ुस्ल तो उसको भी दिया जाएगा, और अगर ग़ुस्ल देने से खाल वग़ैरह के गिर जाने का या कोई और ख़दशा हो तो तयम्मुम करा दिया जाए। (जबकि ग़ुस्ल देना भी मुम्किन न हो)। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 472, जिल्द 5)।

मस्अला : और मैयत को तयम्मुम कराने का यह तरीक़ा है कि तयम्मुम कराने वाला दो मरतबा पाक मिट्टी पर अपना हाथ मार कर एक बार तो मैयत के मुँह को मल दे और उसके बाद दूसरी बार मिट्टी पर हाथ मार कर हाथों को कुहनियों तक मैयत के मल दे। यानी अपने हाथ से तयम्मुम कराए।

(इम्दादुल–अहकाम स0 825, जिल्द 1)।

मुर्दा को गुस्ल जो चाहे दे या मुतऐयन शख़्स ?

सवाल : मैयत को ग़ुस्ल देने वाला मुक़र्रर (मुतऐयन) होना चाहिए या आम आदमी दे सकता है?

जवाब : हर एक वाक़िफ़ शख़्स ग़ुस्ल दे सकता है, और बेहतर यह है कि वह शख़्स ग़ुस्ल दे जो कुछ भी ग़ुस्ल देने की उजरत, एवज़ में ने ले और मुर्दे को ग़ुस्ल देने वाले पर, ग़ुस्ल करना ज़रूरी नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 253, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 804, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 820, जिल्द 1)।

मस्अला : मरने वाले को इस क़िस्म की वसीयत करना कि फ़लां शख़्स ग़ुस्ल दे, फ़लां दफ़्न करे, फ़लां नमाज़ पढ़ाए और फलां जगह दफ़्नाया जाए, शरअन मोतबर नहीं है। यह उमूर मैयत के इख़्तियार में नहीं हैं। यह वुरसा का हक़ हैं, वुरसा जो बेहतर हो, उस पर अमल करें। (फ़तावा रहीमिया स0 103, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 824, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नाबालिग़ लड़के और नाबालिग़ा लड़की को औरत और मर्द दोनों ग़ुस्ल दे सकते हैं। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कोई नापाक शख़्स या वह शख़्स जिसको मैयत का देखना जाइज़ न था, मैयत को ग़ुस्ल दे तब भी ग़ुस्ल सही हो जाएगा, अगरचे मक्रूह होगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द अव्वल)।

लड़की को गुस्ल कौन दे?

सवाल : अगर नाबालिग़ा लड़की मर जाए और वहाँ कोई

औरत न हो तो क्या उसका शौहर (जिस से उसका निकाह हो चुका था बचपन में, मगर रुख़्सती नहीं हुई थी) या कोई महरम उसको ग़ुस्ल दे सकता है या नहीं?

जवाब : नाबालिग़ा लड़की अगर ग़ैर मुराहिक़ा है (यानी बहुत ही कम सिन है) तो उसको हर एक मर्द और औरत ग़ुस्ल दे सकता है। और मुराहिक़ा का हुक्म इस बारे में मिस्ल बालिग़ा के हैं और बालिग़ा औरत को सिवाए औरतों के और कोई ग़ुस्ल नहीं दे सकता, शौहर भी ग़ुस्ल दे नहीं सकता बल्कि अगर कोई महरम मौजूद है तो वह उस औरत का तयम्मुम करा दे और अगर कोई महरम न हो तो ग़ैर महरम अपने हाथों पर कपड़ा लपेट कर तयम्मुम करा दे, और कफ़न पहना कर नमाज़ पढ़ कर दफ़्न कर दें। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 146, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 806, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : किसी सग़ीरुस्सिन(यानी कम सिन बच्चा) की मौत हो जाए तो औरत का उसको ग़ुस्ल देना जाइज़ है और अगर बच्ची हो तो मर्द भी उसको ग़ुस्ल दे सकता है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 816, जिल्द अव्वल)।

जुनुबी (नापाक) मर जाए तो क्या एक ग़ुस्ल काफ़ी है ?

सवाल : जनाबत यानी जिस पर ग़ुस्ल वाजिब हो, अगर वह मर जाए तो क्या उसके लिए एक ग़ुस्ल काफ़ी है, या जनाबत का ग़ुस्ल दे कर दोबारा ग़ुस्ले मैयत दिया जाए?

जवाब : हालते जनाबत में मर जाने से तो ग़ुस्ल में कुछ तफ़ावुत न होगा। जैसा कि दीगर अम्वात को ग़ुस्ल दिया

जाता है, उसी तरह मैयत जुनुबी को गुस्ल दिया जाएगा। और यही हुक्म हालते हैज़ व निफ़ास वाली औरत के गुस्ल में है यानी सिर्फ़ एक ही गुस्ल आम मैयत के गुस्ल की तरह है।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 247, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 803, जिल्द अव्वल बाब सलातुल–जनाइज़)।

मज्बूरी में शौहर अपनी बीवी को गुस्ल दे सकता है या नहीं ? :

सवाल : शामी में है कि मर्द अपनी मुर्दा औरत को तयम्मुम करा दे, अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर। मगर गुस्ल न दे, क्योंकि औरत को गुस्ल औरत ही दे सकती है, मर्द अगरचे महरम है। (बाप भाई वग़ैरह जिनसे निकाह जाइज़ नहीं) तब भी तयम्मुम ही करा दे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 255, जिल्द पंजुम, शामी स0 803, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : औरत अपने शौहर को (जबकि कोई मर्द न हो तो) गुस्ल दे सकती है, लेकिन शौहर अपनी बीवी को गुस्ल नहीं दे सकता, अल्बत्ता चेहरा देखने की इजाज़त है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 248, जिल्द 5 बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 803, जिल्द 1)।

अल्लामा शामी अलैहिर्रहमा ने हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू का हज़रत फ़ातमा रज़ि अल्लाहु अन्हा को गुस्ल देने का क़िस्सा नक़्ल फ़रमाया है कि शरह मज्मअ़ से यह मालूम होता है कि हज़रत फ़ातमा रज़ि को हज़रत उम्मे ऐमन रज़ि ने गुस्ल दिया था, हज़रत अली रज़ि को ग़ासिल कहना मजाज़न है कि

उन्होंने सामाने गुस्ल मुहैया फ़रमाया था।

बाक़ी बच्चों का अपनी मां को बोसा देना (प्यार करना) और चूमना इस बहस से ख़ारिज है इसमें कुछ हरज नहीं है। क्योंकि मां अपने बच्चों की महरमा है और बच्चों को अपनी मां को हाथ लगाना और चूमना मना नहीं है, इसी तरह मां बाप को अपनी औलाद के साथ यह मआमला करना दुरुस्त है (बेन वग़ैरह करके रोना पीटना मना है)। बहरहाल शौहर को किसी तरह भी अफ़आले मज़्कूरा अपनी मुर्दा बीवी के साथ दुरुस्त नहीं हैं।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 256, जिल्द 5)।

मस्अला : औरत के मरने के बाद उसका शौहर उससे अजनबी हो जाता है और अलाक़ए निकाह मुन्क़ता हो जाता है, इसलिए शौहर का गुस्ल देना और हाथ लगाना फ़ुक़हा ने मम्नूअ़ लिखा है, लेकिन देखना और जनाज़ा को उठाना दुरुस्त है, और क़ब्र में उतारना भी ज़रूरत के वक़्त दुरुस्त है, क्योंकि क़ब्र में उतारने में कफ़न हाइल होता है लिहाज़ा कफ़न के ऊपर को हाथ लगाना ज़रूरत के वक़्त दुरुस्त है, यानी जबकि कोई महरम मौजूद न हो। और अगर महरम मौजूद हो तो वह ही क़ब्र में उतारे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 253, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 803, जिल्द अव्वल, बाब सलातुल–जनाज़ा)।

मस्अला : मुर्दा को गुस्ल देने वाला ऐसा शख़्स होना चाहिए जिसको मैयत को देखना जाइज़ हो, औरत को मर्द और मर्द को औरत का गुस्ल देना जाइज़ नहीं है हां मन्कूहा औरत अपने शौहर को (जबक़ि कोई मर्द गुस्ल देने वाला न हो) गुस्ल

दे सकती है, इसलिए कि वह इद्दत के ज़माना तक उसके निकाह में समझी जाएगी, बख़िलाफ़ शौहर के वह औरत के मरते ही उसके निकाह से अलाहिदा समझा जाएगा, और उसको अपनी बीवी को ग़ुस्ल देना जाइज़ नहीं होगा।

(इल्मुल–फ़िक्ह स0 187, जिल्द 1, व फ़तावा महमूदिया स0 416, जिल्द 2, व दुर्रे मुख़्तार 824, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 813, जिल्द अव्वल व फ़तावा रहीमिया स0 106, जिल्द 5, व इम्दादुल–अहकाम स0 823, जिल्द अव्वल व अहसनुल–फ़तावा स0 215, जिल्द 4)।

मस्अला : कोई औरत ऐसी जगह मर जाए जहाँ पर कोई दूसरी औरत न हो जो उसको ग़ुस्ल दे सके तो अगर कोई मर्द महरम न हो तो ग़ैर महरम अपने हाथों में कपड़ा लपेट कर उसको तयम्मुम करा दे।

मस्अला : इसी तरह कोई मर्द ऐसी जगह पर मर जाए जहाँ पर कोई मर्द ग़ुस्ल देने वाला न हो तो उसको महरम औरत बग़ैर कपड़ा लपेटे हुए और अगर ग़ैर महरम हो तो अपने हाथों में कपड़ा लपेट कर तयम्मुम करा दें। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 814, जिल्द अव्वल)।

जहाँ पर औरत को ग़ुस्ल देने वाली कोई औरत न मिले ?

मस्अला : अगर कोई औरत ऐसी जगह वफ़ात पाए जहाँ पर कोई और दूसरी औरत नहीं है जो ग़ुस्ल दे सके, और उसका महरम (जिससे निकाह हराम है) कोई मर्द मौजूद हो तो

वह मैयत का कुहनियों तक तयम्मुम करे। अगर महरम न हो तो ग़ैर महरम अजनबी मर्द अपने हाथों पर कुछ कपड़ा (वग़ैरह) लपेट कर इसी तरह तयम्मुम कर दे, लेकिन मैयत की कुहनियों पर नज़र डालने से आँखें बन्द रखे, ख़ाविन्द के लिए भी अजन्बी की मानिन्द हुक्म है, लेकिन कुहनियों के देखने से आँखों के बन्द करने का वह मुकल्लफ़ न होगा। इस हुक्म में जवान और उम्र रसीदा दोनों शामिल हैं।

मस्अला : अगर कोई मर्द ऐसी जगह वफ़ात पा जाए कि जहाँ पर औरतों के सिवा कोई मर्द न हो और बीवी भी न हो तो चाहिए कि किसी बे नफ़्स मासूम तबअ औरत को मैयत के ग़ुस्ल का तरीक़ा जानने वाली औरतें सिखा दें और फिर वह ही ग़ुस्ल दे, और अगर ऐसी बेनफ़्स औरत मौजूद न हो तो वही औरतें कुहनियों तक उस मैयत का तयम्मुम कर दें (अपने हाथों पर कपड़ा वग़ैरह लपेट कर) और पर्दा की जगह देखने से अपनी आँखें बन्द रखें। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 518, जिल्द 1, आपके मसाइल स0 100, जिल्द 3)।

मुख़न्नस मैयत के ग़ुस्ल की तफ़्सील

सवाल : अगर ख़ुंसा मुश्किल मर जाए तो उसको मर्द ग़ुस्ल दें या औरतें?

जवाब : जहाँ तक हो सके ख़ुंसा को सब अहकाम में मर्द या औरत के हुक्म में शुमार किया जाएगा। अगर उसमें अलामत मर्द की ज़्यादा हो मसलन दाढ़ी निकल आए या मर्द की पेशाब गाह की तरह पेशाब गाह हो या उससे किसी औरत को हमल

हो गया हो, तो उसको मर्द समझा जाएगा, और अगर औरत की अलामत ज़्यादा हों मसलन हामिला हो गई या पिस्तान ज़ाहिर हो गए या हैज़ आने लगे या औरत की पेशाब गाह जैसी पेशाबगाह हो तो उसको औरत शुमार करेंगे। और अगर दोनों जगह से पेशाब करता हो तो जहाँ से पहले निकलता हो, उसी का एतेबार होगा, और अगर हालत मुश्तबह हो कि किसी वजह से मर्द या औरत होने को तरजीह न दे सकें तो उसको ख़ुंसा मुश्किल कहते हैं। (यानी मुश्किल में डालने वाला कि मालूम ही न हो सके कि मर्द है या औरत?)। अगर ख़ुंसा मुश्किल चार साला है या उससे कम उम्र का हो तो उसको औरत भी ग़ुस्ल दे सकती है, मर्द भी, और अगर चार साल से ज़ाइद हो तो न मर्द ग़ुस्ल दें और न औरतें बल्कि उसको तयम्मुम कराया जाएगा।

(अहसनुल–फ़तावा स० 221, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स० 806, व स० 378, जिल्द 1, कश्फ़ुल–असरार स० 41, जिल्द अव्वल व फ़तावा दारुल–उलूम स० 252, जिल्द 5)।

मस्अला : ख़ुंसा मुश्किल मैयत को ग़ुस्ल न दिया जाए बलिक तयम्मुम करा कर कफ़न पाँच कपड़ों में औरतों की तरह दिया जाए मगर रेशम न हो और न ज़ाफ़रान का रंगा हो। (फ़तावा रहीमिया स० 101, जिल्द 3, फ़तावा सिराजीया स० 22, जिल्द अव्वल बहवाला शामी स० 309, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : ख़ुंसा नाबालिग़ बच्चा कि जिसकी शनाख़्त नहीं हो सकती कि लड़का है या लड़की तो उसकी नमाज़े जनाज़ा में इख़्तियार है चाहे लड़के वाली दुआ पढ़ें या लड़की वाली।

(अहसनुल–फ़तावा स० 202)।

जुज़ामी यानी बरस के मरीज़ को गुस्ल कौन दे ?

मस्अला : जिसको जुज़ाम का मरज़ हो, उसके मरने पर अगर उसको हाथ लगा कर गुस्ल देना दुश्वार हो तो उस पर (मर्द मैयत पर मर्द, और औरत मैयत पर औरत) लोटे वग़ैरह से पानी बहा दिया जाए, और अगर यह भी न हो सके तो हाथ पर थैली वग़ैरह बाँध कर सिर्फ़ तयम्मुम करा दिया जाए। (फ़तावा महमूदिया स0 285, जिल्द 4, फ़तावा दारुल–उलूम स0 255, जिल्द पंजुम)।

शीआ़ को गुस्ल देना ?

सवाल : अगर शीआ़ मर जाए और कोई शीआ़ न हो तो क्या मुसलमान उसको गुस्ल दे सकते हैं?

जवाब : उसको मुसलमान गुस्ल देकर दफ़्न कर दें, मगर गुस्ल, कफ़न और दफ़्न सुन्नत के मुताबिक़ न करें, बल्कि उस पर पानी बहा कर कपड़े में लपेट कर गढ़े में डाल कर मिट्टी डाल दें। (अहसनुल–फ़तावा स0 231, जिल्द 4)।

पानी में डूबने वाले को गुस्ल देना?

मस्अला : अगर कोई शख़्स दरिया में डूब कर मर गया हो तो वह जिस वक़्त निकाला जाए, उसको गुस्ल देना फ़र्ज़ है। पानी में डूबना गुस्ल के लिए काफ़ी न होगा, इसलिए कि मैयत का गुस्ल देना ज़िन्दों पर फ़र्ज़ है। और डूबने में कोई उनका फ़ेअ़ल नहीं हुआ, हां अगर निकालते वक़्त गुस्ल की नीयत से मैयत को तीन ग़ोते (हरकत) दे दें तो गुस्ल हो जाएगा, इसी तरह अगर मैयत के ऊपर बारिश बरस जाए या और किसी

तरह पानी पहुँच जाए तब भी गुस्ल देना फ़र्ज़ रहेगा। (इल्मुल-फ़िक्ह स0 188, जिल्द 2, फ़तावा रहीमिया स0 94, व स0 104, जिल्द 5, मज़ाहिरे हक़ स0 414, जिल्द 2, बह्रुर्राइक़ स0 174, जिल्द 1, फ़तावा क़ाज़ी खां स0 89, जिल्द 1 व इम्दादुल-फ़तावा स0 737, जिल्द अव्वल)।

सैलाब में मरने वाले को गुस्ल देना?

मस्अला : सैलाब से जो लाशें मुसलमानों की मिलें उनको गुस्ल देना फ़र्ज़ है, बग़ैर गुस्ल के भी नमाज़े जनाज़ा सही हो जाएगी, मगर गुस्ल न देने वाले गुनहगार होंगे, सेहते नमाज़ के लिए सैलाब का गुस्ल काफ़ी है। (अहसनुल-फ़तावा स0 227, जिल्द चहारुम 4)।

मस्अला : सैलाब में जो लाशें पाई जाएं, अगर मैयत में मुसलमान की कोई अलामत पाई जाए तो उसको मुसलमान समझा जाएगा, और अगर कोई अलामत न हो तो दारुल-इस्लाम में होने की वजह से उसको मुसलमान क़रार दिया जाएगा, इसलिए गुस्ल देकर नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी।

(अहसनुल- फ़तावा स0 226, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल-मुह्तार स0 805, जिल्द अव्वल)।

काफ़िर और मुसलमानों की नअ़शें मिल जाएं तो गुस्ल का हुक्म ?

मस्अला : अगर मुसलमानों की नअ़शें काफ़िरों में मिल जाएं और कोई तमीज़, अलामत न बाक़ी रहे तो उन सबको गुस्ल दिया जाएगा, और अगर तमीज़ बाक़ी हो तो मुसलमानों

की नअ़शें अलाहिदा कर ली जाएं और सिर्फ़ उन्हीं को ग़ुस्ल दिया जाए, काफ़िरों की नअ़शों को ग़ुस्ल न दिया जाए।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द 2 व अहसनुल–फ़तावा स0 226 जिल्द 2)।

मस्अला : अगर किसी मुसलमान का कोई अज़ीज़ काफिर हो और वह मर जाए तो उसकी नअ़श उसके किसी हम मज़्हब को दे दी जाए, और अगर उसका कोई हम मज़्हब न हो, या वह लेना क़बूल न करें तो बवज्हे मज्बूरी वह मुसलमान उस काफ़िर रिश्तादार को ग़ुस्ल दे, मगर मस्नून तरीक़े से नहीं, यानी उसको वुज़ू न कराए, न सर साफ़ किया जाए और न काफ़ूर वग़ैरह उसके बदन पर मला जाए और न नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाए।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द 2)।

मस्अला : और अगर मुर्दा काफ़िर है और मुसलमान वली के सिवा कोई उसका वली नहीं है तो मुसलमान वली उस मैयत पर पानी बहा दे, यानी उसके ग़ुस्ल में कोई मस्नून एहतिमाम न हो। (कश्फ़ुल–असरार स0 41, जिल्द अव्वल)।

बाग़ी और मुर्तद को ग़ुस्ल देना ?

मस्अला : बाग़ी लोग या डाकू अगर मारे जाएं तो उन मुर्दों को ग़ुस्ल न दिया जाए बशर्ते कि ऐन लड़ाई के वक़्त मारे गए हों। (यह उनकी ग़लत हरकत की वजह से है, ताकि दूसरों को इबरत हो)।

मस्अला : मुर्तद (इस्लाम से फिर जाने वाला) अगर मर जाए उसको भी ग़ुस्ल न दिया जाए और अगर उसके मज़्हब वाले उसकी नअ़श को मागें तो उनकी नअ़श न दी जाए।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 204, जिल्द 2)।

शहीद को ग़ुस्ल देना ?

मस्अला : जिस शहीद में शहादत की सब शराइत पाई जाएं, उसको ग़ुस्ल न दिया जाए और न उसका ख़ून जिस्म से साफ़ किया जाए, और अगर किसी शहीद में सब शराइत न पाई जाएं तो ग़ुस्ल भी दिया जाएगा और नया कफ़न भी पहनाया जाएगा। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 205, जिल्द 2)।

ख़ुद कुशी करने वाले को ग़ुस्ल देना ?

मस्अला : ख़ुदकुशी करने वाले को भी ग़ुस्ल दिया जाएगा और नमाज़े जनाज़ा भी उस पर पढ़ी जाएगी, अल्बत्ता हाकिमे वक़्त, ख़तीब या और कोई बड़ा आदमी नमाज़े जनाज़ा न पढ़ाए, बल्कि कोई आम मुसलमान नमाज़ पढ़ा दे। (नमाज़े मस्नून स0 725)।

(बड़ा आलिम या कोई बड़ी शख़्सियत उसकी नमाज़े जनाज़ा पढ़ तो सकते हैं लेकिन खुद जनाज़ा न पढ़ाएं ताकि लोगों को इबरत हो, इस ग़लत हरकत पर। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

पैदाइश के वक़्त ज़िन्दगी के आसार हों तो ग़ुस्ल का हुक्म :

मस्अला : बच्चा के बदन का अक्सर हिस्सा बाहर आने तक आसार ज़िन्दगी के बाक़ी रहें यानी सर की तरफ़ से पैदा हो तो सीना तक और अगर पाँव की तरफ़ से पैदा हो तो नाफ़ तक निकले, उस वक़्त तक आसारे हयात बाक़ी रहें तो बच्चा ज़िन्दा शुमार होगा और मस्नून तरीक़ा से उसकी तज्हीज़ व तक्फ़ीन (ग़ुस्ल वग़ैरह) की जाएगी और नमाज़े जनाज़ा पढ़ कर दफ़्न किया जाएगा, और अगर अक्सर हिस्सा बाहर निकलने से पहले मर जाए तो वह मुर्दा शुमार होगा, उसको धोकर (बग़ैर ग़ुस्ल

के) पाक कपड़े में लपेट कर बिला नमाज़े जनाज़ा के दफ़्न कर दिया जाए। (फ़तावा रहीमिया स० 96, जिल्द 5, बहवाला शामी स० 830, जिल्द अव्वल व इल्मुल–फ़िक़्ह स० 188, जिल्द 2)।

मस्अला : जो बच्चा ज़िन्दा पैदा हो फिर थोड़ी ही देर में मर गया या फ़ौरन पैदा होते ही मर गया तो उसको भी सुन्नत तरीक़े से ग़ुस्ल दिया जाए और कफ़ना कर नमाज़ पढ़ी जाए।

(बहिश्ती ज़ेवर स० 55, जिल्द 2)।

मुर्दा पैदा होने वाले बच्चे के ग़ुस्ल का हुक्म ?

मस्अला : इस्क़ात की सूरत में अगर कोई उज़्व बन गया हो मगर पूरा जिस्म न बना हो तो उस पर पानी बहा कर कपड़ा लपेट कर कहीं भी दफ़्न करके ज़मीन हम्वार कर दी जाए, ग़ुस्ल और कफ़न दफ़्न में मस्नून तरीक़े की रिआयत नहीं की जाएगी। और अगर पूरा जिस्म बन चुका हो तो ग़ुस्ल, कफ़न, दफ़्न बतरीक़े मस्नून में इख़्तिलाफ़ है, बतरीक़े मस्नून का क़ौल अह्वत और दूसरा ऐसर है। नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाए, अल्बत्ता पैदा होने के बाद मरा तो नमाज़े जनाज़ा भी पढ़ी जाएगी और सुन्नत के मुताबिक़ क़ब्रस्तान में दफ़्न किया जाएगा।

(अहसनुल–फ़तावा स० 206, जिल्द 4)।

मस्अला : जो बच्चा मां के पेट से ही मरा हुआ पैदा हो। पैदा होते वक़्त ज़िन्दगी की कोई अलामत नहीं पाई गई, उसको भी मस्नून तरीक़े से ग़ुस्ल दो, लेकिन मस्नून कफ़न न दो बल्कि किसी एक पाक कपड़े में लपेट कर दफ़्न कर दो। (बहिश्ती ज़ेवर स० 55, जिल्द 2)।

मुर्दा बच्चा को नर्स के दिए हुए ग़ुस्ल का हुक्म ?

सवाल : हमारे यहाँ पर ज़चगी (वज़्–ए–हमल) होस्पिटलों में होती है और कभी ऐसा भी होता है कि बच्चा मुर्दा पैदा होता है तो वह उस मुर्दा बच्चा को होस्पिटल में नर्स तैयार (ग़ुस्ल व कफ़न) कर देती है, और उसको बराहे रास्त क़ब्रस्तान में दफ़्ना दिया जाता है, घर पर उसे ग़ुस्ल नहीं दिया जाता, क्या हुक्म है?

जवाब : ग़ैर मुस्लिम के हाथों से दिया गया ग़ुस्ल, ग़ुस्ल के हुक्म में तो आता है, इसलिए कि ग़ुस्ल देने वाले का मुकल्लफ़ होना शर्त नहीं है। (शामी स0 805, जिल्द अव्वल)।

मगर इसमें दो ख़राबियाँ हैं। (1) ग़ैर मुस्लिम के हाथों दिया गया ग़ुस्ल, सुन्नत के मुताबिक़ नहीं है। (2) मुस्लिम की तज्हीज़ व तक्फ़ीन व तदफ़ीन मुसलमानों पर लाज़िम है, उसकी ज़िम्मेदारी उन पर रह जाती है, लिहाज़ा मुसलमानों के हाथों मस्नून तरीक़ा के मुताबिक़ ग़ुस्ल दिया जाना ज़रूरी है चाहे वह होस्पिटल में हो या घर में। (फ़तावा रहीमिया स0 273, जिल्द अव्वल)।

जिसको ग़ुस्ले मैयत देना न आता हो अगर वह ग़ुस्ल दे ?

मस्अला : जिसे ग़ुस्ल देना न आए अगर वह ग़ुस्ल दे दे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं है, लेकिन जहाँ तक हो सके मैयत को ग़ुस्ल उस शख़्स से दिलाना चाहिए जो तरीक़े सुन्नत से मुवाफ़िक़ मैयत को ग़ुस्ल दे। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 249, जिल्द 5)।

मस्अला : बेहतर यह है कि मैयत को नहलाने वाला मुर्दा का कोई अज़ीज़ हो और अगर अज़ीज़ व अक़ारिब में से कोई

ग़ुस्ल देना नहीं जानता हो तो मुत्तक़ी नेक परहेज़गार आदमी ग़ुस्ल दे। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द 1)।

मस्अला : बेनमाज़ी मैयत को ग़ुस्ल दे सकता है मगर बेहतर यह है कि नमाज़ी आदमी और पाबन्दे शरीअत ग़ुस्ल दे। (फ़तावा महमूदिया स0 393, जिल्द 2, फ़तावा दारुल–उलूम स0 250, जिल्द 5)।

मस्अला : जो हैज़ या निफ़ास वाली औरत हो, वह मुर्दा को ग़ुस्ल न दे, क्योंकि यह मकरूह है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61, जिल्द 2, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 64, जिल्द 2)।

(और अगर कोई दूसरी औरत उसके अलावा ग़ुस्ल देने वाली न हो तो मज्बूरी में कोई मुज़ाइक़ा नहीं है, दे सकती है।)

(मुहम्मद रफ़्अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मस्अला : बेह्तर यह है कि जिस जगह मैयत को ग़ुस्ल दिया जाए वहाँ पर ग़ुस्ल देने वाले शख़्स के या जो ग़ुस्ल देने के काम में शरीक हों, उनके अलावा कोई दूसरा शख़्स न जाए और ग़ुस्ल देने वाले अगर उस मैयत में कोई उम्दा बात देखें तो लोगों से ब्यान कर दे और अगर कोई बुरी बात देखे तो किसी पर ज़ाहिर न करे, हां अगर मैयत कोई मशहूर बिदअती की हो और उसमें कोई बुरी बात देखें तो ज़ाहिर कर दें ताकि और लोगों को इबरत हो और उस बिदअत के करने से बाज़ रहें।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 186, जिल्द अव्वल बहवाला बह्र व आलमगीरी)।

ग़ुस्ल के वक़्त मैयत के कपड़े को पाक करना ?

मस्अला : मैयत को ग़ुस्ल देने के वक़्त जो कपड़ा मैयत की

नाफ़ से लेकर घुटनों तक डाला जाता है, पहली मरतबा मैयत की जब नजासत दूर की गई तो वह पानी कपड़े को भी लगा तो अब वही कपड़ा पाक करके रख लें या दूसरा पाक कपड़ा लें। (इम्दादुल–फ़तावा बाबुल–जनाइज़ स0 731, जिल्द 1)।

(तीन मरतबा कपड़े पर पानी डाल दिया जाए पाक हो जाएगा, अगर दूसरा कपड़ा हो तो वह ले लें)।

मुर्दा औरत को ग़ुस्ल देने में सत्र की हद क्या है ?

सवाल : मुर्दा औरत को नहलाते वक़्त उसके पूरे बदन पर कपड़ा डालना ज़रूरी है या मर्द की तरह सिर्फ़ नाफ़ से घुटनों तक छुपाना काफ़ी है ?

जवाब : औरत को औरत से इस क़दर पर्दा है जितना मर्द को मर्द से, इसलिए औरत को (अगर औरत ही ग़ुस्ल दे तो) नहलाते वक़्त सिर्फ़ नाफ़ से ज़ानों तक कपड़ा डालना काफ़ी है। (अहसनुल–फ़तावा स0 237, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 800, जिल्द अव्वल)।

मुर्दे के पोशीदा हिस्से को देखना या हाथ लगाना ?

मस्अला : मुर्दा के सत्र का ढँकना वाजिब है लिहाज़ा नहलाने वाले को या किसी और शख़्स को देखना हलाल नहीं है। इसी तरह उसे हाथ लगाना भी हलाल नहीं है, लिहाज़ा ग़ुस्ल देने वाले पर वाजिब है कि वह अपने हाथों पर कपड़ा वग़ैरह लपेट कर उसके साथ मक़ामे सत्र को धोए। (नाफ़ से घुटनों तक का हिस्सा सत्र कहलाता है)। रहा बाक़ी जिस्म तो उसको हाथ पर कपड़ा लपेटे बग़ैर धोना दुरुस्त है।

सत्रे ख़फ़ीफ़ (उज़्वे मख़्सूस के अलावा हिस्सा) को हाथ लगाना हराम नहीं है हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक। लेकिन उसको ढांक कर रखना और हाथ न लगाना ही मत्लूब है। सत्रे ग़लीज़ को हाथ लगाना हराम है। (किताबुल–फिक़्ह स0 813, जिल्द अव्वल)।

(यानी उज़्वे मख़्सूस को किसी कपड़े या दस्ताने वग़ैरह के बग़ैर हाथ लगाना हराम है, और उज़्वे मख़्सूस के अलावा नाफ से घुटनों तक का हिस्सा सत्रे ख़फ़ीफ़ है)।

गुस्ले मैयत में ढेले से इस्तिंजा कराना ?

मस्अला : कुतुबे फ़िक़्ह में मैयत के लिए इस्तिंजा का हुक्म तो मुसर्रह है, इसलिए ढेले के इस्तेमाल की सराहत अगर न भी मिले तो भी चूंकि इस्तिंजा का मस्नून तरीक़ा यही है कि ढेले के बाद पानी इस्तेमाल किया जाता है और इस इतलाक़ में मैयत भी शामिल है, लिहाज़ा उसके लिए भी ढेले का इस्तेमाल मस्नून है। (अहसनुल–फ़तावा स0 229, जिल्द 4)।

मस्अला : मैयत को ग़ुस्ल देने में आला दरजा यह है कि पहले (अपने हाथों में कपड़ा या दस्ताने वग़ैरह पहन कर) ढेले से सफ़ाई की जाए यानी इस्तिंजा कराया जाए फिर पानी से धोया जाए। (फ़तावा महमूदिया स0 284, जिल्द 4)।

नाख़ुन पालिश छुड़ाए बेग़ैर गुस्ले मैयत ?

सवाल : एक बहन को नाख़ुन पालिश लगाने की आदत थी, उसके इंतिक़ाल के बाद जब उसको ग़ुस्ल दिया गया तो उसका ख़्याल न रहा, ग़ुस्ल देने के बाद पता चला कि नाख़ुन पालिश रह गई, तो दोबारा ग़ुस्ल देना चाहिए या नहीं?

जवाब : पालिश छुड़ा कर नाख़ुन धो देना काफ़ी है, पूरे ग़ुस्ल के एआदा की ज़रूरत नहीं है, पालिश छुड़ा कर नाख़ुन धोना फ़र्ज़ था, बग़ैर छुड़ाए ग़ुस्ल सही नहीं हुआ, इसलिए नमाज़े जनाज़ा भी न हुई। (जबकि नाख़ुन पालिश न छुड़ाई गई हो)। (अहसनुल–फ़तावा स0 227, जिल्द 4)।

मस्अला : नाख़ुन पालिश वाली मैयत की पालिश साफ़ करके ग़ुस्ल दें वरना उसका ग़ुस्ल सही न होगा।

(आपके मसाइल स0 75, जिल्द 3)।

हाइज़ा मैयत के मुँह में पानी डालना ?

मस्अला : हालते जनाबत में या हैज़ व निफ़ास की हालत में मौत वाक़े हो जाए तो भी ग़ुस्ल देते वक़्त मुँह और नाक में पानी डालना दुरुस्त नहीं है। अल्बत्ता दाँतों और नाक में तर कपड़ा फेर दिया जाए तो बेहतर है, ज़रूरी नहीं है।

(अहसनुल–फ़तावा स0 238, जिल्द 4, बहवाला दुर्रे मुख़्तार स0 801, जिल्द 1)।

मैयत के मुँह में मस्नूई दाँत रह जाएं ?

मस्अला : अगर मैयत के मुँह में से मस्नूई दाँतों का निकालना मुश्किल हो, और ज़्यादा मेहनत करने में मैयत की बेहुर्मती हो तो मुँह के अन्दर ही छोड़ दिए जाएं, ग़ुस्ल और दफ़्न में कोई महज़ूर नहीं है। (कोई हरज नहीं है)।

माल की हुर्मत से मैयत की हुर्मत ज़्यादा है। (अहसनुल–फ़तावा स0 241, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 840, जिल्द अव्वल, आपके मसाइल स0 77, जिल्द 3)।

मस्अला : मैयत की आँखों में सुर्मा लगाना और सर में कंघा करना दुरुस्त नहीं है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 248, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 802, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मैयत के बालों में कंघी न की जाए और नाख़ुन या बाल उसके न काटे जाएं और न ही मोछें कतरी जाएं, हां अगर कोई नाख़ुन अज़ ख़ुद टूट जाए तो उसको अलाहिदा करने में कोई हरज नहीं है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 88, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मैयत के बाल, मोंछ का तराश्ना, नीज़ बग़ल और ज़ेरे नाफ़ के बालों का दूर करना मक्रूह है। मत्लूब शर्अ में यह है कि जिस तरह वफ़ात हुई, उसी हाल में दफ़्न किया जाए अगर मैयत के जिस्म से मज़्कूरा चीज़ों में से कोई चीज़ अज़ ख़ुद गिर जाए तो उसको भी कफ़न में रख कर साथ ही दफ़्न कर दिया जाए। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 820, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल के वक़्त आं हज़रत (स०) के पाँव किस तरफ़ थे ?

मस्अला : यह अम्र कहीं मन्क़ूल नहीं है कि ग़ुस्ल के वक़्त आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पाँव किस तरफ़ थे और सरे मुबारक किस तरफ़। लेकिन आं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह इरशाद ख़ान–ए–काबा के बारे में है कि "यह तुम्हारा क़िब्ला है ज़िन्दगी में और मरने के बाद।" यह इस तरफ़ मुशीर है कि जैसे क़ब्र में मैयत को रखा जाता है, उसी तरह ग़ुस्ल के वक़्त लिटा दिया जाए, जैसा कि अब मामूल है। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 252, जिल्द 5, रद्दुल–मुह्तार स0 799, जिल्द 1, फ़तावा महमूदिया स0 163, जिल्द 9)।

मस्अला : मैयत के गुस्ल के वक़्त जिस तरह चाहें (मुनासिब हो) मैयत को लिटा दें, यह असह है। और बाज़ ने यह कहा है कि क़िब्ला की तरफ़ मुँह करके अरज़न लिटा दें जैसा कि क़ब्र में रखा जाता है। और बाज़ ने कहा है कि क़िब्ला की तरफ़ तूलन लिटा दें, इस सूरत में पैर और मुँह क़िब्ला की तरफ़ होंगे।

(इम्दादुल–अहकाम स0 822, जिल्द अव्वल, आपके मसाइल स0 98, जिल्द 3)।

(दोनों सूरतें जाइज़ हैं, जिस तरह भी सहूलत हो मैयत को गुस्ल देने में लिटा सकते हैं, क्योंकि बाज़ जगह गुस्ल की जगह क़िब्ला रुख़ नहीं होती और छोटी भी होती है।)

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)।

मैयत के गुस्ल के लिए घर के बर्तनों में पानी गर्म करना ?

मस्अला : मैयत के गुस्ल के लिए घर के पाक बर्तनों में पानी गर्म करने और गुस्ल देने में कुछ हरज नहीं है।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 249, जिल्द 5)।

मस्अला : मैयत को कोरे यानी नए घड़े (बर्तन वग़ैरह) से गुस्ल देना ज़रूरी नहीं है। (फ़तावा महमूदिया स0 294, जिल्द 10)।

(कोई भी बर्तन हो, पाक होना चाहिए। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी गुफ़िरलहू)।

मैयत को गुस्ल देने के लिए कैसा पानी हो?

सवाल : यह मशहूर है कि मैयत के गुस्ल देने के लिए पहला पानी बेरी के पत्तों का जोशांदा (पकाया हुआ) और दूसरा पानी मअ़ काफ़ूर के और तीसरा पानी ख़ालिस यानी सादा पानी

हो, सही क्या है?

जवाब : अल्लामा शामी रह. ने मैयत के गुस्ल के बारे में यह तफ़्सील ब्यान की है कि पहले सादा पानी से गुस्ल दिया जाए फिर बेरी के पत्तों का पकाया पानी फिर काफ़ूर का मिला हुआ पानी डाला जाए। और फ़त्हुल–क़दीर से नक़्ल किया है कि औला यह है कि अव्वल दो मरतबा बेरी के पत्तों का पका हुआ पानी और तीसरा काफ़ूर का मिला हुआ पानी। (फ़तावा दारुल–उलूम स0 255, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 802, जिल्द अव्वल बाबुल–जनाइज़)।

मस्अला : मैयत के गुस्ल के पानी में किसी क़िस्म की नजासत का असर हो और गुस्ल, कफ़न, दफ़्न के बाद मालूम हो तो मैयत पर उसकी वजह से मुआख़ज़ा नहीं है, वह मज्बूर और माज़ूर है और जिस शख़्स से भी इस सिलसिला में बेएहतियाती हुई हो वह तौबा व इस्तिग़फ़ार करे और मैयत के लिए दुआए मग़्फ़िरत करे और उसको सवाब पहुँचाता रहे।

(फ़तावा दारुल–उलूम स0 270, जिल्द 5)।

(आज कल बेरी के पत्तों का मिलना हर जगह मुश्किल है। मक़्सद यह है कि जिस चीज़ से भी मैयत के मैल कुचैल वग़ैरह की सफ़ाई अच्छी तरह हो जाए, या साबुन वग़ैरह इस्तेमाल कर लिया जाए। (मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

गुस्ल से पहले मैयत को वुज़ू कराना ?

मस्अला : मुस्तहब यह है कि मैयत को उसी तरह वुज़ू कराया जाए जिस तरह ज़िन्दा इंसान नहाने के वक़्त जनाबत

(नापाकी) से पाक होने के लिए वुज़ू करता है, इस वुज़ू में कुल्ली क़राना और नाक में पानी डालना नहीं है, लिहाज़ा मैयत के गुस्ल में यह दोनों बातें न की जाएं, ताकि पेट में पानी जाकर ख़राबी पैदा न करे, अलावा अज़ीं ऐसा करने में दुश्वारी भी है। अल्बत्ता मुस्तहब है कि मैयत को गुस्ल देने वाला अपनी कलिम–ए–शहादत की उंगली और अंगूठे पर पाक कपड़ा लपेट कर उसको पानी से तर कर ले फिर उससे मैयत के दाँतों और मसूढ़ों और नथुनों का मसह करे, यानी भीगी हुई कपड़े वाली उंगली फेर दे। और यह अमल कुल्ली करने और नाक में पानी डालने के क़ाइम मक़ाम है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 820, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : नाबालिग़ बच्चा व बच्ची को भी मौत के गुस्ल में वुज़ू कराना चाहिए। (अहसनुल–फ़तावा स0 212, जिल्द 4)।

मस्अला : अगर मैयत के गुस्ल देने की कोई जगह अलग है कि पानी कहीं अलग बह कर चला जाएगा तो बेहतर है वरना मैयत के तख़्ता के नीचे गढ़ा खोद लिया जाए ताकि सब पानी उसमें जमा हो जाए, अगर गढ़ा न खुदवाया और पानी सब घर में फैला तब भी कोई गुनाह नहीं है, मक़्सद सिर्फ़ यह है कि आने जाने में किसी को तक़्लीफ़ न हो और कोई फ़िसल कर न गिर पड़े। (बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द 2)।

गुस्ले मैयत के मुस्तहब्बात

मस्अला : मैयत के गुस्ल में चन्द उमूर मुस्तहब हैं। एक तो यह कि तीन बार गुस्ल दिया जाए बईं तौर पर कि हर बार मैयत के पूरे जिस्म पर पानी पहुँच जाए। (जिसका तरीक़ा आगे

बताया जाएगा) उन तीन में पहली दफ़ा का ग़ुस्ल फ़र्ज़ है और उसके बाद के दो ग़ुस्ल सुन्नत हैं।

अगर तीन बार तमाम जिस्म को ग़ुस्ल देने से मैयत का बदन साफ़ न हो तो तीन दफ़ा से ज़्यादा धोना मुस्तहब है ताकि बदन साफ़ हो जाए। उसके लिए कोई तादाद मुक़र्रर नहीं है, लेकिन यह मुस्तहब है कि ग़ुस्ल की तादाद ताक़ हो। चुनांचे अगर मसलन चार बार धोने से मत्लूबा सफ़ाई हासिल हो जाए तो तब भी पाँचवीं बार ग़ुस्ल दिया जाए, वग़ैरह। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 817, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : दूसरा अम्रे मुस्तहब यह है कि आख़िरी बार ग़ुस्ल के पानी में काफ़ूर वग़ैरह ख़ुश्बू की आमेज़िश की जाए। उनमें काफ़ूर अफ़ज़ल है।

आख़िरी ग़ुस्ल के अलावा दूसरे ग़ुस्ल के पानी में बेरी के पत्ते या कोई और चीज़ मैल दूर करने वाली जैसे साबुन वग़ैरह से मल लिया जाए ताकि सफ़ाई हासिल हो, और मैयत के ग़ुस्ल के पानी में ख़ुश्बू वग़ैरह का डालना मुस्तहब है, ख़्वाह वह मैयत एहराम के लिबास में हो या न हो, यह इसलिए कि इंसान मुर्दा ग़ैर मुकल्लफ़ होता है, लिहाज़ा मौत के साथ ही एहराम भी ख़त्म हो जाता है। यही वजह है कि उसका सर ढक दिया जाता है। बख़िलाफ़ उस हालत के जब कि वह ज़िन्दा और एहराम की हालत में हो। यानी एहराम की हालत में तो सर भी नहीं ढका जाता और न ही ख़ुश्बू वग़ैरह का इस्तेमाल होता है। लेकिन मौत से यह सब पाबन्दियाँ ख़त्म हो जाती हैं।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 818, जिल्द 1)।

मस्अला : अम्रे मुस्तहब यह है कि मैयत को ठण्डे पानी से ग़ुस्ल दिया जाए, बजुज़ उस हाल के जब कि मज्बूरी हो, मसलन सख़्त सर्दी हो या मैल कुचैल दूर करना हो। और हन्फ़ीया रह. के नज़्दीक मुर्दा के लिए गर्म पानी अफ़ज़ल है।

(किताबुल–फ़िक़्ह स0 818, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : चौथा अम्रे मुस्तहब यह है कि ग़ुस्ल देने के बाद मैयत के सर और दाढ़ी में ख़ुश्बू लगाई जाए, लेकिन ज़ाफ़रान न हो। इसी तरह जिन आज़ा पर ख़ुश्बू लगाना मुस्तहब है वह आज़ा यह हैं : पेशानी, नाक, दोनों हथेलियाँ, दोनों घुटने और दोनों पाँव, नीज़ दोनों आँखों पर, दोनों कानों पर और दोनों बग़लों के नीचे भी लगाई जाए और बेहतर यह है कि यह ख़ुश्बू काफूर हो। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 818, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : पाँचवां अम्रे मुस्तहब यह है कि मैयत के क़रीब धूनी दी जाए और धूनी देना तीन मौक़ों पर मुस्तहब है :

एक उस वक़्त जब मैयत की जान क़ब्ज़ हो रही हो। पस जब मौत का यक़ीन हो जाए तो उसको ऊंची जगह पर जबकि नीचे ज़मीन पर लेटा हुआ हो, मसलन किसी तख़्त, पलंग या चबूतरा पर रखा जाए और उस जगह रखने से पहले वहाँ पर तीन बार या पाँच बार धूनी दी जाए।

बईं तौर कि अंगेठी या धूनी के बर्तन का उस तख़्त वग़ैरह के इर्द गिर्द तीन, पाँच या सात बार फेरा जाए, इससे ज़्यादा बार न फेरा जाए।

उसके बाद मैयत को उस पर रखा जाए। दूसरे ग़ुस्ल देने के

वक़्त धूनी की अंगेठी को नहलाने के तख़्ते के इर्द गिर्द इसी तरह फेरा जाए। तीसरे कफ़न पहनाने के वक़्त इसी तरह किया जाए।

मस्अला : छठा अम्रे मुस्तहब यह है कि ग़ुस्ल देने के वक़्त मैयत के तमाम कपड़े सिवाए सत्र (पोशीदा हिस्सा के) ढकने वाले कपड़े के उतार दिए जाएं। (किताबुल–फ़िक़्ह स० 819, जिल्द 1)।

(यानी सत्र पर एक पाक कपड़ा डाल कर ग़ुस्ल दिया जाए।

(मुहम्मद रफ़अत क़ासमी ग़ुफ़िरलहू)।

मैयत के पास ग़ुस्ल से पहले तिलावत का हुक्म

सवाल : मैयत को ग़ुस्ल देने से पहले उसके पास कुरआन पढ़ना जाइज़ है या नहीं?

जवाब : मैयत को कपड़े से ढांक दिया जाए तो उसके पास तिलावत में कोई हरज नहीं, वरना मकरूह है, और नहलाने के बाद बहर सूरत कोई कराहत नहीं है। (अहसनुल–फ़तावा स० 242, जिल्द 4)।

मस्अला : मैयत को ग़ुस्ल देने से पहले उसके पास (बग़ैर ढांके) कुरआने पाक की तिलावत मकरूह और मना है, अल्बत्ता तस्बीह पढ़ी जा सकती है, (या) दूसरे कमरा में दूर बैठ कर तिलावत करना जाइज़ है। (फ़तावा रहीमिया स० 92, जिल्द 3, नूरुल–ईज़ाह स० 133, फ़तावा महमूदिया स० 45, जिल्द 12, आपके मसाइल स० 97, जिल्द 3, दुर्रे मुख़्तार मअ़ा शामी स० 800, जिल्द अव्वल, **कश्फ़ुल**–असरार स०837, जिल्द 1)।

(क्योंकि मैयत **पेशाब**, पाख़ाना की नापाकी से शायद ही महफ़ूज़ हो। (रफ़अत)

मस्अला : हैज़ व निफ़ास वाली औरत और जिसको गुस्ल की हाजत (नापाक) हो, मुर्दा के पास न रहे (औला यह ही है)। (बहिश्ती ज़ेवर स0 61, जिल्द 2, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 64, जिल्द 2)।

मैयत को गुस्ल देने का मस्नून व मुस्तहब तरीक़ा

(1) हन्फ़ीया के नज़्दीक ग़ुस्ल देने के वक़्त मैयत को किसी ऊंची चीज़ मसलन नहलाने के पटरे पर रखा जाए। फिर ग़ुस्ल देते वक़्त तीन बार या पाँच बार या सात बार (धूनी दी जाए, बई तौर कि धूनी की अंगेठी को इतनी बार पटरे के गिर्द फिराया जाए, जैसा कि पहले बताया गया है। फिर मैयत के तमाम कपड़े सिवा लिबासे सत्र के उतार दिए जाएं, और मुस्तहब यह है कि मैयत के पास ग़ुस्ल देने वाले या उसके मुआविन के सिवा और कोई न हो। फिर ग़ुस्ल देने वाले को चाहिए कि अपने हाथ पर (कपड़ा या दस्ताने या) धज्जी लपेट ले और उसे तर करके अगली पिछली शर्मगाहों को धोए, यानी इस्तिंजा कराए। फिर वुज़ू कराए और वुज़ू में इब्तिदा चेहरा को धोने से होनी चाहिए, क्योंकि हाथ धोने से वुज़ू की इब्तिदा ज़िन्दों के लिए है। जो ख़ुद ग़ुस्ल करते हैं, उन्हें ज़रूरी होता है कि पहले हाथों को धो लें। लेकिन मैयत को दूसरा शख़्स ग़ुस्ल कराता है, इसलिए मैयत के ग़ुस्ल देने में कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं होता, बल्कि उसके बजाए दाँतों और नथुनों को धज्जी से साफ़ करना होता है, जैसा कि पहले बताया गया। उसके बाद मैयत के सर और दाढ़ी के बालों को किसी मैल काटने वाली चीज़ मसलन साबुन वग़ैरह से धोना चाहिए। बाल न हों तो

साबुन वग़ैरह से सर को धोया न जाए। फिर मैयत को बाईं करवट लिटा दिया जाए, ताकि पहले दाएं पहलू को धोया जाए। पस दाएं पहलू पर पानी सर से पाँव की तरफ़ तीन बार बहाया जाए, यहाँ तक कि निचली तरफ़ पानी बह जाए और पीठ धोने के लिए चेहरे के बल औंधा न लिटाया जाए, बल्कि पहलू की जानिब से इस तरह हिलाया जाए कि पानी तमाम जगह पहुँच जाए। यह पहला ग़ुस्ल हुआ। अगर इस तरह तमाम बदन पर पानी बह जाए तो फ़र्ज़े किफ़ाया अदा हो गया। इसके बाद दो ग़ुस्ल और दिए जाएं तो सुन्नत अदा हो जाएगी, उनका तरीक़ा यह है कि मैयत को दूसरी बार दाईं करवट लिटाया जाए और फिर बाएं पहलू पर तीन बार उसी तरह पानी डाला जाए, जैसा कि पहले बताया गया। फिर नहलाने वाले को चाहिए कि मैयत को बिठाए और उसको अपने सहारे पर रख कर आहिस्ता–आहिस्ता उसके पेट पर हाथ फेरे और इस तरह करने से कुछ ख़ारिज हो तो उसको धो डाले। यह दूसरा ग़ुस्ल है। उसके बाद मैयत को बाईं करवट पर लिटा दिया जाए और बतरीक़े साबिक़ पानी बहाया जाए। यह तीसरा ग़ुस्ल हो गया। इब्तिदाई दो ग़ुस्ल गर्म पानी से और मैल काटने वाली शय जैसे बेरी के पत्ते और साबुन वग़ैरह के साथ दिए जाएं। तीसरे ग़ुस्ल में पानी में काफ़ूर इस्तेमाल किया जाए। उसके बाद मैयत के बदन को पोंछ कर ख़ुश्क कर लिया जाए। और उस पर ख़ुश्बू मल दी जाए, जैसा कि पहले बताया गया।

वाज़ेह हो कि ग़ुस्ल के सही होने के लिए नीयत ज़रूरी नहीं

है। इसी तरह अज़ रूए तहक़ीक़ फ़र्ज़े किफ़ाया की अदाइगी के लिए नीयत शर्त नहीं है, अल्बत्ता अदाए फ़र्ज़े किफ़ाया पर सवाब हासिल करने के लिए नीत शर्त है। (किताबुल–फ़िक़्ह अलल–मज़ाहिबिल अरबआ स0 822, जिल्द 1, तफ़्सील मुलाहज़ा फरमाएं। इल्मुल–फ़िक़्ह स0 186, जिल्द 2, बहिश्ती ज़ेवर स0 52, जिल्द 2, बहरुर्राइक़ स0 185, जिल्द 1, शामी स0 571, फ़तावा दारुल–उलूम स0 254, जिल्द 5, बहवाला रद्दुल–मुह्तार स0 803, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : एक मरतबा मुर्दा को ग़ुस्ल देना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा मस्नून है। और मैयत को बग़ैर नीयत के नहलाने से भी ग़ुस्ल हो जाता है और वह पाक हो जाता है। (दुर्रे मुख़्तार स0 835, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर मुर्दा का कोई उज़्व ख़ुश्क रह गया हो और कफ़न पहनाने के बाद याद आए तो कफ़न खोल कर सिर्फ़ उसी उज़्व को धोना चाहिए। (ग़ुस्ल लौटाने की ज़रूरत नहीं है) हां अगर कोई उंगली या उसके बराबर कोई हिस्सा ख़ुश्क रह जाए तो कफ़न पहनाने के बाद याद आने पर धोने की ज़रूरत नहीं है। (दुर्रे मुख़्तार स0 835, जिल्द अव्वल)।

ग़ुस्ल देने के बाद मैयत से नजासत का निकलना ?

मस्अला : अगर मैयत को ग़ुस्ल देने के बाद मैयत के जिस्म से नजासत ख़ारिज हो, उससे कोई हरज नहीं है, ख़्वाह वह उसके कफ़न या बदन को लग जाए, अल्बत्ता कफ़न पहनाने से पहले सफ़ाई के ख़्याल से उसको धो डालना चाहिए। लेकिन

यह अम्र नमाज़े जनाज़ा के सही होने की शर्त नहीं है।

कफ़न पहनाने के बाद नजासत ख़ारिज हुई तो उसको धोना नहीं चाहिए क्योंकि धोने में दुश्वारी है और हरज है। बख़िलाफ़ उस सूरत के जबकि कफ़न ही नजासत से आलूदा हो, यानी नापाक कफ़न दिया गया होगा तो नमाज़े जनाज़ा दुरुस्त न होगी। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 821, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर मैयत का पेट दबाने से कोई नजासत निकले तो उसको धोया जाएगा (जबकि ग़ुस्ल दिया जा रहा हो) मगर उसकी वजह से वुज़ू और ग़ुस्ल दुहराया नहीं जाएगा। (दुर्रे मुख़्तार स0 831, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर कफ़न पहनाने के बाद मैयत से नजासत निकली है तो उसका धोना ज़रूरी नहीं है, ख़्वाह मैयत के बदन पर हो या कफ़न पर हो, बग़ैर धोए नमाज़े जनाज़ा सही है। यह हुक्म ख़ुद मैयत से निकलने वाली नजासत का है, ख़ारजी नजासत का धोना ज़रूरी है, बिला धोए नमाज़ न होगी। (अहसनुल–फ़तावा स0 197, जिल्द 4, बहवाला रद्दुल–मुख़्तार स0 812, जिल्द अव्वल व किताबुल–फ़िक़्ह स0 811, जिल्द 1)।

ग़ुस्ले मैयत के मुतफ़र्रिक़ मसाइल

मस्अला : मैयत को ग़ुस्ल देते वक़्त ज़ख़्म से अगर पट्टी लगी हो तो वह उतार दी जाए। (आपके मसाइल स0 99, जिल्द 3)।

मस्अला : अगर मैयत को ग़ुस्ल देकर एक रात घर में रखा जाए तो दूसरे दिन एक बार ग़ुस्ल देने के बाद दोबारा ग़ुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है। (आपके मसाइल स0 98, जिल्द 3)।

मस्अला : शौहर को बीवी के मरने के बाद सिर्फ़ मुँह देखने की इजाज़त है, हाथ लगाने की नहीं है, ग़ुस्ल देना भी शौहर के लिए दुरुस्त नहीं है, कांधा देना महरम और ग़ैर महरम सबको दुरुस्त है, अगर ज़रूरत हो तो क़ब्र में भी उतार सकता है। (फ़तावा महमूदिया स0 215, जिल्द 2, फतावा रहीमिया स0 93, जिल्द 5)।

मस्अला : अगर कोई मैयत नजासते हुक्मीया से ताहिर न हो, यानी उसको ग़ुस्ल न दिया गया हो, या ग़ुस्ल के ना मुम्किन होने की सूरत में यतम्मुम न कराया गया हो, उसकी नमाज़ दुरुस्त नहीं, हां अगर उसका ताहिर करना यानी पाक करना मुम्किन न हो मसलन बग़ैर ग़ुस्ल या बग़ैर तयम्मुम कराए हुए दफ़्न कर चुके हों और क़ब्र पर मिट्टी भी पड़ चुकी हो तो फिर उसकी नमाज़ उसकी क़ब्र पर उसी हालत में पढ़ना चाहिए।

मस्अला : अगर किसी मैयत पर बेग़ुस्ल व बेतयम्मुम के नमाज़ पढ़ी गई हो और वह दफ़्न कर दिया गया हो, और बाद दफ़्न के ख़्याल आए कि उसको ग़ुस्ल न दिया गया था तो उसकी नमाज़ दोबारा उसकी क़ब्र पर पढ़ी जाएगी। इसलिए कि पहली नमाज़ सही नहीं हुई, हां अब चूंकि ग़ुस्ल मुम्किन नहीं है, लिहाज़ा नमाज़ हो जाएगी। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 192, जिल्द 2)।

(जब तक मैयत क़ब्र में फट न गई हो, उस वक़्त तक नमाज़ पढ़ी जा सकती है)।

मस्अला : अगर किसी आदमी का सिर्फ़ सर कहीं देखा जाए यनी मिले तो उसको ग़ुस्ल न दिया जाएगा बल्कि यूं ही

दफ़्न कर दिया जाएगा। और अगर किसी का निस्फ़ से ज़्यादा बदन मिले तो उसको ग़ुस्ल देना ज़रूरी है ख़्वाह सर के साथ मिले या बग़ैर सर के, और अगर निस्फ़ से ज़्यादा न हो बल्कि निस्फ़ हो, अगर सर के साथ मिले तो ग़ुस्ल दिया जाएगा वरना नहीं और अगर निस्फ़ से कम हो तो ग़ुस्ल न दिया जाएगा ख़्वाह सर के साथ हो या बग़ैर सर के। (बहरुर्राइक़ स0 174, जिल्द अव्वल फ़तावा रहीमिया स0 104, जिल्द 5 ऐज़न स0 94, जिल्द 5, इल्मुल–फ़िक़्ह स0 188, जिल्द 2, व मज़ाहिरे हक़ स0 414, जिल्द 2 व क़ाज़ी ख़ान स0 89, जिल्द 1 और दुर्रे मुख़्तार स0 835, जिल्द अव्वल व शामी स0 809, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : जब तक मैयत के जिस्म का बेश्तर हिस्सा या निस्फ़ हिस्सा मअ़ सर के न पाया जाए ग़ुस्ल देना ज़रूरी नहीं है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 812, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : अगर पानी न होने के सबब से किसी मैयत को तयम्मुम कराया गया और फिर पानी मिल जाए तो फिर ग़ुस्ल देना चाहिए।

मसला : जब मैयत को ग़ुस्ल दे चुकें और उसकी तरी कपड़े वग़ैरह से निचोड़ कर दूर कर दें तो कफ़न पहनाया जाए।

(इल्मुल–फ़िक़्ह स0 189, जिल्द 2)

मुर्दा को ग़ुस्ल देने के बाद नहलाने वाले को ग़ुस्ल कर लेना बेहतर (मुस्तहब) है ताकि मैयत को ग़ुस्ल देने के दौरान जो छींटें वग़ैरह पड़ गईं हों तो वह दूर हो जाएं, और नज़ाफ़त व पाकीज़गी हासिल हो जाए। (अहसनुल–फ़तावा स0 443, जिल्द 4, आपके

मसाइल स0 99, जिल्द 3, मज़ाहिरे हक़ स0 481, जिल्द अव्वल)।

मैयत को गुस्ल के बाद कफ़न कैसा दिया जाए ?

मस्अला : सब से ज़्यादा पसन्दीदा कफ़न वह है जो सफ़ेद कपड़े का हो, ख़्वाह वह नया हो या पुराना। हर ऐसा लिबास जिसका पहनना मर्दों को ज़िन्दगी में मुबाह है, मरने के बाद उसका कफ़न मुबाह है, और हर ऐसा लिबास जिसका ज़िन्दगी में पहनना मक्रूह है, उसका कफ़न भी मक्रूह है, लिहाज़ा मुर्दों को रेशम और ज़र्द रंग और ज़ाफ़रानी रंग वग़ैरह के कपड़े का कफ़न मक्रूह है। हां अगर उसके अलावा कोई और कपड़ा मुहैया न हो सके तो दूसरी बात है, अल्बत्ता औरत के लिए ऐसे कपड़े का कफ़न जाइज़ है। (यानी रंगीन कफ़न भी औरतों को दे सकते हैं।)

और मर्द के कफ़न का ऐसा कपड़ा दिया जाएगा जैसा कि वह ईदैन की नमाज़ के लिए पहन कर जाता है और औरत के लिए ऐसा कपड़ा दिया जाएगा कि जो वह मां बाप के घर जाने के लिए पहनती है। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 829, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : मैयत को (गुस्ल के बाद) कफ़नाना या कफ़न पहनाना मुसलमानों पर फ़र्ज़े किफ़ाया है अगर कुछ लोग इस काम को अंजाम दे लें तो सब बरीउज़्ज़िम्मा हो जाएंगे। कम से कम कफ़न इतना होना चाहिए कि मैयत का तमाम बदन ढक जाए, ख़्वाह वह मर्द हो या औरत, अगर इससे कम हो तो फ़र्ज़े किफ़ाया मुसलमानों के ज़िम्मा से अदा न होगा।

मस्अला : मैयत का कफ़न उस के ख़ालिस ज़ाती माल से

होना चाहिए जिसके साथ किसी ग़ैर का हक़ वाबस्ता न हो, जैसे रिहन की सूरत में होता है। अगर उसका ख़ालिस माल मौजूद न हो तो उसका कफ़न उस शख़्स के ज़िम्मा है जिस पर उसकी ज़िन्दगी में उसका नफ़क़ा (ज़रूरी ख़र्च) वाजिब था।

मस्अला : अगर मैयत किसी की बीवी हो और उसके तर्का में से माल हो तो भी साहबे हैसियत ख़ाविन्द पर अपनी बीवी का कफ़न देना वाजिब है। (बाज़ जगह ससुराल वालों पर यानी लड़की के वालिदैन या भाई वग़ैरह को कफ़न वग़ैरह के इख़राजात देने को ज़रूरी समझते हैं, यह रस्म ग़लत है।)।

अगर ऐसा शख़्स मौजूद न हो जिस पर मैयत का नफ़क़ा लाज़िम हो तो बैतुलमाल से कफ़न का ख़र्च हासिल करना चाहिए, बशर्तेकि मुसलमानों का बैतुलमाल हो और लेना भी मुम्किन हो, वरना साहबे मक़्दूर मुसलमानों पर उसका मुहैया करना वाजिब है, और उस में जनाज़ा के दूसरे इख़राजात भी शामिल हैं, मसलन क़ब्रस्तान तक ले जाने और दफ़्नाने वग़ैरह के मसारिफ़ वग़ैरह। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 827, जिल्द अव्वल)।

मस्अला : वाज़ेह हो कि कफ़न की तीन क़िस्में हैं। **(1) क़फ़ने सुन्नत, (2) कफ़ने किफ़ाया (3) कफ़ने ज़रूरत।**

अब यह तीनों क़िस्म के कफ़न या तो मर्द के लिए होंगे या औरत के लिए। मर्द और औरत के कफ़ने सुन्नत में क़मीस, इज़ार और चादर शामिल हैं।

क़मीस गर्दन की जड़ से लेकर पैरों तक होती है और इज़ार माथे से क़दम तक होती है और चादर भी। इसी तरह औरत के

लिए इनके अलावा एक और ओढ़नी होगी जो चेहरे को ढके और एक सीना बन्द जो औरत की छातियों पर बांधा जाए, क़मीस में आस्तीन नहीं होती और न दामन के चाक हों। और चादर सर और पैर की तरफ़ से बढ़ी हुई होनी चाहिए। ताकि उसे सिकोड़ कर ऊंचे नीचे तक बांध दिया जाए ताकि मैयत के बदन का कोई हिस्सा नज़र न आए। और यह भी जाइज़ है कि अगर कफ़न के खुल जाने का अन्देशा हो तो उसको दरमियान में कफ़न के कपड़े की फ़ाल्तू धज्जी (कतरन वग़ैरह) निकाल कर उस से बांध दिया जाए।

मस्अला : औरत के कफ़ने किफ़ाया के लिए एक इज़ार और एक चादर मअ़ ओढ़नी और सीना बन्द के काफ़ी है, क़मीस को छोड़ दिया जाए। इस क़दर कफ़न भी बिला कराहत जाइज़ है।

मस्अला : कफ़ने ज़रूरत वह है जो ज़रूरत के वक़्त मुयस्सर हो जाए ख़्वाह वह सिर्फ़ एक सत्रे औरत के लिए काफ़ी हो। (यानी ख़्वाह वह सिर्फ़ एक ही पोशीदा हिस्से के लिए हो)।

मस्अला : अगर इतना भी कपड़ा कफ़न का मुहैया न हो सके तो ग़ुस्ल देने के बाद "अज़्ख़र" (हरी घास वग़ैरह) से ढक दिया जाए और दफ़्न के बाद क़ब्र पर नमाज़ पढ़ी जाए।

मस्अला : अगर मैयत की लटें हों तो उन्हें कुर्ते और इज़ार के दरमियान रख दिया जाए। और कफन को ख़ुश्बू से धूनी देना मुस्तहब है।

वाज़ेह हो कि अगर मैयत का माल थोड़ा हो और सवारिसों की तादाद ज़्यादा हो, या मैयत मक़रूज़ हो तो कफ़ने किफ़ायत

पर इक्तिफ़ा करना चाहिए।

कफ़न पहनाने का तरीक़ा यह है कि पहले चादर बिछाई जाए, उसके ऊपर इज़ार (तहबन्द) फैलाई जाए। फिर मैयत को इज़ार के ऊपर लिटाया जाए और क़मीस पहनाई जाए। फिर इज़ार को मैयत के ऊपर दाईं जानिब से लपेटा जाए, उसके बाद बाईं जानिब से।

और अगर मैयत औरत हो तो चादर और इज़ार बिछा कर इज़ार के ऊपर मैयत को रखा जाए, फिर कुर्ता पहनाया जाए और बालों की दोनों लटों को उसके सीने पर कुर्ते के ऊपर रखा जाए उसके ऊपर ओढ़नी डाली जाए फिर इज़ार और चादर को उस पर लपेट दिया जाए फिर कफ़न को ऊपर से और पैरों की तरफ़ से धज्जी के साथ बांध दिया जाए। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 830, जिल्द 1, और क़ब्र में खोल दिया जाए)।

मस्अला : औरत को पाँच कपड़ों में कफ़नाना सुन्नत है। एक कुर्ता,दूसरे इज़ार (तहबन्द), तीसरें सर बन्द। चौथे चादर (पोट की चादर), पाँचवें सीना बन्द। इज़ार सर से लेकर पाँव तक होना चाहिए और चादर उससे एक हाथ बड़ी हो, और कुर्ता गले से लेकर पाँव तक हो, लेकिन न उसमें कली हो न आस्तीन। और सर बन्द (दोपट्टा तीन हाथ लम्बा हो) और सीना बन्द छातियों से लेकर रानों तक चौड़ा हो, और इतना लम्बा हो कि बंध जाए।

मस्अला : अगर पाँच कपड़ों में न कफ़नाया जाए बल्कि फ़क़त तीन पकड़े कफ़न में दे तो एक इज़ार (तहबन्द) दूसरे

चादर और तीसरे सर बन्द तो यह भी दुरुस्त है और इतना कफ़न भी काफ़ी है और तीन कपड़ों से भी कम देना मकरूह और बुरा है, हां अगर मज्बूरी और लाचारी हो तो कम देना भी दुरुस्त है। (पलंग के ऊपर जो चादर डाली जाती है वह कफ़न से अगल होती है और बाज़ जगह जनाज़ा की नमाज़ के लिए जो मुसल्ले यानी जाए नमाज़ कफ़न के कपड़े में से निकालते हैं, उसका सुबूत नहीं है।)

मस्अला : सीना बन्द अगर छातियों से लेकर नाफ़ तक हो तब भी दुरुस्त है लेकिन रानों तक होना ज़्यादा अच्छा है।

(बहिश्ती ज़ेवर स0 54, जिल्द 2, बहवाला बह्र स0 289, जिल्द 1)।

मस्अला : पहले कफ़न को तीन दफ़ा या पाँच दफ़ा या सात दफ़ा लोबान वगै़रह की धूनी दे दो तब उसमें मुर्दा को कफ़नाओ।

मस्अला : मर्द मैयत के कफ़न में अगर दो ही कपड़े हों यानी चादर और इज़ार बन्द (तहबन्द) और कुर्ता न हो तब भी कुछ हरज नहीं है, दो कपड़े भी काफ़ी हैं और दो कपड़े से कम देना मकरूह है, लेकिन अगर मज्बूरी और लाचारी हो तो मकरूह नहीं है। (बहिश्ती ज़ेवर स0 56, जिल्द 2)।

मस्अला : बालिग़ और नाबालिग़ महरम और हलाल सबका कफ़न यक्सां होता है।

मस्अला : जो बच्चा मरा हुआ पैदा हो या हमल साकि़त हो जाए तो उसके लिए सिर्फ़ एक कपड़े में लपेट देना काफ़ी है, कफ़ने मस्नून की ज़रूरत नहीं है। (इल्मुल–फ़िक़्ह स0 190, जिल्द 2)।

मस्अला : अहनाफ़ रह. के नज़्दीक अगर कोई शख़्स नमाज़े

जनाज़ा में उस वक़्त आए जबकि इमाम तक्बीरे ऊला कह चुका हो और सना पढ़ने में मस्रूफ़ हो, या दूसरी तक्बीर भी हो चुकी है और इमाम दुरूद पढ़ रहा है, या तीसरी तक्बीर भी हो चुकी है और इमाम दुआ पढ़ने लगा है तो मुक़्तदी सरे दस्त कोई तक्बीर न कहे, बल्कि इमाम की तक्बीर का इंतिज़ार करे और उसके साथ तक्बीर कहे। और अगर इंतिज़ार न किया और तक्बीर कह ली तो नमाज़ फ़ासिद न होगी, लेकिन यह तक्बीरें नमाज़े जनाज़ा की तक्बीरों में शुमार न की जाएँगी। मस्बूक़ (बाद में शामिले जमाअत होने वाले) को चाहिए कि इमाम के सलाम फेरने के बाद बाक़ी रही हुई तक्बीरों को पूरा करे, बशर्तेकि जनाज़ा को फ़ौरन न उठा लिया गया हो। अगर जनाज़ा उठा लिया गया हो तो चाहिए कि सलाम फेर दे और फ़ौत शुदा (रही हुई) तक्बीरों को पूरा न करे।

अगर मुक़्तदी उस वक़्त पहुँचे जबकि इमाम चौथी तक्बीर भी कह चुका हो, लेकिन अभी तक सलाम न फेरा हो तो सही तरीक़ा यह है कि इमाम के साथ शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बाद अपनी नमाज़ बमूजिबे तरीक़–ए–साबिक़ा पूरी करे। (किताबुल–फ़िक़्ह स0 848, जिल्द अव्वल)।

ख़त्म शुद

❖❖❖

मआख़िज़ व मराजेअ़ किताब

नाम किताब : **मआरिफुल-कुरआन**

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान

मतबअ़ : रब्बानी बुक डिपो देवबन्द

नाम किताब : मआरिफुल-हदीस

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुहम्मद मन्ज़ूर नोमानी अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : अल-फुरक़ान बुक डिपो असनिया गाँव, लखनऊ।

नाम किताब : फ़तावा दारुल-उलूम

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब साबिक़ मुफ़्तिये आज़म देवबन्द।

मतबअ़ : मक्तबा दारुल-उलूम देवबन्द।

नाम किताब : फ़तावा रहीमिया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद अब्दुर्रहीम साहब मद्दा ज़िल्लहू।

मतबअ़ : मक्तबा मुंशी स्ट्रीट रांदेर सूरत।

नाम किताब : फ़तावा महमूदिया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती महमूद साहब रह. मुफ़्तिये आज़म देवबन्द।

मतबअ़ : मक्तबा महमूदिया जामा मस्जिद शहर मेरठ।

नाम किताब : फ़तावा आलमगीरी

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : उलमा-ए-वक़्त अह्दे औरंगज़ेब।

मतबअ़ : शम्स पब्लीशर्ज देवबन्द

नाम किताब : किफ़ायतुल-मुफ़्ती

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना किफ़ायतुल्लाह देहलवी रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इल्मुल-फ़िक़्ह
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अब्दुश्शुकूर साहब लखनवी रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : अज़ीज़ुल-फ़तावा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुफ़्तिये अज़ीज़ुर्रहमान रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इम्दादुल-मुफ़्तीयीन
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान।
मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।
नाम किताब : इम्दादुल-फ़तावा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह.
मतबअ़ : इदारा तालीफ़ाते औलिया देवबन्द।
नाम किताब : फ़तावा रशीदिया कामिल
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना रशीद अहमद साहब गंगोही रह.
मतबअ़ : कुतुबख़ाना रहीमीया देवबन्द।
नाम किताब : किताबुल-फ़िक़्ह अलल-मज़ाहिबिल-अरबा
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : अल्लामा अब्दुर्रहमान अलख़बरी रह.
मतबअ़ : औक़ाफ़े पंजाब, लाहौर, पाकिस्तान।
नाम किताब : जवाहिरुल-फ़िक़्ह
मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ीअ साहब रह. मुफ़्तिये आज़म पाकिस्तान।

मतबअ़ : आरिफ़ कम्पनी देवबन्द।

नाम किताब : रद्दुल-मुह्तार

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : अल्लामा इब्ने आबिदीन

मतबअ़ : पाकिस्तानी।

नाम किताब : बहिश्ती ज़ेवर

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह.

मतबअ़ : मक्तबा थानवी देवबन्द।

नाम किताब : मआरिफ़े मदनीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : इफ़ादात मौलाना हुसैन अहमद साहब रह. मदनी

मतबअ़ : नदवतुल-मुंसन्निफ़ीन दिल्ली।

नाम किताब : अत्तरग़ीब वत्तरहीब

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना ज़कीयुद्दीन अब्दुल-अज़ीम मुंज़िरी

मतबअ़ : नदवतुल-मुसन्निफ़ीन दिल्ली।

नाम किताब : अहसनुल-फ़तावा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : फ़क़ीहुल-अस्र मुफ़्ती रशीद अहमद साहब

मतबअ़ : सईद कम्पनी कराची (पाकिस्तान)

नाम किताब : निज़ामुल-फ़तावा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना निज़ामुद्दीन साहब

मतबअ़ : इस्लामी फ़िक़्ह अकेडमी दिल्ली,
सदर मुफ़्ती दारुल-उलूम देबवन्द।

नाम किताब : फ़तावा मुहम्मदीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब रह.

मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : अल-जवाबुल-मतीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सैयद असग़र हुसैन मियाँ साहब रह.

मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : रुक्ने दीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना रुक्नुद्दीन अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : इशाअतुल-इस्लाम दिल्ली।

नाम किताब : असरारे शरीअत

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना मुहम्मद फ़ज़ल साहब अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : पंजाब, पाकिस्तान।

नाम किताब : कीमिया-ए-सआदत

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हिज्जतुल-इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा।

मतबअ़ : इदारा रशीदिया देवबन्द।

नाम किताब : ग़ुन्यतुत्तालिबीन

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : शैख़ अब्दुल-क़ादिर जीलानी अलैहिर्रहमा

मतबअ़ : अशरफ़ुल-मवाइज़ देवबन्द।

नाम किताब : अशरफ़ुल-जवाब

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : अशरफ़ुल-मवाइज़ देवबन्द।

नाम किताब : अल-मसालेहुल-अक़्लीया

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : अशरफ़ुल मवाइज़, देवबन्द

नाम किताब : अग़लातुल-अवाब

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अली थानवी।

मतबअ़ : कुतुबख़ाना एज़ाज़िया देवबन्द।

नाम किताब : फ़ज़ाइले नमाज़

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना मुहम्मद ज़करीया साहब शैख़ुल हदीस सहारनपुरी।

मतबअ़ : दारुल-इशाअत दिल्ली।

नाम किताब : नमाज़े मस्नून

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : मौलाना सूफ़ी अब्दुल-हमीद साहब

मतबअ़ : ऐतिक़ाद पब्लीशिंग हाउस दिल्ली।

नाम किताब : आपके मसाइल और उनका हल

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : हज़रत मौलाना मुहम्मद यूसुफ़ साहब लुधयानवी।

मतबअ़ : कुतुबख़ाना नईमीया देवबन्द।

नाम किताब : इम्दादुल-अहकाम

मुरत्तिब : मौलाना ज़फ़र अहमद साहब उसमानी रहमतुल्लाह अलैह।

मतबअ़ : मक्तबा दारुल-उलूम कराची।

नाम किताब : हुज्जतुल्लाहिल-बालिग़ा

मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ : शैख़ुल-हदीस शाह वलीयुल्लाह मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा।

मतबअ़ : दारुल-किताब देवबन्द।